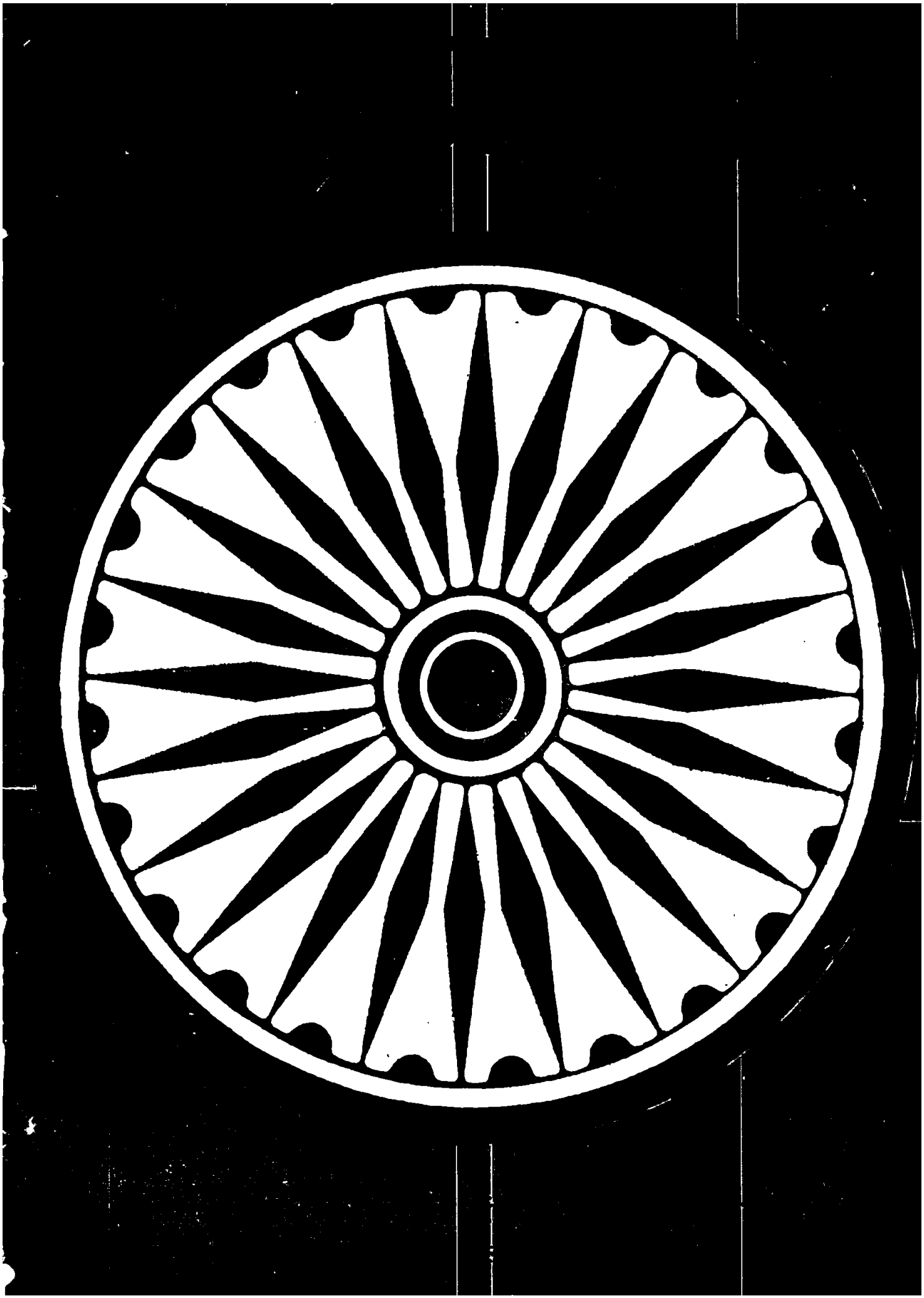

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की हिन्दी त्रैमासिक पत्रिका

वर्ष-1 अंक-3 अक्तूबर, 1978

संपादक

राजमणि तिवारी

उप संपादक

हरिहर प्रसाद द्विवेदी

पत्र व्यवहार का पता :

संपादक, 'राजभाषा भारती',
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
23-24 बाबा खड़क सिंह मार्ग,
नई दिल्ली-110001

फोन नं० 382522/384144

(निःशुल्क वितरण के लिए)

विषय-सूची

		पृष्ठ संख्या
अपनी बात		2
5 अगस्त, 1978 को सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों के सम्मेलन के अवसर पर उद्घाटन भाषण	— श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल, वित्त राज्य मंत्री	3
केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व तथा नियंत्रणाधीन निगमों और कंपनियों के दूसरे राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर समापन भाषण	— श्री धनिक लाल मंडल, गृह राज्य मंत्री	5
राजभाषा विभाग की स्थापना और उसके द्वारा किए जा रहे कार्य	— श्री मुनीश गुप्त	6
केन्द्रीय हिन्दी समिति की 16वीं बैठक और उसमें लिए गए प्रमुख निर्णय	— संकलित	11
भारतीय रेलों पर हिन्दी	— श्री शिव सागर मिश्र	14
विदेश मंत्रालय और हिन्दी	— श्री बच्चू प्रसाद सिंह	20
भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों का हिन्दी प्रशिक्षण	— डा० कैलाश चन्द्र भाटिया	24
केन्द्रीय सरकार की पत्रिकाएं	— डा० रामचन्द्र तिवारी	29
हिन्दी शिक्षण योजना के उप-निदेशकों का छठा सम्मेलन और उसकी उपलब्धियाँ	— श्री गोपाल चतुर्वेदी	35
संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति के दौरे	— श्री ब्रह्मदत्त चड्ढा	40
केन्द्रीय सरकार के प्रकाशन : एक दृष्टि	— डा० श्याम सिंह "शशि"	41
केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व तथा नियंत्रणाधीन निगमों और कंपनियों के दूसरे राजभाषा सम्मेलन की रिपोर्ट		43
हिन्दी कहाँ और कितनी ?		49
हिन्दी सलाहकार समितियाँ		50
केन्द्रीय सरकार के अधिसूचित कार्यालय		52
समाचार		54

अपनी बात :—

भारत जैसे विशाल और बहुभाषी देश में भाषा की समस्या एक बड़ी ही नाजुक समस्या है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसके सभी पहलुओं पर विचार करके संविधान में सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ की हैं। संविधान के कुछ निदेशों के पालन के लिए 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया और 1967 के संशोधन अधिनियम द्वारा उसे और भी व्यावहारिक बना दिया गया। संविधान की व्यवस्थाओं तथा यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों को लागू करने के लिए भारत सरकार बहुत सोच विचार कर अपनी राय कायम करती है और उसके अनुसार निदेश जारी करती है। इन निदेशों को सही ढंग से क्रियान्वित करने और उस संबंध में नीतिगत निर्णय लेने के लिए केन्द्रीय हिन्दी समिति का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित यह समिति राजभाषा के संबंध में नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च समिति है। इसका निर्णय सभी मंत्रालयों और विभागों आदि पर समान रूप से लागू होता है। इसके अलावा प्रायः सभी प्रमुख और जनता के सम्पर्क में आने वाले मंत्रालयों/विभागों में उनके मंत्रियों की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समितियाँ बनाई गई हैं। ये समितियाँ अपने-अपने मंत्रालयों में हिन्दी के इस्तेमाल को बढ़ाने के उपाय सुझाती हैं और इसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए समाधान प्रस्तुत करती हैं। हिन्दी सलाहकार समितियों के अतिरिक्त प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ बनाई गई हैं। इन समितियों के ऊपर केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति काम करती है जिसके अध्यक्ष राजभाषा सचिव हैं।

पिछले अंकों में हमने केन्द्रीय हिन्दी समिति के पदाधिकारियों और समिति द्वारा समय-समय पर लिए गए प्रमुख निर्णयों का विवरण प्रकाशित किया है। इसके साथ ही संघ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों आदि में हिन्दी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए किए गए उपायों आदि की जाँच करके उसके बारे में राष्ट्रपति महोदय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए गठित संसदीय राजभाषा समिति का परिचय भी प्रकाशित किया गया है। इस अंक में अन्य बातों के साथ उन मंत्रालयों तथा विभागों की सूची दी जा रही है जिनमें हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन या पुनर्गठन किया गया है। साथ हीं इस बार गृह मंत्रालय में पुनर्गठित हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों की पूरी सूची भी दी जा रही है।

इन व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट हो जाएगा कि संघ सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, वे काफी सोच-विचार कर किए जाते हैं और इस बात का बराबर ध्यान रखा जाता है कि कोई नया कदम उठाने के पहले उससे संबंधित सभी पहलुओं की विस्तृत रूप से जाँच-परख कर ली जाए और सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श कर लिया जाए ताकि भाषा के संबंध में कोई अनावश्यक विवाद न उत्पन्न हो।

—संपादक

5 अगस्त 1978 को सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों के सम्मेलन के अवसर पर वित्त राज्य मंत्री श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल का उद्घाटन भाषण

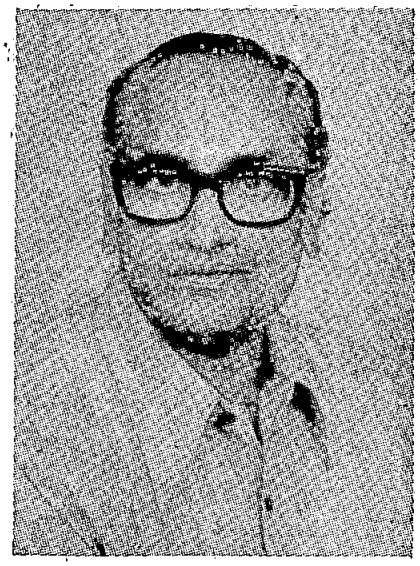

□ □ □

आप सब साथियों और सज्जनों का यहां स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है और खुशी इसलिए भी है कि हम आज ऐसे विषय पर विचार करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है । प्राणी-मात्र अपने विचारों और अपनी भावनाओं को अपने साथियों तक, अन्य प्राणियों तक पहुँचाना चाहता है। गाय जब अलग-अलग ढंग से रम्भाती है तब वह केवल अपने साथी प्राणियों से ही नहीं परंतु कई बार अन्य प्राणियों से भी कुछ कह रही होती है । मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसने अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वाणी का विकास किया है, उसे भाषा का वाहन दिया है । इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा समाज के कामकाज और व्यवहार का साधन मात्र है।

यह प्रश्न मैंने यहाँ इसलिए उठाया है कि यदि यह बुनियादी बात, यह आधार-तथ्य हमारी समझ में आ जाय कि भाषा विचारों के आदान-प्रदान का साधन मात्र है, व्यवहार की आसानी का एक वाहन मात्र है, तो हमारी काफी परेशानी दूर हो जाएगी, मानसिक तनाव और भेदभाव दूर हो जाएंगे, कटुता जाती रहेगी।

मैं इन प्रश्नों में विस्तारपूर्वक नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप सब विद्वान और अनुभवी लोग हैं, भाषा संबंधी विषय का, आप में से अधिकांश ऐसे हैं, जो काफी अधिकारपूर्वक ज्ञान रखते हैं।

यदि हम आजादी के पूर्व का इतिहास देखें तो पाएंगे कि भाषा इस सारे विशाल देश की जनता के बीच मतभेद का माध्यम कभी नहीं बनी । तमिलनाडु के तीर्थयात्री बद्रीनारायण जाते हुए रास्ते भर जैसी बन पड़ती थी वैसी टूटी-फूटी हिन्दी बोल कर अथवा रास्ते में टूटी-फूटी प्रांतीय भाषा बोल कर अपना काम चलाते हैं, और इसी प्रकार द्वारकाधीश की यात्रा करने वाले बंगाली अथवा रामेश्वरम् की यात्रा करने वाले कश्मीरी भी बोल-चाल की टूटी-फूटी हिन्दी बोल कर अपना काम चलाते थे, चलाते हैं। भाषा के प्रश्न को लेकर कभी किसी ने, सारे देश भर में आते जाते हुए इन तीर्थयात्रियों को, पंडे और पुजारियों को, व्यापारी और व्यवसायियों को लड़ते-झगड़ते न सुना है, न देखा है। ऐसा इसीलिए हो सका कि किसी ने भी भाषा को साध्य नहीं माना है, साधन मात्र ही माना है। इस पर से स्वभावतः हम इस सामान्य अवतारणा पर आते हैं कि हमें वही भाषा काम में लेनी चाहिए जिसे सामान्य आदमी समझ सके, अदना से अदना, ठेठ देहात में रहने वाला निरक्षर आदमी भी उसे समझ सके, भाषा के प्रश्न को लेकर कागज हाथ में लिए उसे अंग्रेजीदाँ लोगों को ढूंढते न फिरना पड़े ।

प्रत्येक देश के लिए प्रत्येक राष्ट्र के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए अपना झंडा और अपनी भाषा , गर्व और गौरव का विषय होते हैं । इन्हीं दोनों माध्यमों से देश का प्रत्येक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ जुड़ा रहता है, उसके साथ भाईचारे और बन्धुत्व की भावना महसूस करता है।

यह तो जानी-मानी हुई बात है कि किसी भी प्रजातंत्र में देश का शासन देश की जनता का शासन होता है, जनता द्वारा होता है, जनता के लिए होता है। इसलिए जनता द्वारा चुनी हुई कोई भी सरकार जनता से यह नहीं कह सकती कि हम आप से आपकी भाषा में बात नहीं करेंगे, देश में सामान्य तौर से समझी जाने वाली भाषा में बात नहीं करेंगे वरन् एक विदेशी भाषा में बात करेंगे जो मुश्किल से देश में दो या तीन प्रतिशत लोगों की समझ में आती है, और उन दो या तीन प्रतिशत व्यक्तियों का ज्ञान भी धीरे-धीरे अधूरा बनता जा रहा है।

इसलिए चार दिन पहले हमारे प्रधान मंत्री जी को हमारी संसद के माध्यम से यह बात याद दिलानी पड़ी कि हम सब इस देश के नागरिक स्वेच्छा से इस बात के लिए

बचनबद्ध हुए हैं कि इस देश की राजभाषा, सरकारी काम-काज की भाषा, हिन्दी हो और सरकारी कार्यालयों में उसके व्यवहार की सम्यक् व्यवस्था करने के लिए हमने आज से 15 वर्ष पूर्व राजभाषा अधिनियम बनाया । यह अधिनियम हमारा ही बनाया हुआ है और उसका पालन करने के लिए हम बाध्य हैं ।

मोटे तौर से हम देखें तो पाएंगे कि जन-साधारण के बीच तो हिन्दी सारे देश भर में सम्पर्क भाषा बनी हुई है और जिन छोटे-मोटे इलाकों में वह पहुंची नहीं है वहां पर वह धीरे-धीरे पहुंच रही है। जो छोटा-मोटा तबका अंग्रेजी जानता था अथवा जानता है, वह भी धीरे-धीरे उसे भूलता जा रहा है अथवा उतना सही तौर से नहीं सीख पा रहा है, और इसलिए स्वाभाविक ढंग से दक्षिण भारत के राज्यों में भी हिन्दी सीखने का काफी ज्यादा प्रचलन हो चला है। वहां जो नई पीढ़ी सामने आ रही है, मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वह हिन्दी के प्रति बड़ी आकृष्ट है, उससे प्रभावित है, उसे धीरे-धीरे सीख रही है। अब तो मैंने यह भी देखा है कि कानवेंट और पब्लिक स्कूलों से निकले हुए नौजवान भी हिन्दी की आवश्यकता को, सम्पर्क भाषा के रूप में इसके महत्व को, समझने लगे हैं, और हिन्दी में बातचीत और कामकाज करने की ओर उन्मुख हो गये हैं। अंग्रेजी बोलने और लिखने में जो अहंकार की सर्वसाधारण से अलग हटकर टेढ़ी गरदन करके खड़े रहने की भावना थी, वह घटती जा रही है।

इसलिए स्वभावतः सवाल आता है कि सरकार कि कंपनियाँ, सरकार के कारखाने, सरकार के उपक्रमों को सीधी-साधी भाषा में कहें तो वे जनता के कारखाने हैं, जनता की कंपनियाँ हैं, जनता के उपक्रम हैं; वे कहां तक विदेशी भाषा से चिपके रहेंगे, उसे काम में लेते रहेंगे, और जनता की कंपनी होकर जनता से ही कहते रहेंगे कि आपसे देश की राजभाषा में बातचीत नहीं करेंगे, पत्र-व्यवहार नहीं करेंगे; आप से पत्रव्यवहार सात समुद्र पार की अंग्रेजी भाषा में ही करेंगे। मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि यह बात चलने की नहीं है। आज से कोई 28 वर्ष पहले आपने और हमने, सब ने मिल कर हिन्दी को राजभाषा के रूप में अपनाया था। 22 साल से सरकार अपने कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिए कार्यालय के समय में अर्थात् सरकार के समय में, मुफ्त हिन्दी कक्षाएं चला रही है, और शांत मन से बैठ कर इस बात की उम्मीद कर रही है कि आप लोग स्वेच्छा से हिन्दी को सीख लेंगे, उसमें काम करना सीख जाएंगे, और जनता से पत्र-व्यवहार अपने देश की राजभाषा में करना सीख जाएँगे।

परंतु जो आंकड़े पिछले दिनों मेरे सामने आए हैं उन्हें देखकर मुझे सचमुच दुःख हुआ कि 'राजभाषा कप' का पुरस्कार पाने वाले जीवन बीमा निगम ने हिन्दी में आए 68,000 पत्रों में से कोई 10,000 पत्रों के जवाब अंग्रेजी में दिए तथा 'क' और 'ख' क्षेत्रों को मूल रूप से जारी किए गए कोई 1,11,000 पत्रों में से 71,000 पत्र केवल अंग्रेजी में जारी किए। हिन्दी जानने वाले हमारे जो नागारिक जीवन बीमा की पालिसियाँ खरीद कर इसे बढ़ा रहे हैं, इसका विकास कर रहे हैं, इसे पुष्पित और फलित कर रहे हैं, उन्हीं हिन्दी जानने वालों और अंग्रेजी से अनभिज्ञ लोगों के गले जीवन बीमा निगम अंग्रेजी के पत्र ठूंस रहा है । यह कहां तक उचित है, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है।

परंतु यह बात जीवन बीमा निगम तक ही सीमित नहीं है। मैंने आंकड़ों का थोड़ा बहुत अध्ययन किया है। दिल्ली परिवहन निगम, भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, भारत अल्यूमीनियम, भारतीय उर्वरक , हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स ऐंड कन्सट्रक्शन, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय कपड़ा निगम, फिल्म वित्त निगम, भारी इंजीनियरी निगम, सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान ताँबा निगम, भारतीय डेरी निगम, भारत पर्यटन विकास निगम, राष्ट्रीय उर्वरक निगम, भारतीय दुग्धशाला निगम, सभी की यही कहानी है। और तो और, माडर्न बेकरी में एक काफी ऊँचे पद पर हिन्दी के एक जाने-माने प्रेमी बैठे हैं परंतु वहाँ पर भी मूल-रूप से कोई 14,000 पत्रों में से केवल 150 पत्र हिन्दी में जारी किए गए ।

टाइपराइटरों की बात तो मैं यहाँ कहूँगा ही नहीं। मैंने आंकड़े देखे हैं। कहीं कहीं 350 टाइपराइटरों में केवल दो टाइपराइटर हिन्दी में हैं, तो कहीं पर 1300 टाइपराइटरों में केवल 10 टाइपराइटर हिन्दी के हैं। निगमों का नाम लेने से क्या लाभ। संभव है आप लोगों में से किसी को बुरा लगे।

आप सब लोग मिलकर मुझे यह तो नहीं कह सकते कि हमारा सब कारोबार, हमारा सारा पत्रव्यवहार विदेशों के साथ ही होता है, केवल अंग्रेजी जानने वालों के साथ ही होता है। इसलिए बात को अधिक नहीं दोहराते हुए मैं आप लोगों से केवल यही कहूंगा कि समय की आवश्यकता को पहचानिए, जनसाधारण की आवश्यकता को पहचानिए, देश और राष्ट्र की आवश्यकता को पहचानिए। यह आपके और हमारे लिए गर्व एंव गौरव दोनों का प्रश्न है, और इन सब से भी बड़ा जनता के साथ सम्पर्क का, व्यवहार का प्रश्न है।

जनता की कंपनियों को चलाने के नाते यह आप लोगों का परम कर्तव्य है, एक प्रकार का परम धर्म हो जाता है कि आप लोग जनता के साथ उस भाषा में बातचीत करें उस भाषा में पत्र-व्यवहार करें जिसे जनता आसानी से समझ सकती हो, और आप भी जानते हैं कि वह भाषा, वह सम्पर्क भाषा हिन्दी ही है।

[शेष पृष्ठ 10 पर]

केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व तथा नियंत्रणाधीन निगमों और कम्पनियों के दूसरे राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर गृह राज्य मंत्री श्री धनिक लाल मंडल का समापन भाषण

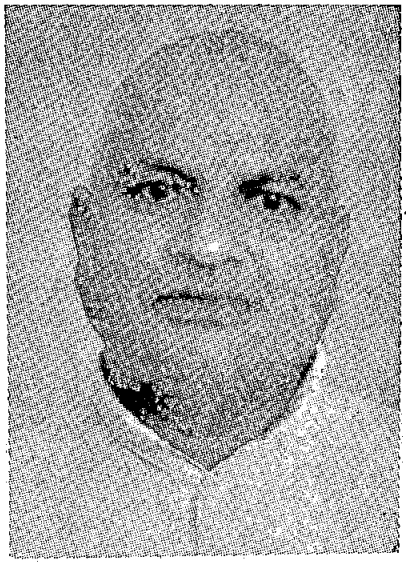

कम्पनियों और निगमों इत्यादि के कामों में हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओं का उत्तरोत्तर प्रयोग हो, इसके उपायों पर विचार करने और बाधाओं को दूर करने के लिए आप सभी बन्धु यहां एकत्र हुए हैं। हमें आशा है कि आपने अपने ज्ञान और अनुभव के अनुसार इस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा की होगी और कुछ निर्णय भी किए गए होंगे। मेरा विश्वास है कि आप उन निर्णयों को, उन संकल्पों को यहां से जाकर कार्य रूप अवश्य देंगे।

जैसा कि आप जानते हैं हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने जनता से प्रतिज्ञा की थी और वचन दिया था कि जब अपना देश आजाद होगा तो सारा काम जनता की भाषा में अर्थात् देश की अपनी भाषा में होगा। गांधी जी ने जो कार्यक्रम शुरू किए थे उनमें एक कार्यक्रम यह भी था। सौभाग्य से उस समय सभी लोगों का मत एक ही था और खुशी की बात यह थी कि अहिन्दी भाषियों ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार को गति दी थी। वे ही इसके प्रचार के अग्रणी थे। जब संविधान बना तब सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि केन्द्र में हिन्दी अंग्रेजी का स्थान लेगी और प्रदेशों में प्रादेशिक भाषाएं उसका स्थान लेंगी। उस समय एक मोहलत दी गई—15 साल की और यह सुझाया गया कि इस समय तक हिन्दी को उसके योग्य बना लिया जाएगा और जिन्हें हिन्दी का ज्ञान नहीं है, वे भी इसका कार्यकारी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, किन्तु ऐसा नहीं हुआ बल्कि इसका उल्टा ही हुआ। बहरहाल 1963 में राजभाषा अधिनियम बना और 1967 में उसमें कुछ संशोधन हुआ और यह व्यवस्था की गई कि हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी भी चलेगी और तब तक चलेगी जब तक सभी राज्य सरकारें इसके लिए प्रस्ताव न पास करें और संसद के दोनों सदनों में भी इस तरह का प्रस्ताव न पास किया जाए। यह भी निर्णय किया गया कि अंग्रेजी एसोशिएट भाषा रहेगी अर्थात् संघ सरकार के कामकाज में द्विभाषिकता चलेगी। इसे यदि ठीक प्रकार से कहा जाए तो यह कहना होगा कि हिन्दी का बढ़ता हुआ प्रभाव होगा और अंग्रेजी का घटता हुआ। जब अंग्रेजी का प्रभाव घटेगा तभी तो हिन्दी अंग्रेजी का स्थान लेगी। इस लक्ष्य को सामने रखते हुए हमें ईमानदारी से, निष्ठा से, पूर्ण संकल्प से हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए। सम्मेलन में हम जो निर्णय करते हैं, उनका अनुपालन पूर्ण निष्ठा से किया जाना चाहिए। यह हमारी राष्ट्रीयता की चुनौती है, हमारी देशभक्ति की भी यही चुनौती है और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए।

यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जब तक हम भाषा को व्यवहार में नहीं लाएंगे तब तक उसका विकास नहीं हो सकता। यह कहना तो धोखा है कि जब तक हिन्दी विकसित नहीं होती तब तक उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रयोग करने से ही भाषा संवरेगी।

इस अवसर पर आपके बीच में आकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। मैं आप लोगों से यह तो नहीं कहूँगा कि अंग्रेजी का व्यामोह छोड़िए किन्तु यह जरूर कहूँगा कि हिन्दी का प्रयोग अवश्य कीजिए। अपनी माँ चाहे कुरूप ही क्यों न हो दूसरे की माँ से अच्छी होती है और उसका आदर किया जाना चाहिए।

□ □ □

राजभाषा विभाग की स्थापना और उसके द्वारा किए जा रहे कार्य

मुनीश गुप्त

संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग

अंग्रेजों के भारत छोड़कर चले जाने के बाद राष्ट्रीय सरकार के सामने कई तरह की जटिल समस्याएं आईं क्योंकि देश का शासन करने का उनका दृष्टिकोण ारतीय दृष्टिकोण से बिल्कुल भिन्न था । वे लंदन में बैठकर देश के शासन-सूत्र का संचालन करते थे और ऐसा करते समय उनके सामने अपने देश इंगलैंड का हित सर्वोपरि होता था । भारतीय जनता से उनकी न तो ममता थी और न ही हो सकती थी । यह परतंत्रता हमारे लिए अभिशाप बन गई थी । इसी अभिशाप के निवारण के लिए हमने अपनी आजादी की लड़ाई शुरू की थी ताकि आजादी हासिल करने के बाद हमारा देश अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सके और इस देश की कोटि-कोटि जनता की इच्छाओं को पूरा कर सके । अंग्रेजों ने जो समस्याएं छोड़ी थीं उनमें भाषा की समस्या भी एक प्रमुख समस्या थी । उन्होंने हमारे ऊपर एक अजनबी भाषा लाद दी थी जबकि हमारे देश में कई समृद्ध भाषाएं विद्यमान थीं । आजादी मिलने के बाद स्कूलों और कालेजों में भारतीय भाषाओं के अध्ययन के लिए और राजकाज में इनके प्रयोग के लिए बहुत कुछ करना था, साथ ही सारे देश के लिए एक संपर्क भाषा का भी विकास करना था । इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भाषा समस्या के हल के लिए बड़ी सूझ-बूझ से काम लिया । उन्होंने देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया और संविधान की 351वीं धारा में साफ-साफ निदेश दिया कि हिन्दी का विकास इस तरह किया जाए जिससे वह संस्कृत तथा राष्ट्र की सभी भाषाओं से उनकी शब्दावली और पदावली को आत्मसात करते हुए एक व्यापक राष्ट्रीय शरीर धारण करे । इसके साथ-साथ उन्होंने असमिया, उड़िया, बंगला, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत और बाद में सिंधी को भी प्रमुख भाषाओं के रूप में मान्यता दी ।

1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ । उसके बाद राज्यों में वहां की भाषाओं और संघ सरकार के काम-काज में हिन्दी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का काम प्रारंभ हुआ । केन्द्रीय सरकार के कामकाज में हिन्दी को लागू करने के पहले नीचे लिखे उपाय कर लेना जरूरी समझा गया :—

(1) हिन्दी में प्रशासनिक और तकनीकी शब्दावली का निर्माण ।

(2) अब तक अंग्रेजी में उपलब्ध सांविधिक तथा प्रशासनिक साहित्य का हिन्दी में अनुवाद ।

(3) केन्द्रीय सरकार के कामकाज में लगे अहिन्दी भाषी कर्मचारियों का हिन्दी में प्रशिक्षण ।

(4) टाइपराइटर आदि तकनीकी यंत्रों का हिन्दी के विकास के लिए निर्माण ।

(5) राजकाज में हिन्दी का क्रमिक उपयोग बढ़ाने के लिए उपयुक्त तंत्र की स्थापना ।

उपर्युक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तकनीकी और प्रशासनिक शब्दावली और शब्दकोशों के निर्माण के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई । आयोग ने विज्ञान, मानविकी, इंजीनियरी, प्रशासन, रक्षा, आयुर्विज्ञान, कृषि आदि लगभग सभी विषयों की शब्दावलियां तैयार कर ली हैं । इस तरह तैयार की गई शब्दावलियों की कुल संख्या तीन लाख से भी अधिक है। इनके इस्तेमाल और उसके दौरान इनमें पाई गई कमियों को दूर करने और एक ही शब्द के लिए कई तरह के शब्दों के इस्तेमाल में समन्वय स्थापित करने का काम अभी चल रहा है । इसी तरह राजभाषा (विधायी) आयोग ने 10 हजार से अधिक अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी समानार्थी शब्दों की विधि शब्दावली प्रकाशित की है तथा बहुत से नियमों, विनियमों आदि का अनुवाद कर लिया है फिर भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना शेष है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी, हिन्दी टाईपिंग तथा हिन्दी स्टेनोग्राफी सिखाने के लिए राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन दफ्तर के समय में कक्षाएं चलाई जा रही हैं। अब तक इस योजना द्वारा लागू किए गए पाठ्यक्रमों के अधीन साढ़े तीन लाख से अधिक कर्मचारी विभिन्न परीक्षाएं पास कर चुके हैं। फिर भी इस दिशा में अभी बहुत कुछ काम बाकी है। इसी तरह प्रशासनिक प्रकार के सभी मैनुअलों, फार्मों आदि का हिन्दी अनुवाद राजभाषा विभाग के अधीन केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो कर रहा है।

संघ सरकार के कामकाज में हिन्दी के क्रमिक प्रयोग को बढ़ाने तथा राजभाषा हिन्दी को प्रतिष्ठित करने के लिए सरकार ने नीचे लिखे और उपाय भी किए हैं:—

राजभाषा विभाग की स्थापना

संविधान के राजभाषा संबंधी उपबंधों तथा यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के कार्यान्वयन, हिन्दी शिक्षण योजना और असांविधिक साहित्य के अनुवाद का काम पहले गृह मंत्रालय का राजभाषा प्रभाग देखता था। इसके बढ़ते हुए महत्व और इसकी आवश्यकता को देखते हुए जून, 1975 में भारत सरकार ने दूसरे मंत्रालय या विभाग की तरह एक सचिव के अधीन स्वतंत्र राजभाषा विभाग की स्थापना की है। पहले इस विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए:—

(1) संविधान के राजभाषा से संबंधित उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों का कार्यान्वयन।

(2) राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी भाषा का सीमित प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन।

(3) संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित सभी मामले।

(4) संविधान, राष्ट्रपति के 27 अप्रैल, 1960 के आदेश, राजभाषा अधिनियम, 1963 और भाषा के बारे में सरकार के 18 जनवरी, 1968 के संकल्प के उपबंधों के संदर्भ में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जा रहे राजभाषा से संबंधित कार्यों का समन्वय।

(5) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण योजना।

(6) केन्द्रीय हिन्दी समिति से संबंधित मामले।

(7) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्थापित हिन्दी सलाहकार समितियों से संबंधित कार्य का समन्वय।

(8) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित मामले।

उपर्युक्त कामों की देखरेख तथा उन्हें पूरा करने के लिए निम्नलिखित प्रबंध किए गए हैं:—

(1) केन्द्रीय हिन्दी समिति

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा हिन्दी के प्रसार और विकास से संबंधित कार्यक्रमों में समन्वय करने के उद्देश्य से 5 सितम्बर, 1967 को केन्द्रीय हिन्दी समिति का गठन किया गया था। यह हिन्दी के प्रयोग आदि के मामलों में नीति निर्धारित करने वाली सर्वोच्च समिति है और इसके निर्णय भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों पर लागू होते हैं। वर्तमान केन्द्रीय हिन्दी समिति का हाल में ही पुनर्गठन किया गया है। प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई इसके अध्यक्ष हैं। इस समिति में कुल 25 सदस्य हैं। इसके लिए सचिवालयीन सहायता का काम राजभाषा विभाग करता है। समिति के निर्णयों के कार्यान्वयन को नियमित तौर पर जांचने के लिए केन्द्रीय हिन्दी समिति ने अपनी एक उप समिति बनाई है, यह उप समिति हिन्दी के प्रयोग की प्रगति देखती है, केन्द्रीय हिन्दी समिति के सामने पेश किए जाने वाले प्रस्तावों को जांचती है और उस संबंध में अपनी सिफारिश केन्द्रीय हिन्दी समिति को प्रस्तुत करती है ताकि उन मामलों में निर्णय लेने में सुविधा रहे।

(2) हिन्दी सलाहकार समितियाँ

केन्द्रीय हिन्दी समिति के अलावा खास-खास मंत्रालयों और विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियां बनाई गई हैं। इन समितियों के अध्यक्ष संबंधित मंत्रालयों के मंत्री होते हैं। संसद सदस्य, हिन्दी की प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधि, साहित्यकार, मंत्रालयों के कार्य क्षेत्र से संबंधित और हिन्दी में रुचि रखने वाले विद्वान तथा वरिष्ठ अधिकारी इनके सदस्य होते हैं। हिन्दी सलाहकार समितियां अपने-अपने मंत्रालयों को राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने तथा नीति विषयक निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाती हैं और जहां कहीं कमी होती है उसे पूरा करने के लिए कार्रवाई की सिफारिश करती हैं। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और दफ्तरों में हिन्दी के प्रयोग के बारे में जो कुछ किया जा रहा है उसे मौके पर जाकर देखने के लिए कुछ हिन्दी सलाहकार समितियों ने उप समितियां भी बनाई हैं। इनसे काफी लाभ हुआ है और कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिला है।

(3) राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ

जिन कार्यालयों में 25 से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनमें विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाई गई हैं जो अपने-अपने क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए उपाय सुझाती हैं। इन सब के ऊपर केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति है जो सभी केन्द्रीय दफ्तरों में किए जाने वाले हिन्दी संबंधी कामों का समन्वय करती है।

(4) हिन्दी की प्रगति के लिए वार्षिक कार्यक्रम तथा वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट

1967 के संशोधन अधिनियम के साथ ही एक भाषा संकल्प भी स्वीकृत किया गया था जिसके अनुसार संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के क्रमिक प्रयोग और उसके प्रचार-प्रसार तथा विकास आदि के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। भाषा संकल्प के अनुसार हिन्दी के प्रसार तथा विकास और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए बनाए गए विस्तृत कार्यक्रम तथा उनमें हुई प्रगति का ब्यौरा देते हुए एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर प्रस्तुत की जाती है। अब तक 7 वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्टें संसद में पेश की जा चुकी हैं।

(5) सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी का प्रशिक्षण

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिए दफ्तर के समय में हिन्दी, हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। इसके लिए देश के सभी प्रमुख नगरों में केन्द्र खोले गए हैं। देश भर में फैले इन केन्द्रों के संचालन और निरीक्षण की दृष्टि से पूरे देश को 5 भागों में विभाजित कर दिया गया है। इन पांचों क्षेत्रों के लिए एक उप निदेशक के अधीन कार्यालय खोले गए हैं। प्रशिक्षण कार्यसंबंधी अनुसंधान और परीक्षा के संचालन के लिए दिल्ली में एक कार्यालय खोला गया है जिसकी देख-रेख एक संयुक्त निदेशक को सौंपी गई है।

(6) प्रशासनिक साहित्य के अनुवाद की व्यवस्था

केन्द्रीय नियमों, विनियमों और अधिनियमों जैसे सांविधिक साहित्य का हिन्दी अनुवाद विधि मंत्रालय के अधीन राजभाषा खंड करता है किन्तु प्रशासनिक प्रकार के सभी मैनुअलों, फार्मों आदि का हिन्दी अनुवाद मार्च, 1971 से केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो कर रहा है। इसका प्रशासनिक अधिकारी निदेशक कहलाता है। यह राजभाषा विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है।

(7) सांविधानिक व्यवस्था के अनुसार हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए आवश्यक आदेश/निदेश जारी करना तथा उनके कार्यान्वयन पर नजर रखना

विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हिन्दी के काम को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर सरकारी आदेश जारी करने और नियम आदि बनाने का काम राजभाषा विभाग करता है। यह विभाग विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कामों पर नजर रखने के लिए एक तिमाही रिपोर्ट मंगाता है जिसमें हिन्दी अधिकारियों, हिन्दी टाइपराइटरों, हिन्दी में भेजे गए पत्रों, परिपत्रों, जारी किए गए सामान्य आदेशों आदि में हिन्दी के प्रयोग संबंधी जानकारी दी जाती है। राजभाषा विभाग इनकी समीक्षा करता है और जहां कहीं कमियां दिखाई देती हैं उनको दूर करने के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग का ध्यान आकर्षित करता है। इस तरह के कामों की देख-रेख और मौके पर जाकर सुझाव आदि देने के लिए राजभाषा विभाग में एक उप सचिव की नियुक्ति की गई है। उप सचिव की सहायता के लिए इस वर्ष एक अवर सचिव और एक उप निदेशक की भी नियुक्ति की गई है।

(8) किए जा रहे कामों तथा नीतिगत निर्णयों आदि के प्रचार-प्रसार की व्यवस्था

राजभाषा विभाग समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के संकलन के प्रकाशन के साथ-साथ राजकाज में हिन्दी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए दी जाने वाली सुविधाओं आदि के प्रचार-प्रसार के लिए चार्ट और पुस्तिकाएं आदि भी प्रकाशित करता है। इस काम में और तेजी लाने के लिए तथा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए किए जा रहे कार्यों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जैसी कि बराबर मांग की जाती रही है, विभाग ने इस वर्ष से "राजभाषा भारती" नाम से एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करने का काम भी हाथ में लिया है।

(9) सरल और स्वाभाविक हिन्दी के प्रयोग के लिए हिदायत

यह देखा गया कि जिस प्रकार की हिन्दी प्रशासनिक कामकाज में प्रयोग में लाई जा रही है उसे नए हिन्दी सीखे हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। अतः इस मामले में राजभाषा विभाग को नई नीति अपनानी पड़ी और सरकारी कर्मचारियों से यह कहना पड़ा कि वे सरकारी कामकाज में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्द शामिल हों। इस नीति के परिणामस्वरूप सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग काफी बढ़ा है।

राजभाषा के कार्यों का पुनः आबंटन

राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए राजभाषा विभाग की तरफ से तो कार्य किए ही जा रहे हैं हिन्दी से संबंधित कार्य शिक्षा, सूचना और प्रसारण, विदेश तथा विधि मंत्रालय आदि द्वारा भी किए जा रहे हैं। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस समय विभिन्न मंत्रालयों द्वारा हिन्दी संबंधी जो काम हो रहे हैं उनमें काफी कुछ पुनरावृत्ति हो रही है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण मुख्यतया राजभाषा विभाग द्वारा दिया जा रहा है जब कि इसी कार्य के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (शिक्षा मंत्रालय) द्वारा चलाया जा रहा है। बहुत से मंत्रालय अपने-अपने ढंग से प्रशिक्षण संस्थानों में अपने कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशासनिक शब्दावली शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही है, जब कि सरकारी कार्यालयों में इसके इस्तेमाल की जिम्मेदारी

राजभाषा विभाग पर है । कुछ मंत्रालयों ने तो अलग से भी अपनी शब्दावली तैयार की है ।

इन सब बातों को देखते हुए राष्ट्रपति भवन से जारी की गई 6 अप्रैल, 1978 की अधिसूचना संख्या सी०डी०-261/78 के अनुसार राजभाषा विभाग को पहले सौंपे गए कामों में नीचे लिखे अनुसार परिवर्तन और परिवर्धन किए गए हैं :—

(i) प्रविष्टि 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी गई है :—

"3. संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए, जिनमें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण योजनाएं और मैगजीनों, पत्रिकाओं और उससे संबंधित अन्य साहित्य का प्रकाशन शामिल है, नोडीय उत्तरदायित्व ।"

(ii) प्रविष्टि 4 और 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी गई हैं :—

"4. संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों [जिनमें प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्य विवरण, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उनके लिए अपेक्षित उपस्कर (मानकीकृत लिपि सहित) शामिल हैं] में समन्वय ।"

5. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और संवर्ग-प्रबन्ध ।

(iii) प्रविष्टि 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी गई है :—

"6. केन्द्रीय हिन्दी समिति, जिसमें इसकी उप समितियां भी शामिल हैं, से संबंधित मामले ।"

सौंपे गए नए काम

इस कार्य आवंटन के अनुसार औपचारिक रूप से निम्नलिखित नए कार्य राजभाषा विभाग को सौंपे गए हैं :—

(1) संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का पत्राचार द्वारा हिन्दी में प्रशिक्षण—(प्रविष्टि संख्या 3)

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण योजना का कार्य पहले से ही राजभाषा विभाग देखता आ रहा है किन्तु इन कर्मचारियों के हिन्दी शिक्षण का कार्य पत्राचार तथा गहन हिन्दी-प्रशिक्षण के माध्यम से क्रमशः केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और केन्द्रीय हिन्दी संस्थान द्वारा भी किया जाता है । अब चूंकि नए कार्य आबंटन के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण से संबंधित सभी योजनाओं का नोडीय उत्तरदायित्व राजभाषा विभाग को सौंप दिया गया है। अतः पत्राचार द्वारा प्रशिक्षण और गहन हिन्दी प्रशिक्षण की योजनाएं भी राजभाषा विभाग के कार्य क्षेत्र में आ गई हैं । इस संबंध में केन्द्रीय हिन्दी समिति की 13-4-78 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए हिन्दी टाईपिंग और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए नई दिल्ली में एक संस्थान की स्थापना की कार्रवाई चल रही है ।

(2) राजभाषा सम्बन्धी मैगजीनों, पत्रिकाओं और उससे सम्बन्धित अन्य साहित्य के प्रकाशन का नोडीय उत्तरदायित्व—(प्रविष्टि संख्या 3)

राजभाषा संबंधी मैगजीनों, पत्रिकाओं और उससे संबंधित अन्य साहित्य के समन्वय का कार्य राजभाषा विभाग अनौपचारिक रूप में पहले से ही करता रहा है किन्तु अब उसे इसका औपचारिक उत्तरदायित्व भी सौंप दिया गया है ।

(3) प्रशासनिक शब्दावली का निर्माण, प्रयोग और समन्वय —(प्रविष्टि संख्या 4)

प्रशासनिक शब्दावली के निर्माण का कार्य अभी तक केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग) के पास था । इसके प्रयोग और समन्वय की जिम्मेदारी राजभाषा विभाग पर थी क्योंकि प्रयोग के संबंध में समय-समय पर गृह मंत्रालय (अब राजभाषा विभाग) की तरफ से परिपत्र जारी किए जाते रहे हैं और समन्वय के लिए राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में एक "शब्दावली समन्वय समिति" गठित की गई है । नए कार्य आवंटन के अनुसार उपर्युक्त सभी प्रकार के कामों का समन्वय अब राजभाषा विभाग को करना हैं ।

(4) संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित सभी पाठ्य विवरण, पाठ्य पुस्तकें और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम—(प्रविष्टि संख्या 4)

यद्यपि हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत निर्धारित पाठ्यक्रमों और पाठ्यविवरणों की तैयारी का काम राजभाषा विभाग के पास पहले से ही रहा है किन्तु अब संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी पाठ्य विवरणों, पाठ्य पुस्तकों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था राजभाषा विभाग को करनी होगी ।

(5) संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित सभी अपेक्षित उपस्कर (मानकीकृत लिपि सहित)—(प्रविष्टि संख्या 4)

यद्यपि हिन्दी (देवनागरी) टाइपराइटर और टेलीप्रिंटर के लिए मानक की बोर्ड संबंधी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय पर थी किन्तु आवश्यकता को देखते हुए राजभाषा विभाग भी इस क्षेत्र में अनौपचारिक रूप से कार्रवाई करता रहा है । अब इसके समन्वय का कार्य उसे औपचारिक रूप से सौंप दिया गया है । इसके अतिरिक्त राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए

मानकीकृत लिपि में अन्य उपस्करों (इक्विपमेंट) की व्यवस्था करने का भार भी राजभाषा विभाग को सौंपा गया है ।

(6) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और संवर्ग प्रबन्ध---(प्रविष्टि संख्या 5)

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और संवर्गप्रबंध के संबंध में राजभाषा विभाग अनौपचारिक रूप से पिछले कई वर्षों से कार्रवाई करता रहा है। नए कार्य आवंटन के अनुसार यह कार्य अब वह औपचारिक रूप से करेगा ।

(7) केन्द्रीय हिन्दी समिति की उप-समितियों से सम्बन्धित मामले---(प्रविष्टि संख्या 6)

केन्द्रीय हिन्दी समिति की उप-समितियों से संबंधित सभी मामलों को पहले भी राजभाषा विभाग देखता था। उन्हें अब विधिवत उसके कार्यक्षेत्र में जोड़ दिया गया है ।

नये कार्य आबंटन के अनुसार राजभाषा विभाग के कार्यों की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है :—

(1) संविधान के राजभाषा से संबंधित उपबन्धों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों का कार्यान्वयन (उन उपबन्धों को छोड़कर जिनका कार्यान्वयन किसी अन्य विभाग को सौंप दिया गया है) ।	(1) यथावत
(2) राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी भाषा का सीमित प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन ।	(2) यथावत
(3) संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामले ।	(3) संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए, जिनमें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण योजनाएं और मैगजीनों, पत्रिकाओं और उससे संबंधित अन्य साहित्य का प्रकाशन शामिल है, नोडीय अत्तरदायित्व ।
(4) संविधान, राष्ट्रपति के 27 अप्रैल, 1960 के आदेश, राजभाषा अधिनियम, 1963 और भाषा के बारे में सरकार के 18 जनवरी, 1968 के संकल्प के उपबन्धों के संदर्भ में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जा रहे राजभाषा से संबंधित कार्य	(4) संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों [जिनमें प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्य विवरण, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उनके लिए अपेक्षित उपस्कर (मानकीकृत लिपि सहित) शामिल हैं] में समन्वय ।
(5) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण योजना।	(5) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और संवर्ग-प्रबन्ध
(6) केन्द्रीय हिन्दी समिति से संबंधित मामले ।	(6) केन्द्रीय हिन्दी समिति, जिसमें इसकी उप समितियां भी शामिल हैं, से संबंधित मामले ।
(7) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्थापित हिन्दी सलाहकार समितियों से संबंधित कार्य का समन्वय ।	(7) यथावत
(8) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित मामले ।	(8) यथावत

□□□

[पृष्ठ 4 का शेष]

मुझे बताया गया है कि आप लोग दिन भर यहाँ बैठ कर कानून और नियमों के अनुसार सरकारी उपक्रमों में हिन्दी के प्रयोग की आवश्यकता और योजनाओं पर विचार-विनिमय करेंगे इसलिए मैं आप लोगों के विचार-विनिमय में अधिक समय तक बाधक नहीं बनना चाहता । मुझे विश्वास है कि आपने जितने धैर्यपूर्वक मेरी बातें सुनी हैं, उतने ही धैर्यपूर्वक आज के सारे मसले पर, प्रश्न पर विचार करेंगे और 6 महीने बाद अथवा साल भर बाद फिर कभी हम जब इस प्रकार इकट्ठे होकर मिलेंगे तब हमें अधिक प्रगति की रिपोर्टें देखने और सुनने को मिलेंगी ।

धन्यवाद, □□□

केन्द्रीय हिन्दी समिति की 16वीं बैठक और उसमें लिए गए प्रमुख निर्णय

—संकलित

केन्द्रीय हिन्दी समिति की 16वीं बैठक 14 जुलाई, 1978 को हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :—

1.	श्री मोरारजी देसाई, प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री जगजीवन राम, रक्षा मंत्री	सदस्य
3.	श्री लाल कृष्ण आडवाणी, सूचना और प्रसारण मंत्री	सदस्य
4.	श्री शांति भूषण, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री	सदस्य
5.	श्री एच० एम० पटेल, वित्त मंत्री	सदस्य
6.	श्री धनिक लाल मण्डल, गृह राज्य मंत्री	सदस्य
7.	श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी, राज्य मंत्री प्रतिनिधि शिक्षा तथा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय	
8.	श्री ओम मेहता, संसद सदस्य	सदस्य
9.	डा० सरोजिनी महिषी, संसद सदस्य	सदस्य
10.	श्री नवाब सिंह चौहान, संसद सदस्य	सदस्य
11.	श्री रामलाल पारीख, संसद सदस्य	सदस्य
12.	श्री गंगाशरण सिंह	सदस्य
13.	श्री सुधाकर पाण्डेय	सदस्य
14.	श्री रमाप्रसन्न नायक, राजभाषा सचिव तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	सदस्य-सचिव

समिति के उपर्युक्त सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे :—

1. श्री निर्मल कुमार मुखर्जी, मंत्रिमंडल सचिव
2. श्री जगत मेहता, विदेश सचिव
3. श्री एस० हरिहर अय्यर, अपर सचिव, विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग)
4. श्री ई० वेंकटेश्वरन, संयुक्त सचिव, विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग)
5. श्री हसमुख शाह, संयुक्त सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय।
6. श्री आर० राजामणी, संयुक्त सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय
7. श्री मुनीश गुप्त, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग।
8. श्री बृज किशोर शर्मा, संयुक्त सचिव एवं प्रारूपकार, विधायी विभाग (राजभाषा स्कंध),

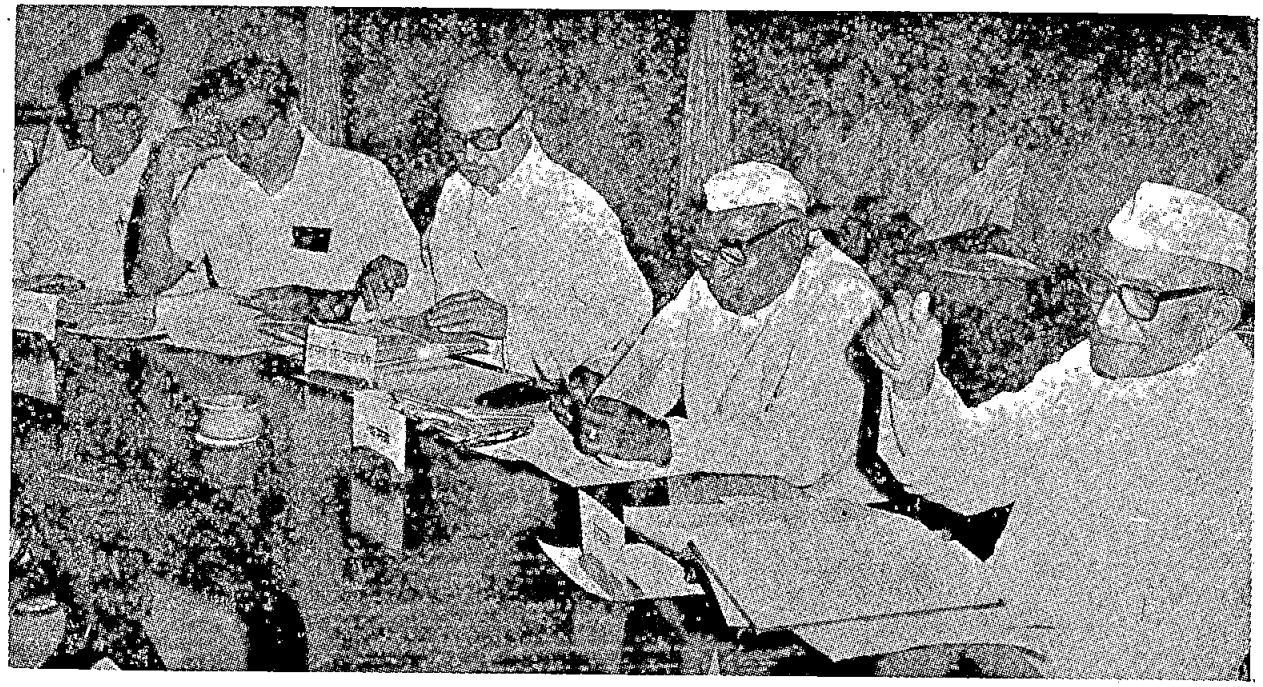

(चित्र-1) केन्द्रीय हिन्दी समिति की 16वीं बैठक में विचार विमर्श करते हुए
दाएँ से बाएँ —(1) प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई (2) रक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम (3) सूचना मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी (4) विधि मंत्री श्री शांति भूषण और (5) वित्त मंत्री श्री एच० एम० पटेल।

9. श्री बच्चू प्रसाद सिंह, विशेष कार्य अधिकारी (हिन्दी), विदेश मंत्रालय ।

10. श्री विष्णु स्वरूप सक्सेना, उपसचिव, राजभाषा विभाग

11. श्री हरिबाबू कंसल, उपसचिव, राजभाषा विभाग

12. श्री गोपाल चतुर्वेदी, उपसचिव, राजभाषा विभाग

13. राज कृष्ण बंसल, निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो

प्रमुख निर्णय और सूचनाएं

(1) हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में संविधान का प्राधिकृत अनुवाद उपलब्ध कराना

समिति ने निर्णय लिया कि संविधान के वर्तमान हिन्दी रूपान्तर को उसका प्राधिकृत अनुवाद मानने और अन्य भारतीय भाषाओं में उसका प्राधिकृत अनुवाद उपलब्ध कराने से संबंधित विधेयक को संसद् के इसी सत्र में पेश किया जाए।

(2) हिन्दी सलाहकार समितियों में संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों को नामित करना

समिति ने निर्णय लिया कि संसदीय राजभाषा समिति की उप समितियों के संयोजक तथा एक सदस्य को मंत्रालयों और विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों में सदस्य के रूप में नामित किया जाए।

(3) विभिन्न मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों की गतिविधियों की रिपोर्ट

इस संबंध में यह बताया गया कि अधिकांश मंत्रालयों की समितियों की बैठकें काफी समय तक नहीं होतीं। समिति ने इस बारे में दो निर्णय लिए :—

(i) राज भाषा विभाग यह सुनिश्चित करे कि विभिन्न मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें नियमित रूप से हर तीन महीने में एक बार हों ।

(ii) जिन मंत्रालयों में इन समितियों का गठन नहीं हुआ है, वहां तत्काल हिन्दी सलाहकार समितियां गठित की जाएँ ।

(4) प्रारम्भ में हिन्दी टाइपिस्टों/आशुलिपिकों की भर्ती तथा द्विभाषी आशुलिपिकों की वेतन वृद्धि, उनका स्तर तथा पदोन्नति की सम्भावनाएँ

समिति ने रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए, यह निर्णय लिया कि हिन्दी आशुलिपिकों/टाइपिस्टों की भर्ती के लिए, केवल हिन्दी आशुलिपि और टाइपिंग में ही उनकी परीक्षा ली जानी चाहिए । इस सिलसिले में यह भी निर्णय लिया गया कि उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाए जो अंग्रेजी आशुलिपि और टाइपिंग का भी ज्ञान रखते हों। यही सिद्धांत अंग्रेजी आशुलिपिकों और टाइपिस्टों को भर्ती करते समय भी लागू किया जाए ।

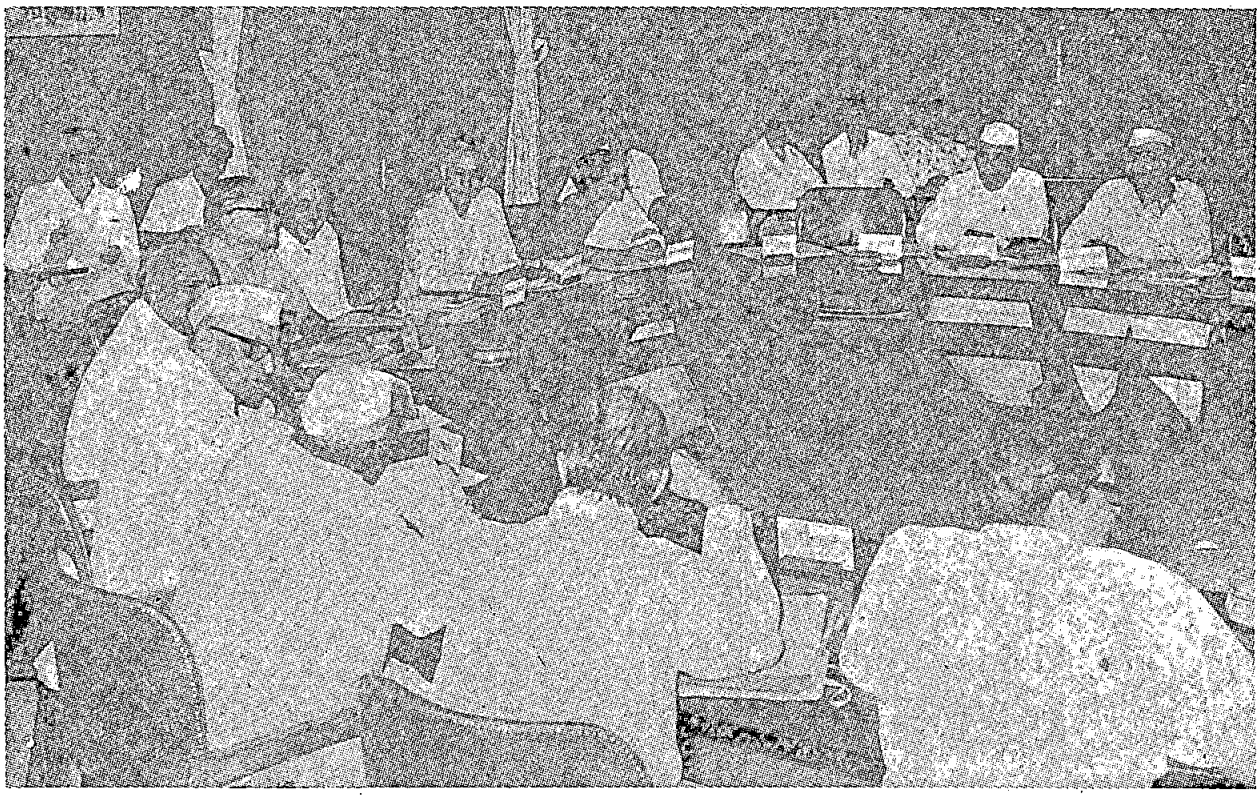

(चित्र-2) दाएँ से बाएँ (1) श्री नवाब सिंह चौहान (2) बाबू गंगाशरण सिंह (3) श्रीमती सरोजिनी महिषी (4) श्री सुधाकर पांडे (5) मंत्रिमंडल सचिव श्री एन० के० मुखर्जी (6) राजभाषा सचिव श्री रमाप्रसन्न नायक (7) गृह राज्य मंत्री श्री धनिक लाल मंडल (8) प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई (9) रक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम (10) सूचना मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी तथा (11) विधि मंत्री श्री शांति भूषण ।

समिति ने यह निर्णय भी लिया कि जब तक सभी टाइपिस्ट एवं आशुलिपिक दोनों भाषाओं में काम करने की योग्यता नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक वित्त मंत्रालय के परामर्श से, ऐसी व्यवस्था की जाए कि उन्हें विशेष वेतन दिया जा सके । एक सदस्य के सुझाव के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया कि विधि मंत्रालय में काम कर रहे कुछ द्विभाषी आशुलिपिकों की समस्या का निदान विधि मंत्री और वित्त मंत्री मिलकर एक महीने के अन्दर करा दें।

(5) गृह मंत्रालय के तत्वावधान में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी टाइपिंग व आशुलिपि की व्यवस्था करना

समिति को सूचित किया गया कि वर्तमान केन्द्रों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित छः स्थानों पर नए केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है:

1. श्रीनगर
2. चंडीगढ़
3. गौहाटी
4. कोचीन
5. भुवनेश्वर
6. जयपुर

समिति ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

इस बारे में यह भी निर्णय लिया गया कि जहां राज्य सरकारों के ऐसे केन्द्र हैं, वहां उचित मानदेय देकर केन्द्रीय कर्मचारियों को हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण की सुविधा दी जाए । साधारणतया ऐसे स्थानों पर केन्द्रीय सरकार के नए केन्द्र खोले जाएं ।

(6) अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए अंग्रेजी परीक्षा पास करने की अनिवार्यता का औचित्य

विधि मंत्री ने इस बारे में बताया कि बार काउंसिल की विधि शिक्षा समिति ने यह निर्णय लिया है कि अधिवक्ता के रूप में अंग्रेजी की परीक्षा पास करना जरूरी है ।

(7) हिन्दी सेवा संवर्ग बनाने की प्रगति पर विचार

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के कर्मचारियों को इस संवर्ग में शामिल करने के प्रश्न पर समिति में चर्चा हुई । समिति को सूचित किया गया कि विधि मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग से परामर्श करने के बाद यह पाया गया कि अधीनस्थ कार्यालयों को प्रस्तावित संवर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता और इसी आधार पर, अब यह मामला संघ लोक सेवा आयोग के समक्ष विचाराधीन है।

विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने निर्णय लिया कि जो प्रस्ताव इस समय आयोग के समक्ष है, उसको शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए। इसके बाद इस बारे में विचार किया जाए कि क्या इन दोनों कार्यालयों को संबंधित मंत्रालयों के सम्बद्ध कार्यालय बनाकर इनके कर्मचारियों को संवर्ग में शामिल किया जा सकता है ।

(8) प्रोत्साहन योजना का राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर प्रभाव तथा हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए पुरस्कार आदि देने की व्यवस्था करना

समिति को बताया गया कि वित्त मंत्रालय ने योजना में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं जिन पर उनसे चर्चा की जाएगी ।

(9) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन कार्यालयों को अधिसूचित करने के विषय में प्रगति की जानकारी

केन्द्रीय हिन्दी समिति की पिछली बैठक में भारत सरकार के 11 मंत्रालयों/विभागों तथा रेल मंत्रालय के 12 अधीनस्थ कार्यालयों को अधिसूचित करने की सूचना दी गई थी । इस बैठक में 10 और मंत्रालयों/विभागों को अधिसूचित किए जाने की सूचना दी गई । इनके अलावा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने अपने 176 सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों को भी अधिसूचित कर दिया है ।

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि राजभाषा विभाग यह जानकारी एकत्र करे कि प्रशिक्षित कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी हिन्दी में काम करते हैं । समिति ने यह भी सुझाया कि अधिसूचित कार्यालयों को नियम 8(4) में विनिर्दिष्ट करने की दिशा में शीघ्र कार्रवाई की जाए ।

(10) केन्द्रीय सरकार के उप सचिव तथा अन्य उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा एक निश्चित अवधि के दौरान हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करना

समिति का निर्णय सभी मंत्रालयों और विभागों के ध्यान में लाया गया है और उनसे कहा गया है कि निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जाए । समिति ने उपर्युक्त जानकारी नोट की ।

(11) आकाशवाणी के पाठों की भाषा को सुबोध एवं व्यावहारिक बनाना

सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने विचार व्यक्त किया कि देश के सभी भागों में आकाशवाणी के पाठों में एकरूपता लाना न तो संभव है और न ही वांछनीय। परन्तु उन का मंत्रालय इन पाठों की भाषा एवं विषयवस्तु को अधिक उपयोगी बनाने में राजभाषा विभाग एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार के परामर्श और सहयोग का स्वागत करेगा ।

(12) हिन्दी टाइपराइटरों की आवश्यकता को देखते हुए उनके निर्माण में प्रगति

पिछली बैठक में समिति को बताया गया था कि अध्यक्ष महोदय के आदेश के अनुसार टाइपराइटरों का निर्माण करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र में देवनागरी टाइपराइटरों का निर्माण करने के बारे में संचार मंत्रालय को लिखा गया है। समिति ने दी गई जानकारी नोट की।

[शेष पृष्ठ 27 पर]

भारतीय रेलों पर हिन्दी

—शिबसागर मिश्र
निदेशक (राजभाषा)
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

किसी भी देश के जीवन में उसकी एकता सर्वाधिक महत्व की वस्तु होती है। इस एकता के अभाव में न केवल उस देश की भौगोलिक और राजनैतिक अवस्था वरन् उसकी संस्कृति एवं सभ्यता और समूचा जीवन ही खतरे में पड़ जाता है। जहाँ बुनियादी तौर पर किसी देश का अध्यात्म, संस्कृति, इतिहास और जीवन मूल्य उसे एकता के सूत्र में बांधे रहते हैं, वहीं उस एकता की अभिव्यक्ति होती है भाषा के माध्यम से। भाषा वस्तुतः संस्कृति, इतिहास एवं राष्ट्रीय जीवन की संवाहिका है।

हमारा देश विशाल और महान् है और अपनी इस महानता के अनुरूप ही विविध भाषा-भाषी भी है। इसकी सभी भाषाएं समृद्ध, विकसित एवं परिपूर्ण हैं। इनमें ऐसी भाषाएँ भी हैं जिनका विश्व-साहित्य में विशिष्ट स्थान है लेकिन फिर भी हिन्दी इस देश की एक ऐसी भाषा है जिसे बहुसंख्यक जन-समुदाय समझ, बोल और लिख पढ़ सकता है। इस तथ्य एवं सत्य के दर्शन हमारे चिन्तकों, मनीषियों, सांस्कृतिक नेताओं और संत-महात्माओं ने बहुत पहले ही कर लिया था और यही कारण है कि उन्होंने अपने विचारों, आदर्शों एवं उपदेशों के प्रचार-प्रसार के लिए इस भाषा का उन्मुक्त भाव से प्रयोग किया और वे अपने मन्तव्य में सफल भी रहे।

स्वातंत्र्य आन्दोलन के दिनों में हमारे राष्ट्रीय नेताओं और विशेष रूप से महात्मा गांधी के साथ दक्षिण भारत के अनेक राष्ट्र-नायकों ने सारे देश के लिए एक भाषा की आवश्यकता का अनुभव किया। यह उनकी चिन्तनधारा और निश्चय का ही परिणाम था कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार की शुरुआत दक्षिण भारत और मद्रास से हुई। सन् 1950 में 26 जनवरी, को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को केन्द्र की भाषा का स्थान प्रदान किया गया। संविधान को लागू हुए 28 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, फिर भी हिन्दी को सरकारी कामकाज में अपना यथोचित स्थान प्राप्त करने के लिए अभी भी बहुत लम्बा रास्ता तय करना शेष है। इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी के प्रयोग में सभी सरकारी कार्यालयों और साथ ही रेल कार्यालयों में भी सांविधिक दायित्वों को पूरा करने लिए अनेक ठोस कदम उठाये गये हैं, लेकिन राजभाषा के प्रति अभिरुचि और जागृति एवं उत्साह के अभाव में हिन्दी का प्रयोग-प्रसार उतना नहीं हो सका है, जितना होना चाहिए था।

जहाँ तक रेल संगठन का सवाल है, यह मुख्यतः तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है जिसमें काम करने वाले अधिकतर कर्मचारी और अधिकारी प्रायः प्राविधिक विशेषज्ञों और तकनीकी कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा-दीक्षा अंग्रेजी माध्यम से पूरी की है जिसके कारण उन्हें राजभाषा हिन्दी के प्रति रुचि होने के बावजूद हिन्दी में काम करने की कठिनाइयां हैं जिन्हें नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के मार्ग में एक और बड़ी कठिनाई यह है कि हिन्दी में काम करने का यह अर्थ लिया जाता है कि हिन्दी का काम केवल उन्हें करना है जो इसके लिए नियुक्त किये गये हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दी सम्बन्धी कागजात अनुवाद के लिए हिन्दी विभाग को भेजकर निश्चिन्त हो जाने की परम्परा चल पड़ी। निदान, राजभाषा मात्र अनुवाद की बनावटी और अनुपयोगी भाषा बन कर रह गयी।

हमारी नीति बराबर यह रही है और आज भी है कि हिन्दी न जानने वालों पर जोर-दबाव डाल कर उनसे हिन्दी में काम न लिया जाय। अभी भी हमारी निश्चित नीति है और उसी के अनुसार काम भी हो रहा है कि अहिन्दी क्षेत्रों के कार्यालयों से अंग्रेजी में ही पत्र-व्यवहार किया जाय। बेशक, यह सुनिश्चित करने की अनवरत् चेष्टा की गयी है कि नौकरी में आने के बाद समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी सिखायी जाय। इसके लिए हिन्दी प्रशिक्षण का कार्य शुरू किया गया जो यों तो सन् 1952 में ही आरम्भ हो गया था लेकिन प्रारम्भ के वर्षों में यह सुचारू ढंग से नहीं चल पाया। इसके अतिरिक्त जिन रेल कर्मचारियों ने हिन्दी सीखी, वे हिन्दी में काम करने के लिए बाध्य नहीं थे। यही स्थिति हिन्दी में प्रशिक्षित टाइपिस्टों और आशुलिपिकों की भी रही और इसका फल यह हुआ कि हिन्दी सीखे हुए हजारों कर्मचारी अभ्यास के अभाव में अपना हिन्दी ज्ञान भूलते चले गये। अतः अब यह जरूरी समझा जाने लगा है कि हिन्दी के प्रशिक्षिण की गति बढ़ाने के साथ-साथ हिन्दी सीखे हुए कर्मचारी हिन्दी माध्यम से काम भी करना शुरू करें। जिससे

क्रमशः हिन्दी में काम करने का उनका अभ्यास बड़े और सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग-प्रसार को प्रोत्साहन मिले।

रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड कार्यालय तथा सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग से सम्बन्धित संवैधानिक दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रयत्नशील है। फिर भी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इस दिशा में काफी प्रयत्न आवश्यक है। राजभाषा अधिनियम, 1967, की धारा 3(3) में उल्लिखित द्विभाषी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी रेल कार्यालयों में हिन्दी संबन्धी स्टाफ की कमी है। इस सम्बन्ध में उनकी आवश्यकता का आकलन किया गया है और रेल कार्यालयों तथा बोर्ड कार्यालय की समेकित मांग के आधार पर एक प्रस्ताव तैयार किया गया है कि जिस पर बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है। फिर भी यह सन्तोष का विषय है कि अपेक्षित संख्या में हिन्दी कर्मचारियों की कमी के बावजूद बोर्ड कार्यालय तथा रेलों के विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी का व्यवहार उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। रेल कर्मचारियों एवं अधिकारियों में स्वेच्छा से हिन्दी सीखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है जिसके फलस्वरूप अनेक कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान एवं प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

अधिसूचित कार्यालय

विभिन्न रेल कार्यालयों में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से राजभाषा नियम, 1976, के नियम 10(4) का अनुपालन करते हुए (क) और (ख) क्षेत्रों के स्थित क्षेत्रीय रेलों के अनेक मण्डलों/कार्यालयों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। इन अधिसूचित कार्यालयों में टिप्पणी, प्रारूप लेखन और अन्य निर्दिष्ट शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों द्वारा केवल हिन्दी का ही प्रयोग किया जाना अपेक्षित है। राजभाषा के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुपालन में रेल मंत्रालय की तत्परता का ही परिणाम है कि पिछले तीन महीनों की अवधि में इस मंत्रालय के अधिसूचित कार्यालयों की संख्या पाँच से बढ़कर 27 हो गयी है। ये अधिसूचित कार्यालय हैं :—पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय सभी मण्डलों और कारखानों सहित, उत्तर रेलवे मुख्यालय तथा दिल्ली, जोधपुर, इलाहाबाद, बीकानेर, लखनऊ मंडल और क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर और मध्य रेलवे झांसी, जबलपुर, भुसावल और नागपुर मंडल, पश्चिम रेलवे का जयपुर, रतलाम, अजमेर और कोटा मंडल तथा क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद और पूर्व रेलवे का दानापुर मंडल तथा रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद और मुजफ्फरपुर। इन कार्यालयों के अलावा अन्य रेल कार्यालयों में भी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले सभी कर्मचारियों की गणना की जा रही है ताकि उन्हें भी नियमानुसार अधिसूचित करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा सके।

सत्ताइस रेल कार्यालयों को अधिसूचित करने का महत्व समझने के लिए रेल संगठन की जानकारी आवश्यक है। सामान्यतः एक रेलवे के अधीन आठ मंडल हैं और किसी-किसी में चार मंडल जैसे पूर्वोत्तर रेलवे में। इन मंडलों के अतिरिक्त कई बड़े-बड़े कारखाने भी होते हैं और अनुमानतः एक मंडल में लगभग 30,000 कर्मचारी होते हैं। दिल्ली मंडल इसका अपवाद है जहाँ लगभग 50,000 कर्मचारी काम करते हैं। एक मंडल के अधीन कई अन्य कार्यालय भी होते हैं। अतः एक रेलवे में यदि सभी कार्यालयों एवं कारखानों की संख्या जोड़ी जाय तो सैंकड़ों में पहुंचेगी।

रेल मंत्रालय सरकार की द्विभाषी नीति और राजभाषा नियम, 1976, के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बराबर प्रयत्नशील है। राजभाषा संशोधन अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सामान्य आदेश, परिपत्र, संकल्प, गजट अधिसूचनाओं आदि को द्विभाषी रूप में जारी करने तथा हिन्दी भाषी राज्यों/क्षेत्रों में स्थित रेल कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्रों को यथास्थिति हिन्दी या द्विभाषी रूप में जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड कार्यालय में समय-समय पर जाँच की जाती है। बोर्ड कार्यालय के रोनियो अनुभाग में निर्धारित चैक प्वांइट को और कारगर बनाने के उद्देश्य से इस अनुभाग में प्रत्येक महीने एक सप्ताह तक विशेष जाँच की रिपोर्ट रेल मंत्री के अवलोनार्थ प्रस्तुत की जाती है। जिन अनुभागों में इन नियमों के अनुपालन में शिथिलता पायी जाती है, उनके निदेशकों से इस कमी को दूर करने का अनुरोध किया जाता है। इस जाँच के उत्साहवर्द्धक परिणाम निकले हैं और अनुभागों द्वारा समान्य आदेश, परिपत्र आदि केवल अंग्रेजी में भेजने की प्रवृत्ति धीरे-धीरे कम हो रही है। लेकिन इस विशेष जाँच के परिणामस्वरूप अनुवाद का काम कई गुना बढ़ गया है।

रेल मंत्रालय के 165 अनुभागों में से 88 अनुभागों में 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत कर्मचारियों को हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान प्राप्त है और इन सभी अनुभागों में आंशिक रूप से हिन्दी में काम हो रहा है। शेष जिन अनुभागों में कार्य-साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों की संख्या 60 प्रतिशत से कम है, उसे बढ़ाने की समुचित व्यवस्था की गयी है।

पत्रादि में हिन्दी का प्रयोग

बोर्ड कार्यालय में दिसम्बर, 1977 की तिमाही में कुल 4,244 पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए थे जिनमें से 1,900 पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए। मार्च, 1978 की तिमाही में 3,714 हिन्दी पत्रों में से 2,040 के उत्तर हिन्दी में दिए गए हैं। दिसम्बर, 1977 की तिमाही में 'क' क्षेत्र के कार्यालयों को 416 पत्र मूल रूप में हिन्दी में भेजे गए मार्च, 1978 की तिमाही में मूल रूप से हिन्दी में भेजे जाने वाले पत्रों की संख्या बढ़कर 994 हो गयी। 'ख' क्षेत्र के कार्यालयों को दिसम्बर,

1977 की तिमाही में 55 पत्र मूल रूप से हिन्दी में भेजे गए, जबकि मार्च, 1978, की तिमाही में इन पत्रों की संख्या बढ़कर 384 हो गयी। इस प्रकार 'क' और 'ख' क्षेत्रों के लिए मूल रूप से हिन्दी में भेजे गये पत्रों की संख्या में दिसम्बर, 1977 की तिमाही की तुलना में मार्च, 1978 की तिमाही में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार दिसम्बर, 1977, की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार 254 सामान्य आदेश, परिपत्र आदि में से 187 द्विभाषी रूप में और 24 केवल हिन्दी में जारी किए गए जबकि मार्च, 1978 की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार 177 कागजातों में से 146 द्विभाषी रूप में और 21 केवल हिन्दी में जारी किए गए। दूसरे शब्दों में दिसम्बर, 1977 में हिन्दी या द्विभाषी रूप में जारी किए गए परिपत्र, सामान्य आदेशों आदि का प्रतिशत 72 था, जो मार्च, 1978 की तिमाही में बढ़ाकर 83.1 हो गया। यह बोर्ड कार्यालय के हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रत्येक महीने की जाने वाली जांच का सुपरिणाम है।

सम्पूर्ण भारतीय रेलों पर दिसम्बर, 1977 की तिमाही में कुल 3 लाख 33 हजार से भी अधिक पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए, जिनमें से 2 लाख 55 हजार पत्रों के उत्तर हिन्दी में तथा 10.635 प्रलेख (हिन्दी-अंग्रेजी) द्विभाषी रूप में तथा 18,536, प्रलेख केवल हिन्दी में जारी किये गये परन्तु 94,635 प्रलेख केवल अंग्रेजी में जारी किये गये जिनके सम्बन्ध में रेलों का यही कहना है कि उनके पास हिन्दी के काम के लिए कर्मचारियों की कमी है इस तथ्य की ओर संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति ने भी रेल मंत्रालय का ध्यान दिलाया है।

26 मई, 1978 को पुरी में आयोजित रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक का चित्र।

रेलों के लिए वार्षिक कार्यक्रम

वर्ष 1978-79 में हिन्दी की प्रगति के लिए 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित रेल कार्यालयों के वास्ते अलग-अलग वार्षिक कार्यक्रम जारी किये जा चुके हैं और सम्बन्धित रेल कार्यालयों को इन कार्यक्रमों के परिपालन के लिए अपेक्षित हिदायतें भी दी गयी हैं। इन कार्यक्रमों के अनुसार 'क' क्षेत्र में स्थित रेल कार्यालयों के लिए कम से कम 60 प्रतिशत, 'ख' क्षेत्र के लिए 40 प्रतिशत और 'ग' क्षेत्र के लिए 20 प्रतिशत हिन्दी के प्रयोग के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

अभी हाल के एक निर्णय के अनुसार रेलों पर हिन्दी की प्रगति का जायजा लेने के लिए दक्षिण और दक्षिण-मध्य रेलों को छोड़ कर अन्य सभी रेलों के महाप्रबन्धकों से हिन्दी की प्रगति का संक्षिप्त विवरण मासिक प्रगति रिपोर्ट के रूप

में मंगाना शुरू किया गया है । प्रत्येक रेलवे की रिपोर्ट की संक्षिप्त समीक्षा रेल मंत्री के अवलोकनार्थ भी प्रस्तुत की जाती है । इस रिपोर्ट के मंगाये जाने के फलस्वरूप रेलों पर तथा रेल मंत्रालय में सर्वोच्च स्तर पर हिन्दी की प्रगति के विश्लेषण की प्रक्रिया का सूत्रपात हुआ है तथा इस दिशा में रेलों पर जागरूकता बढ़ी है । इन रिपोर्टों की समीक्षा का ही यह फल है कि क्षेत्रीय रेलें अपने कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिये नये-नये प्रयास कर रही हैं और उन्हें सफल बनाने में काफी प्रयत्नशील हैं ।

पिछले कुछ वर्षों से हिन्दी के प्रयोग की दिशा में पूर्वोत्तर रेलवे सभी रेलों से आगे हैं । यह रेलवे पूर्णतः हिन्दी भाषी क्षेत्र में है और इसके सभी कार्यालयों में 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों ने हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है । तदनुसार इस रेलवे के प्रधान कार्यालय, सभी चार मण्डलों और कारखानों को दिसम्बर, 1977, में अधिसूचित कार्यालय घोषित कर दिया गया । इस रेलवे के विभिन्न कार्यालयों में लगभग 90 प्रतिशत कामकाज हिन्दी में किया जा रहा है जो इस रेलवे द्वारा अधिक संख्या में देवनागरी टाइपराइटरों की व्यवस्था किए जाने के कारण ही सम्भव हो पाया है । इस रेलवे पर इस समय 612 देवनागरी टाइपराइटर हैं जो अन्य रेलों की अपेक्षा अधिक हैं । इस रेलवे द्वारा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समय-समय पर अभियान चलाए जाते रहे हैं । नमूना सर्वेक्षण और टेबुल ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाती रही हैं। इन प्रयासों का अच्छा प्रभाव पड़ा है और सहायक साहित्य की मांग भी काफी बढ़ी है, जिसकी आपूर्ति की गयी है । हिन्दी का सर्वाधिक प्रयोग करने के लिए इस रेलवे को पिछले दो वर्षों में लगातार रेल मंत्री राजभाषा शील्ड प्रदान की गयी है ।

हिन्दी की प्रगति की दृष्टि से पूर्वोत्तर रेलवे के बाद मध्य रेलवे का स्थान आता है । इस रेलवे का कार्य-क्षेत्र हिन्दी, मराठी और कन्नड़ भाषी क्षेत्रों में फैला हुआ है, फिर भी हिन्दी के प्रयोग में इसने काफी प्रगति की है । इस रेलवे के झांसी, जबलपुर, भुसावल और नागपुर के चार मण्डल हाल में अधिसूचित कार्यालय घोषित किय गये हैं । जबलपुर मण्डल में लगभग 90 प्रतिशत, झांसी मण्डल में लगभग 70 प्रतिशत और झांसी स्थित कारखाने में लगभग 90 प्रतिशत से अधिक कामकाज हिन्दी में किया जा रहा है । इस रेलवे पर लगभग 85 प्रतिशत अहिन्दी भाषी अधिकारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है और 62 प्रतिशत कर्मचारियों ने अपना कामकाज हिन्दी में करना शुरू कर दिया है । अहिन्दी भाषी कर्मचारी भी हिन्दी में काम करने का प्रयास कर रहे हैं । यह रेलवे राजभाषा नियमों के परिचालन की दिशा में पूर्ण प्रयत्नशील है, जिसके लिए अनेक कार्यालयों में चैक प्वाइंट बनाये गये हैं परन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में अपेक्षित संख्या में हिन्दी कर्मचारी न होने और देवनागरी टाइपराइटरों की कमी को बाधक बताया है । उनसे अपने साधनों से ही अपेक्षित संख्या में देवनागरी टाइपराइटरों की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है । इस रेलवे पर इस समय 245 देवनागरी टाइपराइटर हैं । हिन्दी में काम करने की झिझक को दूर करने के लिए इस रेलवे के बम्बई मण्डल में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया है ।

हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के प्रयासों में पश्चिम रेलवे भी पीछे नहीं है । इस रेलवे के आठ मण्डलों में से चार मण्डल (क) क्षेत्र में और चार मण्डल (ख) क्षेत्र में पड़ते हैं । हाल में इस रेलवे के 'क' क्षेत्र में पड़ने वाले चारों मण्डलों को तथा अहमदाबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को फरवरी, 1978, में अधिसूचित कार्यालय घोषित किया गया है । इस रेलवे पर प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों में अधिकांश परिचालन कोटि के वे कर्मचारी हैं जो शिफ्ट ड्यूटी के कारण दैनिक कक्षाओं में नहीं जा सकते । अतः उन्हें निजी तौर पर तैयारी करके निर्धारित हिन्दी परीक्षाएं पास करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा किया जा सके । इस रेलवे के अधिसूचित कार्यालयों में पत्र-व्यवहार में लगभग 85 प्रतिशत हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है ।

यद्यपि उत्तर रेलवे के कई कार्यालयों में हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों की संख्या काफी अधिक है, फिर भी इस रेलवे पर हिन्दी के प्रयोग की दिशा में वांछित प्रगति नहीं हुई है । इस रेलवे के प्रधान कार्यालय के अलावा इलाहाबाद, दिल्ली, जोधपुर, बीकानेर और लखनऊ के पांच मण्डलों तथा कानपुर के क्षेत्रीय कार्यालय को अधिसूचित कर दिया गया है । इस रेलवे ने हिन्दी प्रशिक्षण कार्य को निश्चित अवधि के भीतर पूरा करने के लिए नौ नये प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं । इस रेलवे पर 72 प्रतिशत कामकाज हिन्दी में हो रहा है ।

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में प्रगति

पूर्व रेलवे के दानापुर और धनबाद मण्डल ही 'क' क्षेत्र में स्थित हैं और शेष भाग 'ग' क्षेत्र में पड़ते हैं । इस रेलवे के दानापुर मण्डल को अधिसूचित कार्यालय घोषित कर दिया गया है । यद्यपि इस रेलवे के धनबाद मण्डल में फरवरी, 1978, से कार्यशाला चालू की गयी है, परन्तु इस रेलवे पर हिन्दी के प्रयोग की कुल स्थिति सन्तोषजनक नहीं है ।

इसी प्रकार दक्षिण-पूर्व रेलवे का मुख्यालय और चार मण्डल अहिन्दी भाषी क्षेत्र में स्थित हैं और नागपुर मण्डल 'ख' राज्य में है । यद्यपि चक्रधरपुर मण्डल हिन्दी भाषी क्षेत्र में है, परन्तु इसका कुछ भाग उड़ीसा प्रदेश में भी पड़ता है । केवल बिलासपुर मण्डल ऐसा है जो हिन्दी भाषी क्षेत्र में है । इस रेलवे का अधिकांश भाग अहिन्दी प्रदेश में होते हुए भी यह रेलवे अपने कार्य-क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए काफी प्रयत्नशील है । इस रेलवे के बिलासपुर और नागपुर मण्डलों में हिन्दी के प्रयोग के प्रति काफी उत्साह

है । चक्रधर मण्डल में भी इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है । इस रेलवे पर हिन्दी प्रशिक्षण में तेजी लाने के उद्देश्य से रेलवे की विभागीय व्यवस्था के अन्तर्गत 13 अंशकालिक केन्द्र खोले गये हैं। इसी प्रकार हिन्दी टाईपिंग और स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षण देने के लिए भी 6 अंशकालिक विभागीय केन्द्र खोले गये हैं । बिलासपुर, नागपुर और चक्रधर मण्डलों में कार्यशालाएँ चलायी गयी हैं । बिलासपुर मण्डल की कार्यशालाएँ मई, 1978 से आरम्भ की गयी हैं।

पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे के कटिहार मण्डल को छोड़कर सम्पूर्ण रेलवे अहिन्दी भाषी क्षेत्र में स्थित हैं । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए रेलवे के मुख्यालय और मण्डलों में हिन्दी प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । साथ ही हिन्दी में प्रशिक्षित और हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों को हिन्दी में कामकाज करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस रेलवे पर हिन्दी टाईपिंग और स्टेनोग्राफी के प्रशिक्षण के लिए गृह मंत्रालय की कोई व्यवस्था नहीं है और प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी काफी कमी है जिसे पूरा करने के लिए हाल ही में पूर्वोत्तर रेलवे से एक प्रशिक्षित स्टेनोग्राफर को वहाँ भेजने का निर्णय किया गया है जो हिन्दी टाईपिंग और स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षण देगा ।

सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित रेल कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है । दक्षिण रेलवे का प्रधान कार्यालय और मण्डल 'ग' क्षेत्र में पड़ते हैं लेकिन इसका प्रधान कार्यालय और त्रिचुरापल्लि मण्डल पूर्णतः तमिलनाडु राज्य में हैं, जिस पर राजभाषा, 1976, के प्रावधान लागू नहीं हैं । इस रेलवे के अधिकांश कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाना है । इस रेलवे के सम्बन्ध में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि केवल एक छोटे से हिन्दी कक्ष द्वारा इस रेलवे पर प्रयुक्त 3,843 फार्मों में से 2,517 फार्मों का हिन्दीकरण हो चुका है और 507 फार्मों को द्विभाषी रूप में छपवा लिया गया है । इस रेलवे का राजपत्र भी जनवरी, 1978, से हिन्दी में भी जारी किया जा रहा है ।

दक्षिण रेलवे की भांति दक्षिण-मध्य रेलवे भी पूर्णतः 'ग' क्षेत्र में स्थित है । गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के कार्यालयों में पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग के लिए केवल 10 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित है । इन दोनों रेलों पर हिन्दी के प्रयोग की प्रगति कुछ धीमी है । इसका मुख्य कारण इनकी स्थिति तथा इनके मंडलों और अन्य कार्यालयों में हिन्दी के काम के लिए कर्मचारियों का अभाव है । इन दोनों रेलों पर हिन्दी के प्रयोग की प्रगति कुछ धीमी है । इन दोनों रेलों के मुख्यालयों को छोड़कर अन्य कार्यालयों में हिन्दी यूनिटों की व्यवस्था नहीं है । दक्षिण रेलवे पर तो मण्डलों में एक भी अनुवादक नहीं है । फिर भी इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि 'ग' क्षेत्र में होते हुए भी इन रेलों के महाप्रबंधकों की वार्षिक विवरणात्मक रिपोर्ट हिन्दी में भी तैयार की जाती हैं ।

उत्पादन इकाइयों में हिन्दी

सवारी डिब्बा कारखाना भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जिस पर राजभाषा नियम लागू नहीं होते । इस कारखाने के हिन्दी कक्ष में ही थोड़ा बहुत काम हिन्दी में होता है, शेष अनुभागों में काम अंग्रेजी में ही किया जाता है । यह संगठन पूर्णतः तकनीकी है। फिर भी इस कारखाने में प्रयुक्त 265 फार्मों में से 264 फार्मों का हिन्दी अनुवाद हो चुका है और 105 फार्म हिन्दी में छपवाये भी जा चुके हैं । इस कारखाने के सभी पत्र शीर्ष और लिफाफों पर अभिलेख द्विभाषी रूप में छपे हैं । मुख्य समारोहों के निमन्त्रण-पत्र द्विभाषी रूप में छपवाये जाते हैं ।

वाराणसी स्थित डीजल रेल इंजन कारखाना पूर्णतया हिन्दी भाषी 'क' क्षेत्र में है । इस कारखाने में पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग का प्रतिशत लगभग 42 है जबकि धारा 3(3) के अनुसार जारी किये जाने वाले कागजात का प्रतिशत 55 है । इस संगठन का अधिकतर काम तकनीकी है और तकनीकी कार्य से सम्बन्धित पत्रादि मूल रूप से हिन्दी में लिखने में कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारी कठिनाई अनुभव करते हैं । फिर भी गैर-तकनीकी फार्मों में करीब 60 प्रतिशत और तकनीकी फार्मों में करीब 30 प्रतिशत टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखी जाती हैं । इस कारखाने में एक कार्यशाला चलायी जा रही है ।

चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना भी पूर्णतः तकनीकी संगठन है और 'ग' क्षेत्र में स्थित है, परन्तु इस कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति में हाल में कुछ सुधार हुआ है । इस कारखाने में कर्मचारियों का हिन्दी-ज्ञान बढ़ाने के लिए पाँच हिन्दी पुस्तकालयों की व्यवस्था की गयी है । चित्तरंजन नामक मासिक पत्रिका के साथ एक 'तकनीकी पत्रिका' भी प्रति माह प्रकाशित की जाती है । मासिक राजपत्र हिन्दी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया जाता है । महाप्रबंधक की वार्षिक रिपोर्ट प्रति वर्ष हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित की जाती है । यहाँ 19 जनवरी, 1978, में एक कार्यशाला चालू की गयी है । कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए निजी प्रयास से 6 विभागीय कक्षाएँ चलायी जा रही हैं । हिन्दी के आठ टाइपराइटर उपलब्ध हैं । छः और टाइपराइटर प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं । प्रायः सभी नाम बोर्ड बंगला, हिन्दी और अंग्रेजी में हैं । यहाँ हिन्दी में प्राप्त लगभग 80 प्रतिशत पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही भेजे जाते हैं । धारा 3(3) के अन्तर्गत हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी किये जाने वाले प्रलेखों का प्रतिशत लगभग 30 है ।

रेल मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन है जो हिन्दी भाषी क्षेत्र लखनऊ में स्थित है । इस कार्यालय का काम तकनीकी होते हुए भी यह हिन्दी के प्रयोग की दिशा में काफी प्रयत्नशील है । हिन्दी टाईपिंग का प्रशिक्षण देने के लिए इस कार्यालय में विभागीय व्यवस्था की गयी है । इस कार्यालय द्वारा प्रति

रेल मंत्री श्री मधु दंडवते अखिल भारतीय रेल हिन्दी सप्ताह समारोह के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए ।

वर्ष लगभग 200 तकनीकी प्रकाशन निकाले जाते हैं। अपेक्षित संख्या में कर्मचारियों की कमी के कारण तथा काम तकनीकी होने के कारण इनमें से कुछ-एक को छोड़कर सभी अंग्रेजी में जारी किये जाते हैं । इस कार्यालय द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों का शत-प्रतिशत उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है । धारा 3(3) में उल्लिखित सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी किये जाते हैं ।

नियमावलियों का हिन्दीकरण

हिन्दी में काम करने के इच्छुक कर्मचारियों की सुविधा के लिए रेल मंत्रालय और विभिन्न क्षेत्रीय रेलों द्वारा रेलवे नियमावलियों के हिन्दीकरण के काम में तेजी लायी गयी है। नियम पुस्तकों के हिन्दी संस्करणों में प्रयुक्त होने वाले तकनीकी शब्दों के हिन्दी पर्यायों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से सलाहकार समिति की एक उपसमिति शब्दावली समिति के नाम से गठित की गयी है । यह समिति रेलवे के तकनीकी शब्दों के हिन्दी पर्यायों के बारे में सुझाव देती है, जिन्हें वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के अनुमोदन से अन्तिम रूप दिया जाता है ।

संक्षेप में इन तथ्यों से स्पष्ट है कि रेल मंत्रालय हिन्दी के प्रयोग-प्रसार के लिए चौतरफा प्रयत्न कर रहा है, इसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर रहा है और इसके लिए हर प्रकार से कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रेरणा प्रदान कर रहा है । प्रत्येक रेलवे में अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी सप्ताह समारोह का आयोजन एक नियमित कार्यक्रम बन गया है । प्रत्येक स्तर पर हिन्दी में अच्छा काम करने वालों को पुरस्कृत करना उसके समग्र कार्यक्रम का अंग बन गया है । विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और पदक, शील्ड एवं पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं । हिन्दी में अभिरुचि बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से हिन्दी पुस्तकालयों की व्यवस्था की जा रही है, पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित की जा रही हैं तथा यथोचित सहायक साहित्य और अन्य उपयोगी सामग्री सुलभ की जा रही है । इन प्रयत्नों का प्रभाव समूची रेल व्यवस्था पर पड़ा है और हिन्दी के पक्ष में अनुकूल वातावरण पैदा हुआ है ।

राजभाषा हिन्दी के प्रयोग-प्रसार की सभी योजनाओं की सफलता विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों एवं अधिकारियों के सक्रिय सहयोग पर निर्भर हैं । यह सन्तोष की बात है कि छोटे-बड़े सभी कर्मचारी राजभाषा के प्रति अपने दायित्व को समझते हैं और इसके प्रति अपने कर्त्तव्यों के निर्वाह के लिए पूर्णतः जागरूक हैं । उन्होंने यह भी अनुभव किया है कि हिन्दी के माध्यम से रेलवे जनता के अधिक निकट होती जा रही है और इस निकटता को और आगे ले जाने और प्रगाढ़ बनाने के लिए वे कटिबद्ध हैं । □ □ □

विदेश मंत्रालय और हिन्दी

वच्चू प्रसाद सिंह
विशेषाधिकारी (हिन्दी)

भारत और भारत से बाहर दो वर्षों के भीतर ही दो विश्व हिन्दी सम्मेलन हुए और दोनों ही विश्व हिन्दी सम्मेलनों में संसार के कोने-कोने से हिन्दी के विद्वान्, कवि, लेखक, पत्रकार पधारे। विश्व हिन्दी सम्मेलन की अनेक उपलब्धियां रही हैं किन्तु उनमें सबसे प्रमुख बात वह उभरकर सामने आई कि सारे विश्व में हिन्दी के प्रति एक नई चेतना का उदय हुआ और जो भी भारत को जानना चाहता है उसके लिये यह आवश्यक है कि उसे हिन्दी का ज्ञान हो। दोनों सम्मेलनों में एक स्वर से यह मांग भी की गई कि राष्ट्रसंघ में हिन्दी को समुचित स्थान प्राप्त हो और इस प्रस्ताव का हर किसी ने हृदय से समर्थन किया। संसार भर के हिन्दी प्रेमियों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए विगत 4 अक्तूबर, 1977 को संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा में विदेशमंत्री जी ने स्वयं हिन्दी में भाषण देकर हिन्दी को संयुक्त राष्ट्रसंघ में प्रतिष्ठापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। संयुक्त राष्ट्रसंघ की आधिकारिक भाषाओं में हिन्दी को स्थान दिलाने के लिये कार्रवाई चल रही है। इस संबंध में अनेक कठिनाइयां हैं, किन्तु इन कठिनाइयों के बावजूद सरकार राष्ट्रसंघ के विभिन्न सदस्य देशों से अनौपचारिक रूप से विचार-विमर्श कर रही है और फिलहाल यह निर्णय लिया गया है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ में पेश किये जाने वाले सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हिन्दी में भी जारी किया जाये।

संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिन्दी में भाषण करते हुए भारत के विदेश मंत्री श्री अटल विहारी वाजपेयी

इस प्रकार राष्ट्रसंघ में हिन्दी का शुभारंभ हुआ किन्तु उसकी पूर्व पीठिका के रूप में विदेश मंत्रालय में हिन्दी की स्थिति को देखना होगा। हिन्दी के संदर्भ में विदेश मंत्रालय के दायित्व को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। इन में सबसे पहला राजभाषा अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये विभिन्न नियमों तथा आदेशों का क्रियान्वयन, दूसरा नयाचार विषयक मामले तथा तीसरा विदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार है।

भारत की राजभाषा नीति के अनुरूप विदेश मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है तथा राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के परिणामस्वरूप जिन अनिवार्य द्विभाषी स्थिति से अभी हम गुजर रहे हैं और जिन-जिन विषयों में हिन्दी के प्रयोग की आवश्यकता है, उन सभी क्षेत्रों में यह पूरी कोशिश की जा रही है कि हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए।

मुख्यालय में राजभाषा संबंधी नियमों के क्रियान्वयन तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिये हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं और यह भी कोशिश की जा रही है कि कुछ अनुभागों में मूल रूप से हिन्दी में काम प्रारंभ किया जाये। हिन्दी में सरकारी कामकाज को सुगम बनाने की दृष्टि से सभी अनुभागों एवं दूतावासों को आवश्यक सहायक साहित्य उपलब्ध कराये गये हैं। वरिष्ठ अधिकारियों में विदेश सचिव एवं अपर सचिव सहित अनेक संयुक्त सचिव भी टिप्पणी आदि में हिन्दी का प्रयोग करते हैं जिनसे प्रेरणा पाकर मंत्रालय के अन्य अधिकारी/कर्मचारी भी अपने सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग कर रहे हैं।

विदेश स्थित भारतीय राजदूतावासों में राजभाषा नियमों का क्रियान्वयन वस्तुतः एक कठिन कार्य है। विदेश मंत्रालय अपने राजदूतावासों में भी हिन्दी के प्रयोग के लिये उसी प्रकार सक्रिय एवं सचेष्ट है, जिस प्रकार भारत स्थित अपने अन्य कार्यालयों के लिये। हमारे इन्हीं प्रयत्नों के परिणामस्वरूप भारतीय मिशनों के नाम-पट्ट, साइनबोर्ड, शीर्षनामे आदि हिन्दी में भी तैयार कराये गये हैं। औपचारिक समारोहों पर हिन्दी में भी निमंत्रण-पत्र मुद्रित करवाने के अनुदेश भेज दिये गये हैं। हमारे मिशनों द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिये जाते हैं। हमारे सभी दूतावास हिन्दी के समाचार-पत्र और पत्रिकायें मँगवाते हैं और उनका उपयोग दूतावासों के वाचनालयों एवं पुस्तकालयों में होता है।

दूतावासों में कार्यरत अधिकारियों से यह अनुरोध किया गया है कि हिन्दी जानने वाले सभी लोगों के साथ वे अपनी बातचीत में यथासंभव हिन्दी का प्रयोग करें और औपचारिक अवसरों पर हिन्दी में भाषण दें । राजदूतों से यह भी अनुरोध किया गया है कि राज्याध्यक्षों के सम्मुख अपने परिचय-पत्र प्रस्तुत करते समय वे यथा संभव हिन्दी में भाषण देने का प्रयास करें और हमारे कुछ राजदूतों ने अपने परिचय-पत्र प्रस्तुत करते समय हिन्दी में अपना संक्षिप्त भाषण भी दिया है। दूतावासों को यह भी बताया गया है कि वे मंत्रालय के साथ अपने पत्र-व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग करें और कुछ दूतावास अपने पत्र-व्यवहार में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं ।

दूतावासों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से इस वर्ष 47 हिन्दी टाइपराइटर और खरीदे जा रहे हैं ताकि सभी दूतावासों में एक-एक हिन्दी टाइपराइटर की आपूर्ति के कार्यक्रम को दो या तीन वर्षों में पूरा कर लिया जाये । 19 दूतावासों में पहले से ही हिन्दी टाइपराइटर मौजूद हैं । विदेशों में हिन्दी प्रचार-प्रसार में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं तथा कुछ विश्वविद्यालयों को भी उपहार-स्वरूप हिन्दी टाइपराइटर दिये गये हैं । फिजी, मारीशस और सूरीनाम में हिन्दी स्टैनोग्राफर भेजे जा चुके हैं तथा लंदन और काठमांडू, स्थित अपने दूतावास में हिन्दी अनुवादक भी तनात किये गये हैं ।

विदेश मंत्रालय द्वारा नयाचार संबंधी सभी प्रलेख मूल रूप से हिन्दी में भेजे जाते हैं तथा इन प्रलेखों के साथ अंग्रेजी अनुवाद संलग्न रहता है । जब हमारे नये राजदूत किसी देश में अपना कार्यभार ग्रहण करने के बाद वहां के राज्याध्यक्ष के समक्ष अपना परिचय-पत्र प्रस्तुत करते हैं तो वह परिचय-पत्र मूल रूप से हिन्दी में होता है और उस पर हमारे महामहिम राष्ट्रपति एवं विदेशमंत्री जी के हस्ताक्षर होते हैं। इसके अतिरिक्त नियुक्ति-समादेश, प्रत्यावहन-पत्र आदि भी हिन्दी में अत्यन्त आकर्षक-पत्र पर तैयार किये जाते हैं ।

अपने कार्यकलाप में हमें राजनय की अनेक समस्याओं से जूझना होता है । राजनय में भाषा की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है तथा किसी भी प्रलेख को तैयार करते समय पूरी बारीकी से प्रत्येक वाक्य का विश्लेषण करना होता है ताकि सरलीकरण के अतिशय आग्रह अथवा परिनिष्ठित भाषा के चमत्कार के प्रदर्शन के कारण कथ्य के निर्वचन में कोई फर्क न पड़े । राजनय की भाषा वस्तुतः साहित्य और गणित के बीच की स्थिति से गुजरती होती है । कालक्रम में अपने अनुभव एवं अनुसंधान के आधार पर हमने हिन्दी को राजनय के लिये उपयुक्त भाषा बनाने में सफलता प्राप्त की है तथा अब मंत्रालय की लघुतम इकाई से लेकर सर्वोच्च अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर हिन्दी के स्वर सुनाई पड़ते हैं । इस मंत्रालय द्वारा सम्पन्न सभी अन्तर्राष्ट्रीय संधि, करार प्रोतोकोल आदि हिन्दी में भी तैयार किये जाते हैं और अन्य मंत्रालयों द्वारा तैयार पाठों का संशोधन तथा पुनरीक्षण भी विदेश मंत्रालय करता है ।

विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के संबंध में शिक्षा मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय के परामर्श से तैयार योजना का कार्यान्वयन हमारे दूतावासों के सहयोग से हो रहा है ।

स्थानीय हिन्दी लेखन को प्रोत्साहन, विभिन्न देशों के नागरिकों को स्थानीय ढंग से हिन्दी का प्रशिक्षण, युस्तकालय की सुविधाएं, संसार के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भारतीय भाषाओं का हिन्दी के संदर्भ में अध्ययन, हिन्दी और हिन्दी शिक्षण की पद्धति का ज्ञान प्राप्त करने के लिये भारत में वृत्ति आदि देकर और इन उद्देश्यों की पूर्ति द्वारा विश्व में हिन्दी को मान्यता प्रदान कराने की दृष्टि से "विदेशों में हिन्दी प्रचार की योजना" विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने तयार की है ।

हिन्दी के प्रचार-प्रसार में अब तक विशेष ध्यान उन देशों की ओर दिया गया है जहां भारतवंशियों की संख्या पर्याप्त है । संसार में लगभग 80 ऐसे देश हैं जहां थोड़े-बहुत भारतवंशी निवास करते हैं और भारत के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को बनाये रखने की दृष्टि से वे हिन्दी सीखना आवश्यक समझते हैं । आज संसार के अनेक उन्नत देशों में हिन्दी पढ़ाई जा रही है और पिछले कुछ वर्षों के भीतर ही आयोजित दो विश्व हिन्दी सम्मेलनों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हिन्दी के प्रति एक नई चेतना का अभ्युदय हुआ है । (चित्र पृष्ठ 22 और 23)

प्रारंभ में हिन्दी प्रचार योजना को 10 देशों तक सीमित रखा गया था किन्तु आज अनेक देशों के लोग हिन्दी सीखने की अभिलाषा रखते हैं । अतः पुनरीक्षण के बाद इस योजना का क्षेत्र व्यापक बनाया गया है और अब विदेशों में हिन्दी प्रचार की योजना के अन्तर्गत हिन्दी पुस्तक देने के संबंध में उदार नीति अपनाई गई है । अब तक प्रत्येक वर्ष लगभग एक लाख रुपये की पुस्तकें हमारे दूतावासों को भेजी जाती थीं किन्तु अब इनकी राशि बढ़ाकर पिछले वर्ष तीन लाख रुपये कर दी गई है और अब 10 देशों के स्थान पर 34 देशों में ये पुस्तकें भेजी गई हैं ।

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत विदेशी राष्ट्रिकों को केन्द्रीय हिन्दी संस्थान में हिन्दी सिखाने की व्यवस्था की गई है । विदेशी राष्ट्रिक इस संस्था में हिन्दी भाषा तथा भाषा प्रशिक्षण का ज्ञान अर्जित करते हैं। इन व्यक्तियों को छात्रवृत्ति के अतिरिक्त आवास, चिकित्सा सुविधा, शिक्षण सामग्री और संदर्भग्रंथ मुफ्त दिए जाते हैं। इन्हें अपने देश

प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन, नागपुर (जनवरी, 1975)

से भारत आने और वापस जाने का हवाई खर्च भी दिया जाता है। मारीशस, फिजी, गुयाना जैसे देश तथा पश्चिम के अनेक उन्नत देशों के व्यक्तियों ने अब तक इस कार्यक्रम का लाभ उठाया है और प्रायः 100 व्यक्ति इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक हिन्दी सीख कर स्वदेश लौट गए हैं। प्रत्येक वर्ष 15 से 20 छात्रवृतियाँ विदेशी राष्ट्रिकों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत दी जा रही हैं।

भारत सरकार के हिन्दी पत्राचार पाठ्यक्रम का विदेशों में संचालन हमारे दूतावासों के माध्यम से होता है और अभी चार सौ से कुछ अधिक विदेशी इस कार्यक्रम के अंतर्गत हिन्दी सीख रहे हैं।

विदेशों में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के दृष्टि से विदेश मंत्रालय ने हिन्दी समाचार पत्र विनिमय कार्यक्रम चला रखा है और इसके अंतर्गत भारत सरकार से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्र-पत्रिकाएँ विदेशों में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के पास भेजी जाती है और उनके प्रकाशन भारत के समाचार पत्रों को विनिमय में मंत्रालय द्वारा भेजे जाते हैं। इसके साथ इसी कार्यक्रम में पत्र सूचना कार्यालय द्वारा जारी समाचार भी विदेश स्थित समाचार-पत्रों को दूतावासों के माध्यम से भेजे जाते हैं। विदेशों में हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का एक अलग इतिहास है। मारीशस की आजादी की लड़ाई के पीछे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा भेजे गए डा० मणिलाल प्रेरणा के स्रोत थे। उन्होंने इस शताब्दी के प्रथम दशक में ही भारतवंशियों को संगठित करने की दृष्टि से वहाँ हिन्दी का समाचार पत्र प्रकाशित करना प्रारम्भ किया। आज भी मारीशस से—जनता, अनुराग, दर्पण, आभा और बसंत नामक पत्र-पत्रिकाएँ हिन्दी में प्रकाशित हो रही हैं। फिजी से भी "शांतिदूत", "जय फिजी" नामक साप्ताहिक-पत्र वर्षों से प्रकाशित हो रहे हैं। अब तो फिजी की सरकार ने भी "फिजी वृतांत" और "शंख" नामक भित्ति-पत्र प्रकाशित करना शुरू कर दिया हैं। लंदन से भी "नवीन वीकली" और "अमरदीप" प्रकाशित होते हैं। प्रयास तो न्यूयार्क और ओटावा में भी होने लगा है और आशा है कि हिन्दी की लोकप्रियता के साथ हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी।

विदेशों में हिन्दी प्रचार की योजना को सफल बनाने की दृष्टि से फिजी, मारीशस, त्रिनिडाड स्थित हमारे दूतावासों में हिन्दी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और हिन्दी के प्रचार-प्रसार में इनका योगदान उपयोगी सिद्ध हुआ है।

इन हिन्दी अधिकारियों की सहायता से वहाँ हिन्दी पाठ्यक्रम के निर्माण, पाठ्य पुस्तकों के लेखन, हिन्दी-समाचार पत्रों के प्रकाशन, रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण, मानस चतुःशती जैसे अवसरों पर (कवि सम्मेलन, नाटक आदि) सांस्कृतिक आयोजन किया जाता रहा है तथा भारत की

प्रसिद्ध संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं के आयोजन में ये अधिकारी स्थानीय संस्थाओं को यथासंभव सहायता प्रदान करते हैं। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अकेले मारीशस में प्रायः पाँच-छः हजार व्यक्ति हिन्दी साहित्य सम्मेलन की विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेते हैं। परीक्षाओं के संचालन में विदेश मंत्रालय और विदेश स्थित हमारे दूतावास सम्पर्क सूत्र का कार्य करते हैं। इन्हीं के माध्यम से प्रश्न-पत्र और परिणाम आदि भेजे जाते हैं। हमारे दूतावास परीक्षा के संचालन में उन देशों की संस्थाओं को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं।

द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन, मारिशस (अगस्त, 1976)

इसके अतिरिक्त भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने भी हिन्दी और भारतीय भाषाओं के पठन-पाठन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बुखारेस्ट और सोफिया में प्राध्यापक भेज रखे हैं। त्रिनिडाड, सूरीनाम और गुयाना में भी हिन्दी प्राध्यापक कार्य कर रहे हैं। एक प्राध्यापक डाकार में भी कार्यरत है। विदेशों में निवास करने वाले भारत-वंशियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ने "गगनांचल" नामक एक हिन्दी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया है। परिषद हिन्दी की पुस्तकें भी विदेशों में उपहार के रूप में भेजती है।

भारत से बाहर संसार के लगभग 100 विश्वविद्यालयों में हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन आज हो रहा है। इनके अतिरिक्त अनेक स्वैच्छिक संस्थाएं भी हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए तत्परता-पूर्वक कार्य कर रही हैं। मारीशस में सम्पन्न द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन विदेशों में हिन्दी प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में निश्चय ही एक कीर्तिस्तंभ है। विदेशों में हिन्दी प्रचार-प्रसार की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए मैंने मारीशस के अतिरिक्त गुयाना, सूरीनाम त्रिनिडाड, जमैका, संयुक्त राज्य अमरीका तथा यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की थी। इन देशों की यात्रा के दौरान मुझे यह देखने को मिला कि जिन देशों में भारतमूलक लोगों की संख्या अधिक है वहां के लोग अपनी संस्कृति एवं परम्परा की रक्षा के लिए अत्यंत लगन एवं उत्साह के साथ हिन्दी सीख रहे हैं। अमरीका तथा इंगलैंड जैसे उन्नत देशों में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी प्राप्त करने तथा हिन्दी की भाषा वैज्ञानिक स्थिति एवं भारत के सामाजिक परिवेश का पता लगाने के उद्देश्य से हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन एवं अनुसंधान हो रहा है। गुयाना में वहां की सामाजिक-धार्मिक संस्थाओं द्वारा रात्रि पाठशालाओं में हिन्दी पढ़ाई जाती है। गुयाना विश्वविद्यालय में भी पिछले तीन वर्षों से हिन्दी पढ़ाई जाने लगी है। सूरीनाम में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा नियुक्त हिन्दी प्राध्यापक की सहायता से लगभग 200 हिन्दी केन्द्र चल रहे हैं। त्रिनिडाड के सरकारी स्कूलों या विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाने की

[शेष पृष्ठ 34 पर]

भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों का हिन्दी प्रशिक्षण

डा० कैलाश चन्द्र भाटिया

प्रोफेसर, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाएँ,
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी ।

किसी भाषा का अध्यापन सरल कार्य नहीं है । वस्तुतः भारत जैसे बहुभाषी देश में द्वितीय भाषा के रूप में भाषा-अध्यापन निश्चय ही विशेषज्ञ का कार्य है । मातृभाषा शिक्षण से यह कार्य अनेक प्रकार से भिन्न है और इसके लिए अनेक उद्देश्यों को दृष्टिगत रखना पड़ता है ।

द्विभाषी अथवा बहुभाषी परिस्थितियों में, जैसी भी स्थिति हो, अनिवार्यतः द्वितीय भाषा की कार्यकारी भूमिका को ध्यान में रखकर उसका शिक्षण किया जाता है । द्वितीय भाषा शिक्षण सामग्री और उसकी शिक्षण पद्धति को इस तरह परिस्थितियों में ढाला जाता है कि उसकी वह कार्यकारी उपयोगिता सिद्ध हो सके । जहां भी यह भाषा पढ़ाई जाने वाली हो, उसके प्रभावशाली अध्यापन के लिए उद्देश्यों की स्पष्ट धारणा पहले ही रख लेनी चाहिए ।

द्वितीय भाषा को विभिन्न उद्देश्यों के लिए पढाया जाता है। हम इन लक्ष्यों को निम्नांकित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।

1. बातचीत करने के लिए ।
2. यथावश्यक उत्तम अभिव्यक्ति के लिए ।
3. भाषा के साथ संस्कृति के अध्ययन के लिए ।
4. पुस्तकों के अध्ययन के लिए ।
5. दुभाषिया के रूप में किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/सरकार से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए ।
6. प्रशासक के रूप में जनता की उचित सेवा के लिए ।

एक बार जब भाषा के उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं, तब यह निर्णय करना कठिन नहीं रह जाता कि लिखने-पढ़ने-बोलने के माध्यम से क्या सिखाना है ।

इस सन्दर्भ में उद्देश्य बहुत स्पष्ट हैं। अखिल भारतीय सेवाओं एवं अन्य केन्द्रीय सेवाओं के सभी प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को अकादमी में प्रशिक्षित किया जाता है । सभी सेवाओं के प्रोवेशनर इस अकादमी में सामान्यतः अपने विभागों को जाने से पहले प्रशिक्षण के लिए आते हैं । ये सभी इस विशाल देश के कोने-कोने से आते हैं, साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से भी आते हैं ।ये सभी भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलते हैं और उनकी मातृभाषाएं भी भिन्न-भिन्न होती हैं । इस तरह ये विभिन्न भाषा परिवारों से सम्बन्धित होते हैं । इन सब का अंग्रेजी भाषा पर अच्छा अधिकार होता है । इस तरह वस्तुतः अकादमी बहुभाषी भारत का एक लघु रूप है । इन अधिकारियों से आशा की जाती है कि ये आगे चलकर देश के सभी क्षेत्रों के लोगों से सम्पर्क करेंगे और उनसे स्थानीय भाषा/बोलियों में बातचीत करेंगे । इसलिए यह वांछनीय है कि ये अधिकारी कम से कम बोलचाल की भाषा के रूप पर पूरा अधिकार प्राप्त करने की कोशिश करें।

प्रशासन में हिन्दी : क्षेत्रीय भाषाओं की अनुपस्थिति से जनता तथा प्रशासक के मध्य एक बड़ी भारी दूरी बनी हुई है । अब जब कि प्रशासन तेजी से ग्रामों तथा ग्रामीणोन्मुख होता जा रहा है, यह अनिवार्य हो जाता है कि भारतीय भाषाओं को प्रशासन में उपयुक्त स्थान दिया जाए जिससे जनता तथा प्रशासक के बीच उचित सम्पर्क रहे ।

भारत में हिन्दी का एक विशिष्ट स्थान है, भारत की सम्पूर्ण जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिन्दी को समझता भी है।

बहुभाषी भारत : संविधान की आठवीं अनुसूची में स्वीकृत 15 प्रमुख भाषाओं में से 13 भाषाएं (संस्कृत तथा सिन्धी को छोड़कर) विभिन्न राज्यों में सरकारी कामकाज की भाषाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं । हिन्दी को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली आदि राज्यों की राजभाषा स्वीकार किया गया है तथा इसे

केन्द्रीय सरकार के साथ पत्र-व्यवहार में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, राज्यों द्वारा सम्पर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है तथा भारत सरकार की कामकाज की भाषा माना गया है । ऐसी बहुभाषी स्थिति में द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण का महत्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है ।

यथासम्भव अकादमी में हिन्दी कक्षाओं एवं भाषा-प्रयोगशाला की कक्षाओं के ग्रुप भाषिक आधार पर बनाये जाते हैं तथा प्रोबेशनरों को उसी आधार पर प्रशिक्षित किया जाता है । भाषिक रूप बनाने का एक लाभ यह भी है कि इससे अध्यापक मण्डल को हिन्दी पढ़ाने में जहां एक ओर सुविधा रहे, वहां प्रोबेशनरों को कम से कम समय में अधिक से अधिक भाषिक क्षमता प्राप्त हो सके ।

प्रत्येक भाषा का अपना ढांचा भी होता है । किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि जिस भाषा को वह सीख रहा है, यह आवश्यक नहीं है कि उस भाषा का अनिवार्य रूप से वही ढांचा हो जो उसकी अपनी मातृभाषा का है ।

भाषा सीखने वालों को बहुत सीमा तक भाषा की मूल प्रवृत्ति के बारे में (ध्वनि-प्रक्रिया, संरचना, अर्थ, विचार, संस्कृति आदि) जानकारी दिया जाना आवश्यक है । इस तरह बहुभाषी देश में द्वितीय भाषा-शिक्षण एक भारी चुनौती है ।

यह भी एक भ्रान्ति है कि जो भी व्यक्ति किसी भाषा को प्रवाह में बोल सकता है, वह उस भाषा की संरचना को आसानी से समझ भी सकता है और पढ़ा भी सकता है । वस्तुस्थिति यह है कि भाषिक दृष्टि से प्रशिक्षित अध्यापक ही किसी भाषा को प्रथम भाषा के रूप में अथवा द्वितीय भाषा के रूप में उसकी जटिलताओं को समझ सकता है । शिक्षक को सबसे पहले भाषा सीखने वालों की समस्या को समझना चाहिए । अगर वह अपनी मातृभाषा और सीखने वाले की भाषा के सन्दर्भ में अपनी मातृभाषा की जटिलताओं को ठीक-ठीक नहीं समझता है और उसका विश्लेषण करने में असमर्थ है तो वह द्वितीय भाषा के रूप में उसको भलीप्रकार नहीं पढ़ा सकता । मेरा विचार है कि भाषा-शास्त्र में प्रशिक्षित अध्यापक ही कक्षा में उठाई गई समस्याओं का अच्छी तरह समाधान कर सकता है, साथ ही सीखने वाले की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बहुत ही व्यवस्थित ढंग से वह अपनी शिक्षण-पद्धति को अन्तिम रूप दे सकता है और आवश्यकतानुसार बदल भी सकता है । वस्तुतः सीखने वाले की मातृभाषा और द्वितीय भाषा के रूप में सिखाई जाने वाली भाषा के तुलनात्मक और व्यतिरेकी अध्ययन के पश्चात् ही शिक्षण इकाइयों का निश्चय किया जाना चाहिए ।

यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि अकादमी में आने वाले प्रोबेशनर प्रौढ़ हैं और साथ ही देश के कोने-कोने से चुने हुए प्रतिभा-सम्पन्न विद्यार्थी हैं । अतएव प्रौढ़ मनोविज्ञान के सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना पड़ता है और साथ ही सीखने वालों की आवश्यकताओं को भी । आखिर हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रोबेशनर अकादमी से जाने के बाद अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में सम्पन्न कर सकें । यह दावा तो नहीं किया जा सकता कि इनको भेजने से पहले निष्णात कर दिया जाता है, पर यह प्रयत्न अवश्य किया जाता है कि ये भाषा पर इतना अधिकार अवश्य कर लें ताकि अपने कार्य-स्थल पर जाने पर ये अपने आबंटित राज्य की भाषा में कार्य करने के लिए समर्थ हो सकें । इस दिशा में काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली गई है । इस दृष्टि से हिन्दी भाषा के कार्यपरक रूप पर अधिक बल दिया जाता है और प्रशासन में काम में आने वाली शब्दावली वाक्यावली आदि के प्रयोग में उनको सक्षम बनाया जाता है और कामकाजी हिन्दी के स्वरूप को वह अच्छी तरह समझ सकें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है ।

समय की कमी सबसे गंभीर समस्या है क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान अन्य कई विषय भी पढ़ाये जाते हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कक्षा अध्यापन के अतिरिक्त भाषा-प्रयोगशाला के माध्यम से हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने के लिये सुविधाएं दी जाती हैं । अकादमी में भाषा सिखाने के लिये दो भाषा प्रयोगशालाएं हैं । एक तार की और दूसरी बेतार की, जिनमें पृथक-पृथक 16 बूथों की व्यवस्था है । दोनों ही प्रयोगशालाएं ए०ए०सी० डिजाइन की हैं, जिनके माध्यम से भाषा सीखने वाला व्यक्ति पाठ सुनता है और पुनः बोलता है तथा उसके बाद फिर से पूरा पाठ दोहराते समय अपने उच्चारण को मानक उच्चारण से मिलाता है । सीखते समय अध्यापक के समक्ष अपनी समस्यायें रख सकता है और कक्षा में बिना बाधा डाले अध्यापक व्यक्तिगत रूप से उसकी समस्या का समाधान करता है । यदि अध्यापक यह अनुभव करता है कि अमुक समस्या पूरी कक्षा की है तो वह सबको एक साथ कक्षा अध्यापन के रूप में पाठ रोककर पढ़ा भी सकता है । इस दृष्टि से स्वयं शिक्षण की नई पद्धति पर आधारित सामग्री भी तैयार की गई है जिसको अभिक्रमित अध्ययन (प्रोग्राम्ड लर्निंग) कहा जाता है । यहां यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार का पहला प्रोग्राम "नेमी कार्यालय टिप्पणियां" गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने प्रकाशित किया है । अन्य प्रोग्राम भी निकट भविष्य में प्रकाशित होंगे ।

हिन्दी तथा भारत की अन्य भाषाओं के मध्य समान शब्दों (समानार्थी तथा भिन्नार्थी) को भी विशेष ध्यान में रखा जाता है जिससे कि सीखने वाला बिना अधिक परिश्रम के यह जान सके कि कितनी शब्दावली तथा मुहावरे, फ्रेजेज आदि वह अनायास ही सीख गया है और इस प्रकार अपनी जानी-पहचानी शब्दावली में ही वह लगातार वृद्धि करता रहता है ।

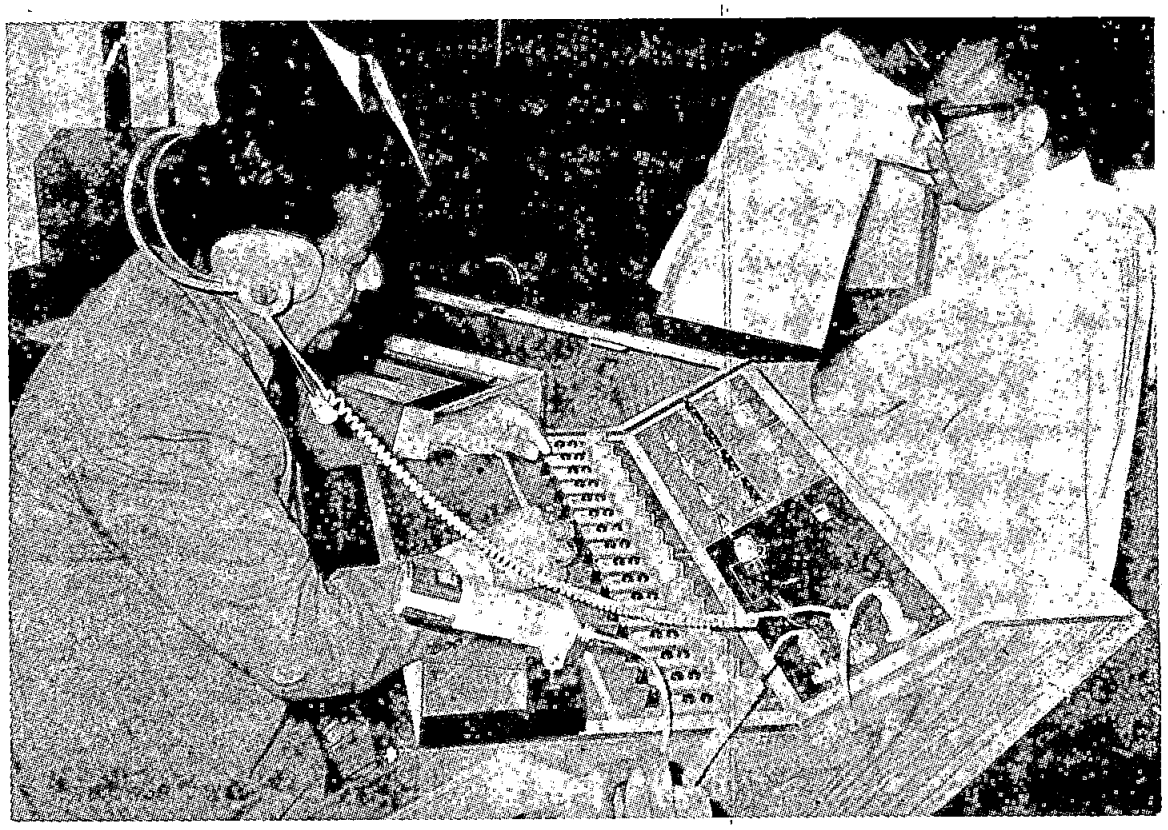

भाषा प्रयोगशाला के 'कनसोल' पर सहायक प्रोफेसर श्री शिव नारायण चौबे और उसका निरीक्षण करते हुए राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के संयुक्त निदेशक श्री एस० आर० अडिगे ।

हिन्दी के प्रशिक्षण की दृष्टि से विशेष ध्यान अहिन्दी भाषा-भाषी प्रोबेशनरों पर दिया जाता है । कक्षा-अध्यापन के साथ-साथ भाषा-प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध है और फिर मसूरी एक हिन्दी भाषी क्षेत्र में स्थित है जिसका प्रोबेशनर अधिक से-अधिक लाभ उठाते हैं । जब वे किसी भी कार्यक्रम में भाग लेते हैं अथवा अकादमी से कहीं बाहर जाते हैं तो अनायास ही हिन्दी भाषा-भाषियों के मध्य वह अपने को पाते हैं । फलतः प्रकारान्तर से वह हिन्दी के बोलचाल के रूप को सीखते-समझते रहते हैं ।

जैसा कि कहा जा चुका है कि भाषा-शिक्षण का प्रारम्भ ही भाषा के उच्चरित स्वरूप को लेकर किया जाता है ; लेखन-क्रिया बाद में प्रारम्भ होती है । सुविधा की दृष्टि से प्रोबेशनरों को आते ही भारतीय भाषाओं की लिपियों का समानान्तर चार्ट वितरित कर दिया जाता है जिससे वे स्वतः ही सीमित समय में नागरी लिपि को सीख लें । नागरी लिपि पर तैयार की गई फिल्म भी समय-समय पर दिखाई जाती है। भारत के पूर्वांचल क्षेत्र से आने वाले प्रोबेशनर प्रारम्भ में सुविधा की दृष्टि से रोमन के माध्यम से सीखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही वे नागरी लिपि का प्रयोग करने लगते हैं । भारत सरकार के आदेशानुसार जब से अंग्रेजी के शब्दों के प्रयोग की छूट दी गई है, अकादमी में भी प्रशिक्षण के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है, साथ ही सरल हिन्दी के प्रयोग पर बल दिया जाता है ।

अनेक राज्य सरकारों द्वारा जिले के प्रशासन का शत-प्रतिशत काम राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में होने लगा है । हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के साथ हिन्दी की अनेक उप-भाषायें और बोलियों का महत्व कम नहीं है । इस दृष्टि में भी हम हिन्दी भाषी क्षेत्रों में जाने वाले प्रोबेशनरों को इस बात के लिये भी प्रेरित करते हैं कि जब वे एक वर्ष के लिये जिला-प्रशिक्षण के लिय जायें तो उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा तथा बोली में अपने को धीरे-धीरे निष्णात करें, जिससे कि ग्रामवासियों से सीधा सम्पर्क स्थापित किया जा सके । यह भी प्रयत्न किया जा रहा है कि सभी क्षेत्रीय उप-भाषाओं की सामग्री अकादमी के पुस्तकालय में रखी जाये जिससे कि दो वर्ष के प्रशिक्षण के उपरान्त अपने कार्य-स्थल पर जाने से पहले वह जिस क्षेत्र की भी पूरी जानकारी करना चाहें तो कर सकें और अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। हिन्दी भाषी राज्यों में उर्दू का भी विशेष महत्व है अतएव वैकल्पिक रूप से जो अधिकारी उर्दू सीखना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है और उनके लिये शिक्षण सामग्री भी वितरित की जाती है ।

भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के लिये सामान्य हिन्दी में परीक्षा पास करना अनिवार्य है और

साथ ही जिस राज्य में भेजे जाते हैं उस राज्य की राज-भाषा में भी। इस प्रकार अकादमी में सामान्य हिन्दी के अतिरिक्त हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों को जाने वाले अधिकारियों को प्रशासनिक हिन्दी का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे कामकाजी हिन्दी में अच्छी योग्यता प्राप्त कर सकें। सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहते हैं। वृत्तिक पाठ्यक्रम के प्रारम्भ होने से पूर्व 4 महीने के आधारिक पाठ्यक्रम में भी वे हिन्दी का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। आधारिक पाठ्यक्रम के उपरान्त वृत्तिक पाठ्यक्रम का स्वरूप इस प्रकार है :—

वृत्तिक पाठ्यक्रम फेज-1 4 + 5 = 9 मास	इस बीच भाषा के उच्चरित रूप पर बल दिया जाता है और साथ ही पढ़ने और बोलने के साथ लिखने का भी अभ्यास कराया जाता है। 2. प्रशासनिक शब्दावली तथा वाक्यावली 3. प्रशासनिक पत्राचार। 4. आवेदन/अर्जी लिखना। 5. टिप्पणी लेखन तथा प्रारूप। 6. सार-लेखन रिपोर्टिंग आदि।
एक वर्ष का (मध्य में) जिला-प्रशिक्षण	इस बीच प्रोबेशनरों से यह भी आशा की जाती है कि वे अपने ज्ञान की वृद्धि करेंगे और अगर कहीं आवश्यक हो और चाहें तो किसी अध्यापक से भी सहायता ले सकते हैं। जिला स्तर पर कार्य प्रायः हिन्दी में ही होता है अतएव कार्य करते समय वे स्वतः ही भाषा का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं।
वृत्तिक पाठ्यक्रम, द्वितीय फ़ेज (3 मास)	इस दौरान उनको बोलने का विशेष अभ्यास कराया जाता है जिससे कि वे किसी विषय पर सार्वजनिक रूप से अपना भाषण दे सकें और विचार-विमर्श, चर्चा, वाद-विवाद आदि में भाग ले सकें। इसके साथ ही हस्त लेख पढ़ने का अभ्यास भी कराया जाता है। सरकारी पत्र व्यवहार, प्रारूप, टिप्पणियाँ आदि लिखने का भी अभ्यास कराया जाता है।

संक्षेप में यही हिन्दी भाषा की शिक्षण-पद्धति है जिसको पृष्ठ 28 पर दिए चार्ट द्वारा और भी स्पष्ट किया गया है।

□□□

[पृष्ठ 13 का शेष]

पूर्ति व निपटान महानिदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार रेमिंगटन, गोदरेज तथा रायला कम्पनियों को इस वर्ष 956 देवनागरी टाइपराइटरों के लिए पूर्ति आदेश दिए गए थे, इनमें से 540 टाइपराइटरों की पूर्ति मई, 1978 के मध्य तक कर दी गई थी।

(13) राजभाषा के कार्यों में संलग्न अखिल भारतीय मान्य संस्थाओं के आवर्तक अनुदान की मात्रा बढ़ाने पर विचार

समिति ने निर्णय लिया कि इस बारे में शिक्षा मंत्रालय उचित कार्रवाई करे।

(14) भारतीय भाषाओं का काम करने वाली संस्थाओं को आयकर से छूट देने पर विचार

इस संदर्भ में अध्यक्ष एवं सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया कि प्रश्न सिर्फ भाषाओं का काम करने वाली संस्थाओं का नहीं है बल्कि सार्वजनिक काम करने वाली समाज सेवी संस्थाओं को भी आयकर संबंधी छूट देने के लिए कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। समिति ने निर्णय लिया कि वित्त मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग)/वित्त मंत्रालय इस बारे में आगामी कार्रवाई करें। □□□

राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।

—महात्मा गांधी

मेरे देश में हिन्दी की इज्जत न हो, यह मैं सह नहीं सकता।

—आचार्य विनोबा भावे

हिन्दी विश्व की महान भाषा है।

—महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन

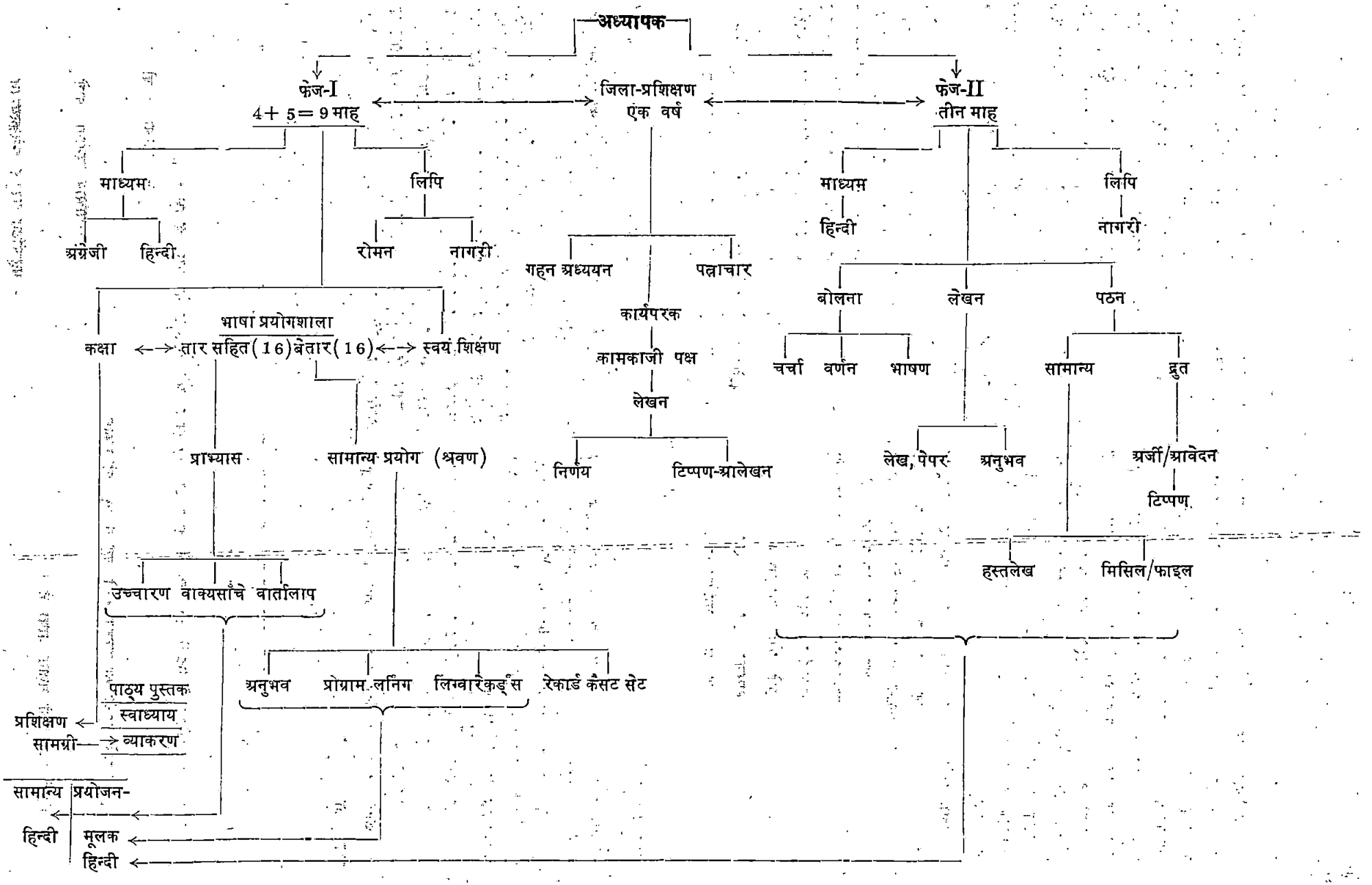
अध्यापक
फेज-I
4+ 5= 9 माह
जिला-प्रशिक्षण
एक वर्ष
फेज-II
तीन माह
माध्यम
अंग्रेजी
हिन्दी
लिपि
रोमन
नागरी
गहन अध्ययन
पत्राचार
कार्यपरक
कामकाजी पक्ष
लेखन
निर्णय
टिप्पण-आलेखन
माध्यम
हिन्दी
लिपि
नागरी
बोलना
लेखन
पठन
चर्चा
वर्णन
भाषण
सामान्य
द्रुत
लेख, पेपर
अनुभव
अर्जी/आवेदन
टिप्पण
हस्तलेख
मिसिल/फाइल
कक्षा
भाषा प्रयोगशाला
तार सहित (16) बेतार (16)
स्वयं शिक्षण
प्राभ्यास
सामान्य प्रयोग (श्रवण)
उच्चारण
वाक्यांचे
वार्तालाप
अनुभव
प्रोग्राम लर्निंग
लिग्वाफोन रेकार्ड्स
रेकार्ड कैसट सेट
पाठ्य पुस्तक
स्वाध्याय
व्याकरण
प्रशिक्षण सामग्री
सामान्य हिन्दी
प्रयोजन-मूलक हिन्दी

केन्द्रीय सरकार की पत्रिकाएँ

—डॉ० रामचन्द्र तिवारी
संपादक, भारतीय रेल, नई दिल्ली

लोकतन्त्र में सरकार की सफलता इस बात से आँकी जाती है कि सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों पर अमल करने में उसे जनता का कितना सहयोग मिलता है। इस दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार अपने कार्यकलाप के प्रति जनता को बराबर जानकारी देती रहे। समग्र राष्ट्र, क्षेत्र विशेष या वर्ग विशेष के कल्याणार्थ जो योजनाएँ आरंभ की जाती हैं, या कार्यक्रम चलाये जाते हैं, उनकी अधिकाधिक जानकारी रहने से ऐसा वातावरण बनने में सहायता मिलती है, जो सरकारी तंत्र के सुचारु-संचालन एवं विविध योजनाओं को क्रियान्वित करने की दृष्टि से अधिक अनुकूल हो।

यह जानकारी देने अथवा सूचना-प्रसारण के प्रमुख माध्यम हैं (1) प्रकाशन एवं प्रसारण योग्य सामग्री तैयार करके पत्र-पत्रिकाओं या रेडियो-टेलीविजन को भेजना, और (2) स्वयं अपनी पत्र-पत्रिकाएँ (तथा गाहे-ब-गाहे तदर्थ प्रकाशन) निकालना।

सरकार द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में भेजी सामग्री के प्रति प्रचार तत्व की प्रधानता की भावना रहती है, अतः स्तरीय पत्र-पत्रिकाओं में इसे कम स्थान मिल पाता है और जिन छोटे पत्रों में इनका उपयोग होता भी है, उनके प्रकाशन स्तर के कारण उसकी खास उपयोगिता नहीं होती।

इसलिए सरकारी विभाग दूसरे माध्यम की ओर उन्मुख हुए हैं और अपनी जानकारी का पूरा एवं व्यापक प्रचार करने के लिए अपनी पत्रिकाएँ प्रकाशित करते हैं जिससे इन विभागीय पत्रिकाओं की एक विशिष्ट भूमिका रहती है। ये पत्रिकाएँ जनता को उन बातों की जानकारी कराती हैं जिनकी सूचना जनता को मिलनी ही चाहिए। दूसरे शब्दों में सरकारी पत्रिकाएं मात्र जनरुचि की सामग्री नहीं देती हैं, वरन् ऐसी सामग्री देती हैं, जिसे सरकार जन-हित की दृष्टि से जनता तक पहुँचाना आवश्यक समझती है। सरकार इन पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी विशिष्ट नीतियों, विचारों या कार्यक्रमों की जानकारी का भी प्रसार करती है और ऐसा करते समय, जनरुचि के स्थान पर जनहित को प्रधान मानकर चलती है।

केन्द्रीय सरकार की पत्रिकाओं में जहां अखिल भारतीय दृष्टि प्रधान रहती है, वहां राज्य सरकारों की पत्रिकाओं में प्रदेश या अंचल विशेष की आंचलिक विशेषताओं, भाषा, साहित्य एवं सांस्कृतिक परिवेश और आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों की विशिष्ट उपलब्धियों का भी वर्णन रहता है। जिससे समग्र राष्ट्रीय जीवन में उनका उचित स्थान बन सके।

रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपर्स की नवीनतम रिपोर्ट 1975 की सुलभ है। इसके अनुसार 1975 में केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा कुल 470 पत्रिकाएं निकाली जाती थीं। इनमें से केन्द्रीय सरकार की पत्रिकाओं की संख्या 268 थी जिनमें से सर्वाधिक पत्रिकाएं 149 अंग्रेजी में निकलती थीं। हिन्दी में केन्द्रीय सरकार 41 पत्रिकाएं निकालती है। 19 पत्रिकाएं द्विभाषी एवं 2 पत्रिकाएं बहुभाषी हैं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी भाषाओं में प्रकाशित 268 पत्रिकाओं में से 162 पत्रिकाएं अकेली दिल्ली से, पश्चिम बंगाल से 29, महाराष्ट्र से 21, उत्तर प्रदेश से 16, तथा तमिलनाडु से 13 पत्रिकाएं निकलती हैं। अन्य राज्यों से कुल 20 पत्रिकाएं निकलती हैं।

केन्द्रीय सरकार की 268 पत्रिकाओं में 'समाचार एवं सामयिक विवेचन' वाली 39, कृषि एवं पशुपालन की 27, समाज कल्याण विषयक 10, वाणिज्य एवं उद्योग की 29, परिवहन एवं संचार विषय की 38, शिक्षा की 11, इंजीनियरी एवं तकनीकी पत्रिकाएं 29, साहित्य एवं संस्कृति की 10, रेडियो और संगीत की 21, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की 11, विज्ञान की 23, कानून की 8, श्रम संबंधी 2, वित्त एवं अर्थशास्त्र संबंधी 2, कला की 3, महिलाओं की 2 और बच्चों की एक पत्रिका है।

यहां केन्द्रीय सरकार द्वारा हिन्दी में प्रकाशित कुछ प्रमुख पत्रिकाओं का उल्लेख किया जा रहा है:—

आजकल

भारत सरकार की हिन्दी में प्रकाशित सर्वप्रथम पत्रिका है 'आजकल' जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग से 1945 में श्री देवेन्द्र सत्यार्थी के संपादन में निकलनी आरंभ हुई थी। इस मासिक पत्रिका ने अन्य साहित्यिक पत्रिकाओं के लिए एक मानदण्ड का काम किया।

स्वतंत्रता से पूर्व निकलने वाली प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाएं देश के स्वतंत्र होते-होते अपनी लोकप्रियता के ढलान

पर आ गई थीं। सामग्री के नयेपन तथा नयी प्रवृत्तियों से जुड़ने और देश में जागृत नये भाव-बोध के कारण ये पत्रिकाएं अजाने ही दूर-दूर पड़ती गईं। उस जमाने में 'आजकल' मासिकी सर्वथा एक नई दृष्टि लेकर आई।

कुछ समय तक 'आजकल' हिन्दी की ऐसी एकमात्र पत्रिका बन गई जिसमें काश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक की ललित कलाओं का असाधारण आकलन रहता था। उन दिनों यह भारत सरकार की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सामग्री युक्त एक बेजोड़ सुसंपादित पत्रिका थी। इसका स्वरूप कलेवर और मानस सुंदरतर एवं प्रौढ़तर बनता चला गया। इसके रूप-विधान, चित्रालंकरण और छायाचित्रों के कलात्मक प्रयोग के अलावा लेख, कविता, समीक्षा सभी में संपादन की सूझ-बूझ और पैनी प्रतिभा का परिचय मिलता था। सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय तथा विशिष्ट कृतियों का अनुवाद भी काफी समय तक नियमित रूप से निकलता रहा।

'आजकल' के अनेक विशेषांक भी प्रकाशित हुए जिनमें 'स्वाधीन भारत का साहित्यांक', 'हिन्दी कहानी अंक', 'बुद्धांक', 'लोक-कथा अंक', 'रजत जयन्ती अंक' आदि उल्लेखनीय हैं। 'साहित्यांक' तो भारतीय पत्रिका साहित्य के इतिहास की अपूर्व सफलता कहा जा सकता है। 'बुद्धांक' में बौद्ध धर्म-दर्शन एवं संस्कृति साहित्य से संबंधित अनेक रचनाएं संचित हैं। इसके अन्य विशेषांक भी अपने प्रकार की विशिष्ट सामग्री से युक्त रहे हैं।

आज भी इसमें अच्छे स्तर की सामग्री रहती है। पिछले कुछ समय से इस पत्रिका को फिर से अच्छा करने के प्रयास चल रहे हैं। फिर भी व्यावसायिक पत्रिकाओं की तुलना में इसका स्तर उन्नीस ही बैठता है। इसके बाद भी साहित्यिक पत्रिकाओं में इसका अपना स्थान और सम्मान है।

उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका

विधि के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए विधि संबंधी शब्दावली के अलावा विविध उच्च न्यायालयों के पूर्व निर्णयों का हिन्दी अनुवाद भी सुलभ होना आवश्यक था। ये निर्णय संकलित कर नियमित रूप से प्रकाशित करने का काम राजभाषा विधायी आयोग, नई दिल्ली द्वारा शुरू किया गया 'उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका' का 1969 में प्रकाशन आरंभ करके। इस पत्रिका में उच्च न्यायालयों के प्रमुख निर्णय विशेषत: ऐसे निर्णय प्रकाशित किये जाते हैं, जिनमें नया विधि-निर्वचन या कुछ विशिष्ट दृष्टि होती है। यह उन माननीय न्यायाधीशों तथा अधिवक्ताओं के लिए बहुत जरूरी है जो हिन्दी में अपना काम करना चाहते हैं। इस प्रकार इस आधिकारिक पत्रिका ने विधि के क्षेत्र में हिन्दी प्रयोग की दृष्टि से एक भारी कमी पूरी की है।

सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों में होने वाले निर्णयों की संख्या खासी बड़ी होती है। अंग्रेजी में अधिकांशत: सुनाये गये निर्णयों में से सामग्री चयन करना और उसका हिन्दी रूपांतर करके छापना खासा बड़ा काम है। निर्णयों की अधिकता के कारण यह पत्रिका ढाई-तीन सौ पृष्ठों की होती है। फुलस्केप आकार की इस पत्रिका में सज्जा की गुंजाइश तो नहीं है, फिर भी प्रस्तुतीकरण अच्छा होता है।

उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

राजभाषा विधायी आयोग, नई दिल्ली ने उच्चतम न्यायालय के प्रमुख या दिशांतरकारी निर्णयों के हिन्दी पाठ प्रकाशित करने का काम इस पत्रिका के माध्यम से 1968 से आरंभ किया है।

देश का सर्वोच्च न्यायालय होने के कारण उच्चतम न्यायालय के निर्णय विधिज्ञों के लिए मार्ग-दर्शक का काम देते हैं। इन निर्णयों में विधि-अधिनियमों के निर्वचन एवं उनके प्रयोग आदि से संबंधित शीर्षस्थ चिन्तन की अभिव्यक्ति होती है। इनका प्रामाणिक हिन्दी पाठ तैयार कराना एक गुरूतर कार्य है।

ये निर्णय गंभीर विवेचन एवं चिन्तनपरक होते हैं, और अपनी विश्लेषणात्मक प्रकृति के कारण लम्बे भी। सभी प्रमुख निर्णयों का समावेश होने से इस पत्रिका का कलेवर काफी बड़ा होता है। प्रतिमास इसमें फुलस्केप आकार के दो-ढाई सौ पृष्ठ रहते हैं।

हर शब्द का कानून में एक निश्चित अर्थ होना चाहिए जिससे उसमें किसी प्रकार की अस्पष्टता न रहे। अभिव्यक्ति भी भ्रांतिहीन हो तथा उससे किसी भिन्न अर्थ की प्रतीति न हो सके। इस गुरू-गंभीर कार्य को करके ये दोनों पत्रिकाएं हिन्दी की अभूतपूर्व सेवा कर रही हैं। इस क्षेत्र में किये गये अब तक के प्रयासों में यह सर्वाधिक सराहनीय एवं विशद प्रयास है। वृहद आकार के कारण इतना व्ययसाध्य कार्य सरकारी स्तर पर ही संभव था।

उद्योग व्यापार पत्रिका

उद्योग एवं व्यापार किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ होते हैं, अत: इस संबंध में जनता को आवश्यक प्रामाणिक जानकारी 'उद्योग व्यापार पत्रिका' देती है। वैदेशिक व्यापार मंत्रालय के इस मासिक में उद्योग-वाणिज्य विषयक सरकारी नीतियों के अलावा इसमें उद्योगों का इतिहास, उनकी क्षमता विविधि समस्याओं, विकास की संभावनाओं, पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति के साथ-साथ नये उद्योगों के विकास पर उपयोगी सामग्री रहती है। भारत के वाणिज्य दूतों की रिपोर्टों के आधार पर यह भी बताया जाता है कि विदेशों में किन वस्तुओं की बिक्री की गुंजाइश है, वहां प्रतिद्वन्द्विता किस देश के कैसे माल से होगी तथा वहां क्या सुविधाएं या असुविधाएं हैं। लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों तथा हस्तशिल्प पर भी इसमें उपयोगी सामग्री होती है। कुल मिलाकर देश में उद्योग स्थापित करने और विदेशी व्यापार बढ़ाने की दृष्टि से यह एक अच्छी पत्रिका है।

इस पत्रिका में सामग्री अधिकांशत: अनूदित ही रहती है। यदि मौलिक लेखन रहे तथा सामग्री चयन कल्पना-प्रवणता के साथ किया जाए तो यह पत्रिका और भी उपयोगी हो सकती है। यह पत्रिका 1953 में आरंभ हुई थी। बीच में यह कुछ समय तक स्थगित रही। अब जब फिर से निकली है, तब से इसकी सज्जा और भी उत्तम हो गई है। अच्छे कागज, अच्छी छपाई के साथ मौलिक सामग्री इसमें निश्चय ही चार चांद लगा देगी।

उन्नत कृषि

खाद्य एवं कृषि मंत्रालय का विस्तार निदेशालय 'उन्नत कृषि', 'धरनी' एवं 'गोसंवद्धन' नामक तीन मासिक पत्रिकाएं निकलाता है। 'उन्नत कृषि' से पहले 'धरती के लाल' निकलती थी। 1962 से निकली 'उन्नत कृषि' का उद्देश्य गांव में कार्यरत विस्तार कार्यकर्ता तक कृषि विषयक जानकारी पहुंचाना है ताकि वह किसानों का मार्ग-दर्शन कर सके।

इस पत्रिका में कृषि विश्वविद्यालयों के विस्तार विभागों की सामग्री तो रहती ही है, विभिन्न कृषि योजनाओं की प्रगति, सफल किसानों की कहानियां, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन होते रहे अनुसंधान कार्यों की सफलता का वर्णन भी रहता है। नये पढ़े-लिखे किसान सीधे ही इस पत्रिका को मंगाकर लाभ उठाते हैं।

'उन्नत कृषि' वैज्ञानिक जानकारी के लाभों से तथा उसके व्यावहारिक उपयोग से ग्रामवासियों को परिचित कराती है। इस पत्रिका से ग्रामीण जीवन का परिवेश बदलने की प्रेरणा कृषकों को मिलती है जिससे वे न केवल अपने कृषि-कार्यों में सुधार कर सकें, अपितु अपने जीवन में भी परिवर्तन ला सकें।

पहले यह पत्रिका 32 पृष्ठ तक की होती थी किन्तु अब इसका आकार 24 पृष्ठों का ही है। यह पत्रिका 45,000 के आसपास छपती है।

कुरुक्षेत्र

गांवों के रहन-सहन तथा ग्राम्यजीवन को प्रभावित करने का प्रयास सामुदायिक विकास योजना द्वारा किया गया है। गांवों में खेती के विकास के साथ-साथ कृषि जन्य उद्योगों, कुटीर उद्योगों और लघु-उद्योगों के विकास पर बल दिया जाता है। गांवों में नवीन सामाजिक चेतना जागृत करने संबंधी लेख, कविताएं, कहानी तथा अन्य सूचना-समाचारों से युक्त मासिक पत्रिका, 'कुरुक्षेत्र' का प्रकाशन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग कर रहा है।

गांवों के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में परिवर्तन आने से ही राष्ट्र का मूलाधार सुदृढ़ हो सकेगा और इस दिशा में यह पत्रिका प्रयासशील है। कुल मिलाकर पत्रिका गांवों के जीवन पर प्रभाव डालने के अपने उद्देश्य में काफी सफल है। पत्रिका की भाषा भी सहज एवं सरल है जो पत्रिका के उद्देश्य के सर्वथा अनुकूल है।

खाद्य विज्ञान

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्यौगिकी अनुसंधानशाला, मैसूर से 'खाद्य विज्ञान' नामक त्रैमासिकी 1959 से प्रकाशित हो रही है। इसमें खाद्य विज्ञान संबंधी लेख एवं समाचार होते हैं। अहिन्दी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित इस पत्रिका की सामग्री, प्रस्तुतीकरण, छपाई एवं भाषा सभी आदर्श हैं।

खेती

कृषि अनुसंधान की उपलब्धियां किसानों, कृषि कार्य-कर्ताओं एवं कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ने 'खेती' मासिक का मई 1948 से प्रकाशन आरंभ किया है। 'खेती' कृषि अनुसंधान का सीधा प्रचार करती है जो एक प्रकार से यह अग्रिम प्रचार होता है।

हिन्दी में कृषि अनुसंधान संबंधी लेखों के प्रकाशन का श्रीगणेश करने का श्रेय बहुत कुछ 'खेती' को है। अनेक चित्रों व रेखाचित्रों की सहायता से 'खेती' कृषि अनुसंधान की सामग्री सरल भाषा में किसानों तक पहुंचाती है। अब यह पत्रिका विज्ञान-प्रसारण और किसान के बीच की कड़ी बन गई है।

इस पत्रिका में उच्चकोटि के वैज्ञानिकों के लेख बराबर छपते रहते हैं। इसमें खेती, पशुपालन, बागबानी, मुर्गी पालन, मछलीपालन आदि कृषि विज्ञान की प्राय: सभी विधियों पर लेख दिये जाते हैं।

'खेती' ने अब तक अनेक विशेषांक निकाले हैं, जैसे 'बारानी खेती', 'परमाणुशक्ति और कृषि क्रांति,' 'पशु चिकित्सा अनुसंधान' 'सुपोषण के लिए कृषि अनुसंधान' 'बहुफसली खेती', 'स्वतंत्र भारत में कृषि अनुसंधान' आदि। वर्ष में 2-3 अंक ऐसे अवश्य होते हैं, जिनमें किसी एक विषय पर ही पूरी सामग्री रहती है। इनमें अधिकाशं लेख सर्वथा मौलिक होते हैं जिनमें विज्ञान की नवीनतम जानकारी रहती है।

पत्रिका का प्रकाशन साफ-सुथरा तथा आकर्षक होता है। सज्जा एवं सामग्री की दृष्टि से 'खेती' का सरकारी पत्रिकाओं में अपना विशिष्ट स्थान है।

गोसंवर्धन

गोरक्षा की लोक भावना का आदर करते हुए केन्द्रीय गोसंवर्द्धन परिषद ने 1954 में 'गोसंवर्द्धन' मासिक पत्रिका निकालनी आरंभ की थी। परिषद भंग होने पर इसका प्रकाशन कृषि मंत्रालय का विस्तार निदेशालय कर रहा है।

आरंभ में यह पत्रिका अंग्रेजी-हिन्दी द्विभाषी थी और हिन्दी भाग में प्राय: अंग्रेजी लेखों का अनुवाद रहता था।

अब यह पत्रिका पूर्णरूपेण हिन्दी पत्रिका है । पहले इसकी सामग्री गोपशुओं तक ही सीमित थी। अब इसे पशुपालन का पत्र बना दिया गया है। अब इसमें सभी जातियों के मवेशिओं के विषय में सामग्री रहती है।

घरनी

ग्रामीण महिलाओं की यह पहली पत्रिका शुरू में 'गृहिणी' नाम से निकलती थी जो अब ग्रामीणों की भाषा में 'घरनी' बन गई है। कृषि मंत्रालय के विस्तार निदेशालय की इस मासिकी में ग्राम सेविकाओं को ऐसी सामग्री देने की चेष्टा की जाती है, जिससे वे उसे ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचा सकें तथा गांव के जीवन में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो सके। ग्रामीण महिलाओं के जीवन में जागरण की ज्योति जगाने के उद्देश्य से इसमें बताया जाता है कि गांवों के सुलभ साधनों से क्या सुधार हो सकता है।

इसकी सामग्री मूलतः हिन्दी में लिखाई जाती है या अंग्रेजी में प्राप्त सामग्री को गांवों की महिलाओं को ध्यान में रखकर फिर से लिखा जाता है। इस प्रकार यह पत्रिका अपने क्षेत्र में उपयोगी सेवा कर रही है।

बाल भारती

बच्चे देश के भावी कर्णधार हैं, इसे आरंभ से ही अंगीकार करते हुए भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने स्वतंत्रता वर्ष 1947 में ही 'बाल-भारती' नामक बाल पत्रिका मासिक का प्रकाशन आरंभ किया। आरंभिक वर्षों में यह सर्वोत्तम बाल पत्रिका रही है। इसमें 8-9 वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिए कहानी, लेख, गणित की पहेलियां, चुटकुले, ज्ञान-विज्ञान के विवरण आदि विविध प्रकार की सामग्री रहती है।

नवीन सूझ-बूझ, आधुनिक युग के बालकों की जिज्ञासा, उनके मानसिक स्तर तथा उनके ज्ञान-क्षितिज के विस्तार की दृष्टि से इस पत्रिका का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आज प्रसार संख्या की दृष्टि से गैरसरकारी क्षेत्र की पत्रिकाएं 'नंदन', 'चंदामामा, और 'पराग' बच्चों की सर्वाधिक लोकप्रिय पत्रिकाएं हैं। इनकी तुलना में 'बाल भारती' पीछे अवश्य है किन्तु अब भी बाल पत्रिकाओं में इसका गौरवपूर्ण स्थान है और 60,000 से अधिक छपती है।

भगीरथ

कृषि के लिए सिंचाई साधनों की कितनी आवश्यकता है, यह भारत सरीखे देश को बताने की आवश्यकता नहीं है। जल को चाहे वह नदियों का हो या कुओं का, खेतों तक पहुंचाने के लिए क्या-क्या भगीरथ प्रयत्न करने होते हैं, यह सब सिंचाई मंत्रालय के मुखपत्र 'भगीरथ' में रहता है। यह पत्र पहले निकलता था। बीच में बंद होने के बाद अब इसका पुनः प्रकाशन आरंभ हुआ है।

भारतीय रेल

अगस्त, 1960 से 'भारतीय रेल' नामक मासिक का प्रकाशन रेल मंत्रालय कर रहा है जिसका उद्देश्य देश-विदेश की रेलों-विषयक जानकारी जनता तथा रेल कर्मचारियों तक पहुंचाना है । रेल विषयक सामग्री के साथ-साथ इसमें लेख, कविता तथा कहानियां सभी रहते हैं।

रेलों जैसे तकनीकी विषय की यह एकमात्र अधिकारिक पत्रिका है। इस पत्रिका ने तकनीकी रेल सामग्री हिन्दी में देने की अच्छी भूमिका निभाई है। रेल कर्मचारियों की रचनाओं को प्रोत्साहन देने और उन्हें रेलों विषयक नवीनतम जानकारी से परिचित कराने का उपयोगी काम कर रही है। रेल कर्मचारियों में कर्त्तव्य-बोध जागृत करने तथा जनता को सामाजिक बुराइयों से विरत करने का भी प्रयास यह पत्रिका करती है । यात्री जनता के लिए भी अनेक उपयोगी सामग्री देकर सामाजिक शिक्षा-प्रसार का भी काम करती है।

राष्ट्रीय अर्थतंत्र में रेलों का स्थान, उनकी समस्याओं, योजनाओं एवं नये-नये प्रयासों को जनता तक पहुंचाकर उपयोगी सेवा कर रही है। इसके माध्यम से रेल कर्मचारियों और रेल उपयोगकर्त्ताओं के साथ रेल-प्रशासन का सीधा संपर्क संभव होता है। सज्जा-प्रस्तुतीकरण एवं सामग्री की दृष्टि से सरकारी पत्रिकाओं में यह सर्वोत्तम पत्रिका के रूप में मानी जाती है।

भाषा

शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा 1961 से प्रकाशित यह त्रैमासिकी भारतीय भाषाओं की समस्याओं, भाषा व्याकरण, 'शब्द श्री', 'स्फुट विचार', छाया, स्रोतास्विनी', 'भारतीय भाषाविद', 'भारतीय साहित्य' आदि स्तंभों के अन्तर्गत ज्ञान-वर्धक सामग्री से भरपूर रहती है। इस पत्रिका में भारतीय भाषाओं के भाषा वैज्ञानिक पक्ष और उनके साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विशेष बल दिया जाता है। इस दृष्टि से यह अपने प्रकार की विशिष्ट पत्रिका है तथा संदर्भ एवं अनुसंधान की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है।

भारतीय भाषाओं को परस्पर निकट लाने, उनकी समस्याओं को समझने तथा हिन्दीतर राज्यों के हिन्दी प्रेमियों की समस्याओं का शास्त्रीय एवं विद्वतापूर्ण विवेचन करने के अपने उद्देश्य में पत्रिका सफल है और अपनी दृष्टि से देश के भावात्मक एकता के साधन में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही है।

योजना

1957 में योजना आयोग की ओर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने 'योजना' नामक पाक्षिक पत्रिका निकालनी शुरू की जो आज भी निकल रही है।

इसमें लेखों तथा ललित रचनाओं के साथ योजना विषयक ठोस सामग्री प्रदान कर तथा अपने देश के ही नहीं, अन्य देशों के आयोजन कार्यक्रमों की झांकी देकर इसने आयोजन के प्रति व्यापक दृष्टि प्रदान करने का प्रयास किया है।

यह पत्रिका योजना जन्य नवनिर्माण की चेतना का वाहक भी बन रही है। इसका प्रयास यह है कि यह पत्रिका जन-जीवन से जुड़ी नई प्रवहमानता को मुखर करने का साधन बन सके। इस रूप में इसने परिणामी प्रचार शुरू करके एक नई दिशा दी है। साथ ही योजना विषयों से संबंधित सामग्री तो इसमें रहती ही है।

रोजगार समाचार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने देश के बेरोजगारों की एक असाधारण एवं अमूल्य सेवा की है 'रोजगार समाचार' निकाल कर। अप्रैल 1969 में प्रकाशित इस साप्ताहिक पत्र में समाचार जैसा कुछ नहीं, केवल विभिन्न सेवा आयोगों, सरकारी विभागों सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के रोजगार संबंधी विज्ञापन होते हैं। बेकार लोगों को इस पत्र से पता चलता है कि कहां नौकारियों के लिए पद रिक्त हैं। इससे उन्हें सप्ताह में केवल चार आने खर्च करके सभी रिक्त पदों की सूचना एक बार में एक ही स्थान पर मिल जाती है। हां, इस साप्ताहिक में अभी गैर सरकारी क्षेत्र के रिक्त पदों की जानकारी नहीं रहती है।

इस प्रकार के पत्र की देश को कितनी आवश्यकता थी, यह इसी बात से प्रकट है कि शुरू के 7-8 महीनों के अन्दर ही इस पत्र की प्रसार संख्या 3.5 लाख पहुंच गई और यह हिन्दी-अंग्रेजी के अलावा अन्य कई भाषाओं में छपने लगा है।

लघु उद्योग सामाचार

लघु उद्योगों में प्रयुक्त तकनीकी उन्नति, सुधरी प्रक्रियाओं तथा नये नये उपकरणों के प्रयोग से समुन्नत वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देने तथा लघु उद्योगों संबंधी सरकारी नीति और सरकार से प्राप्त अनेक सुविधाओं के प्रचार-प्रसार के लिए जनवरी, 1973 से यह मासिक पत्र प्रकाशित किया गया है।

विकास आयुक्त, लघु उद्योग (औद्योगिक विकास मंत्रालय नई दिल्ली) की इस मासिक पत्रिका के विस्तार की काफी गुंजाइश है।

विज्ञान प्रगति

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा 1952 में आरंभ की गई यह मासिक पत्रिका विद्यार्थियों तथा विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इसमें विविधि वैज्ञानिक विषयों पर उपयोगी सुरुचिपूर्ण तथा प्रामाणिक लेख रहते हैं।

आरंभ में इसमें विज्ञान के गवेषणा पूर्ण लेख रहते थे लेकिन 1964 से इसमें लोकप्रिय वैज्ञानिक सामग्री को प्राथमिकता दी जाने लगी है। इसकी शैली तथा भाषा भी उन पाठकों के अनुकूल हो गई है जिन्होंने विज्ञान का विधिवत अध्ययन नहीं किया है।

विद्या

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के इस त्रैमासिक मुखपत्र का मुख्य लक्ष्य है विश्वविद्यालय स्तर के साहित्य की समीक्षा; संबद्ध समस्याओं का विवेचन तथा हिन्दी और भारतीय भाषाओं को शिक्षा का सक्षम माध्यम बनाने के लिए शब्दावली का प्रचार और प्रसार। इस पत्रिका में इन विषयों से संबंधित लेख, समीक्षा, विचार और समाचार प्रकाशित होते हैं।

शिक्षा विवेचन

अप्रैल 1972 में आरंभ हुई इस त्रैमासिकी में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की 'दि एजूकेशन क्वार्टरली' पत्रिका में निकले शिक्षा विषयक लेखों, समस्याओं और व्याख्याओं का हिन्दी अनुवाद रहता है। इसमें शिक्षा जगत के महत्वपूर्ण प्रश्नों और भारत एवं विदेशों में हो रही शैक्षिक एवं युवा कल्याण की गतिविधियों एवं प्रयोगों की जानकारी देने का प्रयास किया जाता है।

संस्कृति

शिक्षा और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय ने 1958 में संस्कृति नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। उस समय इसे भारतीय संस्कृति के विविध अंगों का दर्पण बना, संस्कृति के किसी न किसी उज्जवल पक्ष की झाँकी प्रस्तुत की जाती थी। आज भी इसमें विचारपूर्ण सामग्री रहती है। सभी रचनाएं संदर्भ सहित पूर्ण गंभीरता के साथ लिखी जाती हैं।

सज्जा एवं सामग्री सभी दृष्टियों से सांस्कृतिक गरिमा के अनुरूप गंभीर शैली में पत्रिका के संपादन और सग्रहणीय सामग्री से पुष्ट यह पत्रिका आज भी निकल रही है।

समाज कल्याण

1955 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा आरंभ हुई इस मासिक पत्रिका ने सरकारी पत्रिकाओं में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है। इस में भारतीय समाज के औद्योगिक विकास से लेकर सांस्कृतिक पहलुओं की विविध प्रकार की उपयोगी सामग्री रहती है।

तब से अब तक निर्बाध निकलने वाली यह पत्रिका विषय वस्तु तथा सज्जा सभी दृष्टिओं से अपना स्तर बनाये हुए है। इस पत्रिका का एक उद्देश्य समाज कल्याण कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार एवं प्रसार करना है। 'भारतीय समाज की समस्याओं को भारतीय परिवेश में ही देखना होगा और सुधार लाने के लिए भारतीय दृष्टि ही उपयोगी होगी' –इस मूल भावधारा से प्रेरित अनेक रचनाएं 'समाज कल्याण' में देखी जा सकती हैं। इसे कहानी, कविता, लेखों आदि से सुरुचिपूर्ण बनाने का सतत प्रयास रहता है। रचनाओं की सज्जा भी प्रशंसनीय होती है।

सामग्री एवं सज्जा और साफ-सुथरे नयनाभिराम मुद्रण के कारण यह पत्रिका सरकारी पत्रिकाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय पत्रिकाओं की श्रेणी में आती है।

सैनिक समाचार

'फौजी अखबार' नाम से 1909 में संस्थापित यह पत्र अब 'सैनिक समाचार' बन गया है। आज यह 'सशस्त्र सेनाओं का दस भाषाओं में प्रकाशित साप्ताहिक' है। सेना के तीनों अंगों के समाचारों के साथ-साथ इसमें फौजियों की लेखन प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है। सेना में लेखन, कविकर्म और छविकर्म करने वाली अनेकमुखी प्रतिभाएं विद्यमान हैं। इन के सृजनात्मक प्रयासों को प्रकाशित कर यह पत्र जहां उनको प्रोत्साहन प्रदान करता है, वहीं उनके मनोरंजन के लिए अन्य लेखकों की रचनाओं को भी इसमें स्थान दिया जाता है। इस प्रकार यह पत्र 'दसों दिशाओं में राष्ट्र की रक्षा के लिए अहर्निश तत्पर रहते जवानों' को तरोताजगी बख्शने तथा उनके लिए नई से नई जानकारी देने वाला साप्ताहिक बन गया है।

सेना के विभिन्न क्षेत्रों में क्या-क्या हो रहा है, इसकी खबरों के अलावा यह पत्र सैनिकों की महिलाओं के लिए उपयोगी सामग्री, विकलांग सैनिकों के पुनर्वास और वीरगति प्राप्त सैनिकों एवं अधिकारियों की वीर पत्नियों के कल्याणार्थ किये गये कामों की जानकारी भी देता है।

सामग्री के अतिरिक्त सज्जा एवं प्रस्तुतीकरण की ओर भी पर्याप्त ध्यान रहता है जिससे यह पत्रिका सैनिकों की लोकप्रिय पत्रिका बन गई है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार ने उन विषयों की पत्रिकाएं निकाली हैं, या उस समय पत्रिकाएं निकाली हैं, जब गैर सरकारी क्षेत्र के लोग पीछे थे या इन क्षेत्रों में हाथ डालने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। इस दृष्टि से सरकारी पत्रिकाएं खास कर विज्ञान-तकनीकी पत्रिकाएं एक निश्चित भूमिका निभाये चल रही हैं। सरकार के ये प्रयास हिन्दी को इन विषयों की इतनी सामग्री तो देते ही जा रहे हैं कि इन क्षेत्रों में कोई हिन्दी को 'बांझ' न कह सके। आने वाले दिनों में ये पत्रिकाएं इन विषयों के गहन अध्ययन की पूर्व-पीठिका बनेंगी।

यदि हिन्दी पाठकों में इन विषयों की पत्रिकाओं को पढ़ने में अभिरुचि होती या खरीदने की क्षमता होती तो गैर सरकारी स्तर पर ये पत्रिकाएं प्रकाशकों के लाभ का, और आकर्षण का कारण बन चुकी होती। और तब सरकार को वस्तुतः इस क्षेत्र में आना भी न पड़ता। इस प्रकार जब तक केतकी अपने पराग-मकरंद से दिग्दिगंत को सुवासित नहीं करती, तब तक इन पत्रिकाओं को ही निष्पत्र करील का वासन्ती-विलास मानना होगा।

□□□

[पृष्ठ 23 का शेष]

कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन सनातन धर्म सभा द्वारा संचालित 44 पाठशालाओं, आर्य प्रतिनिधिसभा की 9 और कबीरपंथियों की दो पाठशालाओं में हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था है। इनके अतिरिक्त वहां की भारतीय विद्या संस्थान हिन्दी प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में उपयोगी कार्य कर रहा है। मुझे जमैका में भी हिन्दी सीखने का आग्रह सर्वत्र दृष्टिगोचर हुआ। संयुक्त राज्य अमरीका के 33 विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था है तथा कई विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्य भी चल रहे हैं। यू० के० के लंदन, यार्क और कैम्ब्रिज विश्व-विद्यालयों में अत्यंत व्यवस्थित ढंग से हिन्दी पढ़ाई जाती है। मुझे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का हिन्दी अध्यापन का स्तर शिक्षण और शोध की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ प्रतीत हुआ है क्योंकि शोध के क्षेत्र में वे हिन्दी भाषा और साहित्य की गहराई तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त विदेशों में हिन्दी प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में सोवियत-संघ का कार्य सराहनीय है। हिन्दी शिक्षण के अलावा हिन्दी के अनेक लेखकों की कृतियों का रूसी भाषा में अनुवाद किया गया है तथा वहां की सरकार तथा जनता हिन्दी के प्रचार-प्रसार में पूर्ण दिलचस्पी रखती है। विदेश मंत्रालय इन सभी देशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में सहयोग एवं सहायता देता रहा है तथा इसके लिए और अधिक मुस्तैदी से काम करने के लिए कृत-संकल्प है।

इस प्रकार आप देखेंगे कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार में विदेश मंत्रालय का दायित्व अत्यंत विशिष्ट एवं व्यापक है। हमें न सिर्फ असांविधिक अपितु अंतर्राष्ट्रीय करार एवं समझौते जैसे अत्यधिक सांविधिक प्रलेखों का पाठ तैयार करना होता है वरन् हम राजभाषा के कार्यान्वयन के अतिरिक्त विश्व के बड़े देशों से लेकर नवोदित देशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं तथा भाषा के माध्यम से अपने देश के साथ अन्य देशों के सांस्कृतिक एवं राजनयिक संबंधों को सुदृढ़ कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर वस्तुतः यह कार्य अत्यधिक जटिल एवं चुनौती पूर्ण है, लेकिन जटिल एवं चुनौती पूर्ण मार्ग पर चलने का भी अपना एक अलग आनंद होता है।

इस महत्वपूर्ण कार्य को दिशा-निर्देश देने के लिए विदेश मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति की उप समिति का इस मंत्रालय में गठन हो चुका है। विदेश राज्यमंत्री इस उप-समिति के उपाध्यक्ष हैं। इनके अतिरिक्त सर्वश्री नवाब सिंह चौहान, संसद्सदस्य, रवि राय, संसद्सदस्य, गंगा शरण सिंह, डॉ० मलिक मोहम्मद, राजभाषा सचिव और विदेश सचिव इस उप-समिति के सदस्य हैं। विदेशी हिन्दी लेखकों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार समिति का गठन भी इस उप-समिति के निर्णयानुसार शीघ्र ही होने वाला है।

विश्व हिन्दी परिवार आज बहुत व्यापक हो गया है और स्वाभाविक रूप से विदेशी हिन्दी लेखक प्रेरणा एवं प्रोत्साहन के लिए भारत की ओर देखते हैं और उनकी आशाओं एवं आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने की दिशा में उप-समिति प्रयास कर रही है। ○○○

हिन्दी शिक्षण योजना के उपनिदेशकों का छठाँ सम्मेलन और उसकी उपलब्धियाँ

—गोपाल चतुर्वेदी

उप सचिव, राजभाषा विभाग

इस वर्ष 18, 19 और 20 सितम्बर, 1978 को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अन्तर्गत चल रही हिन्दी शिक्षण योजना के उपनिदेशकों का छठाँ सम्मेलन, बम्बई में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राजभाषा विभाग के सचिव और भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार श्री रमाप्रसन्न नायक ने हिन्दी शिक्षण योजना के उप निदेशकों के वार्षिक सम्मेलन के महत्व को स्वीकार करते हुए यह विश्वास व्यक्त किया कि इसमें योजना से संबंधित सभी कठिनाइयों पर गहराई से विचार किया जाएगा, उनके निराकरण के लिए सुझाव दिए जाएंगे तथा इस योजना को किस प्रकार और उपयोगी और प्रभावी बनाया जा सकता है, इस पर भी विचार-विनिमय होगा। श्री नायक ने यह भी बताया कि आज के माहौल में सबसे जरूरी बात राष्ट्र की एकता है। हिन्दी तो इस लक्ष्य के लिए मात्र एक साधन है। यह ध्यान में रखकर हमें पूर्णनिष्ठा, उत्साह और मनोयोग से अपने काम को करना है।

कार्य सूची में शामिल मदों (विषयों) पर विचार करने से पहले पिछले सम्मेलन में चर्चित मदों के संबंध में अभी तक की गई कार्रवाई और की जा रही कार्रवाई के बारे में

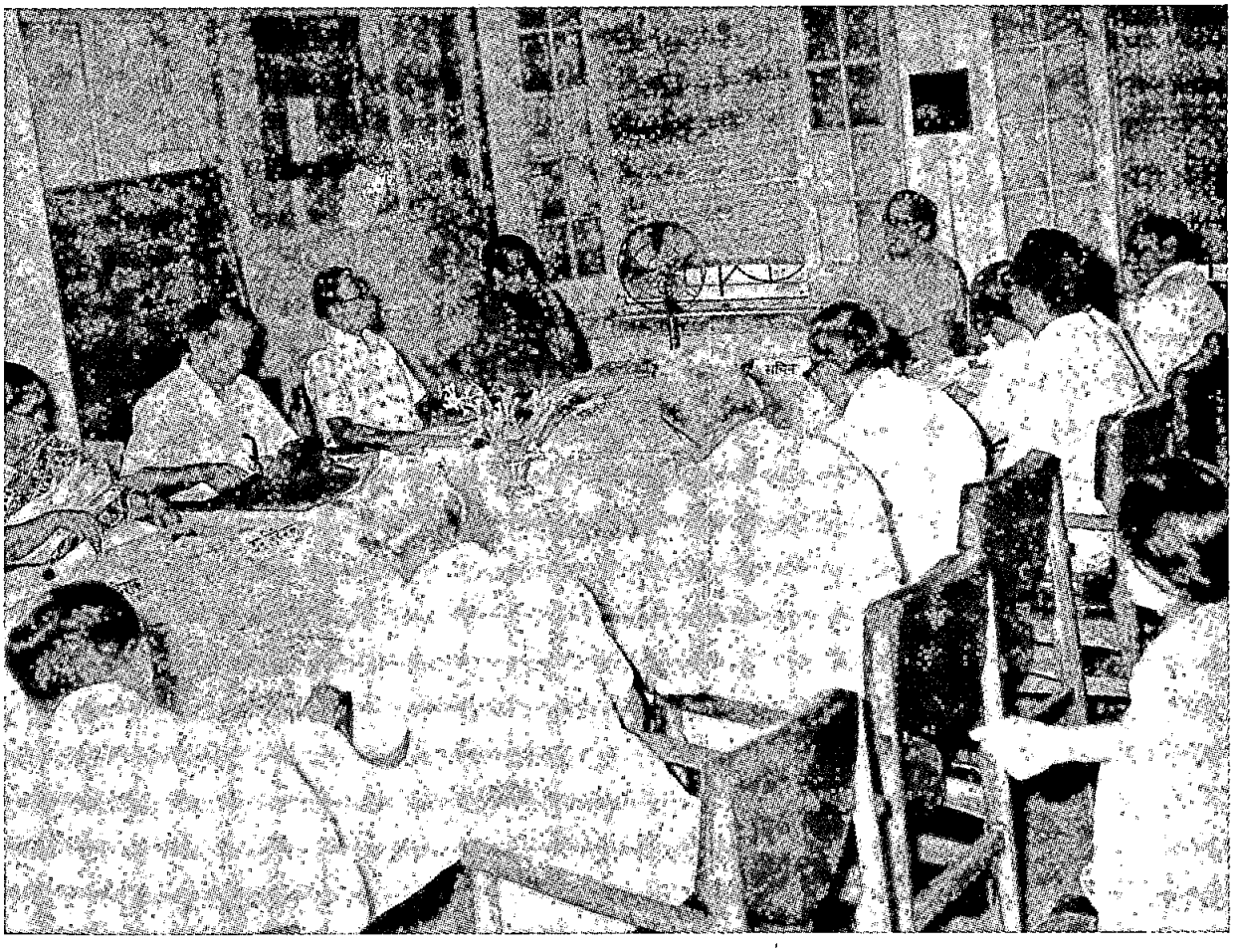

बम्बई में आयोजित हिन्दी शिक्षण योजना के उप निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राजभाषा सचिव श्री रमाप्रसन्न नायक चित्र में बैठे दिखाई दे रहे हैं (1) उपसचिव श्री गोपाल चतुर्वेदी (2) अवर सचिव श्री पी० एस० निगम (3) पूर्वी क्षेत्र के उप निदेशक श्री अशोक कुमार भट्टाचार्य (4) मध्यक्षेत्र की उप निदेशक श्रीमती सरोजिनी निगम (5) सहायक निदेशक श्री आर० एन० झा (6) सहायक निदेशक श्री सोहन मल लोढ़ा (7) पश्चिम क्षेत्र के उप निदेशक श्री कृष्ण लाल गौतम (8) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री राजमणि तिवारी (9) डेस्क अधिकारी श्री शिवशंकर गुप्त (10) संयुक्त निदेशक श्री प्रयाग नाथ चतुर्वेदी और (11) राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री मुनीश गुप्त।

विषयवार यथातथ्य जानकारी दी गई। साथ ही हिन्दी शिक्षण योजना की पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर अब तक जो कार्रवाई की गई है या की जा रही है, उसके बारे में ब्यौरेवार सूचना दी गई।

दी गई सूचना और प्रमुख निर्णयों का विवरण इस प्रकार है :—

सम्मेलन के अध्यक्ष उप सचिव (हिन्दी) ने यह जानकारी दी कि हिन्दी प्राध्यापकों के 20 अतिरिक्त अस्थायी पद वित्त मंत्रालय ने मंजूर किए हैं। इन प्राध्यापकों की नियुक्ति के बारे में सभी उपनिदेशकों की राय थी कि उन्हें तदर्थ रूप में अतिशीघ्र भर दिया जाना चाहिए ताकि क्षेत्रों की तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति हो सके। क्षेत्रों की आवश्यकतानुसार यथासंभव उनकी तैनाती के आदेश राजभाषा विभाग द्वारा जारी कर दिए जाएंगे।

सभी उपनिदेशकों ने अपने-अपने क्षेत्रों की हिन्दी और हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि की कक्षाओं तथा उनमें दाखिला प्राप्त प्रशिक्षार्थियों की अद्यतन स्थिति बतायी। अध्यक्ष महोदय ने उप निदेशक (दक्षिण), (पूर्व) तथा (पश्चिम) को यह आश्वासन दिया कि उनके क्षेत्रों में अतिरिक्त हिन्दी प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए तत्काल कार्रवाई की जायेगी। अध्यक्ष महोदय ने इन उपनिदेशकों को यह भी निदेश दिया कि इन अतिरिक्त प्राध्यापकों का, स्थानीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से चयन करते समय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाए। यदि स्थिति विशेष में इस सूची में अभीष्ट योग्य उम्मीदवार न मिलें, तो जो भी उम्मीदवार रोजगार दफतर द्वारा नामित किये जाएँ उन्हीं में से योग्य उम्मीदवारों का चयन हिन्दी प्राध्यापक के पदों पर किया जाना चाहिए। इसमें सुरक्षित पदों के बारे में रोस्टर का सतर्कता से ध्यान रखा जाए। उपनिदेशक (उत्तर) ने बताया कि नई दिल्ली में इस समय 6 सहायक निदेशक (टंकण तथा आशुलिपि) तैनात हैं। प्रत्येक सहायक निदेशक के पास पूरा-पूरा कार्य है। अतः कक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक "लीव रिजर्व" सहायक निदेशक की यथाशीघ्र नियुक्ति की जाए। अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में उपयुक्त समय पर विचार किया जायेगा। सरकारी उपक्रमों और उद्यमों के कर्मचारियों के हिन्दी टंकण और आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक केन्द्र पर अलग से उन्हीं के कर्मचारियों के लिए कक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। विहित धन राशि लेने के संबंध में विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिए जाएंगे। सभी उपनिदेशकों का विचार था कि प्रतिदिन की हिन्दी कक्षाओं में प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति अपेक्षाकृत अच्छी रहती है। इसलिए जहाँ तक हो सके सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक प्रतिदिन की कक्षाओं का गठन किया जाए किन्तु इसका आशय यह नहीं है कि आवश्यकतानुसार एकान्तर दिन की कक्षाओं का गठन ही न किया जाए। सामान्यतः 15 से कम प्रशिक्षार्थियों की किसी कक्षा का गठन न किया जाए।

प्रमुख निर्णय एवं सिफारिशें

सरकारी उपक्रमों और उद्यमों आदि के कर्मचारियों का हिन्दी, हिन्दी टाईपिंग व हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण—विभिन्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण और दिशा निर्देश :—

यह निश्चित किया गया कि सरकारी उपक्रमों तथा उद्यमों में सामान्यतः 30 से 40 के बीच में प्रशिक्षार्थियों की कक्षाओं का गठन किया जाए। किसी उपक्रम या उद्यम के अनुरोध करने पर इनसे कम कर्मचारियों के लिए भी उनके खर्च पर ही एक कक्षा का गठन किया जा सकता है। किन्तु सामान्यतः एक कक्षा में 40 से अधिक कर्मचारियों को दाखिल नहीं किया जाना चाहिए।

प्रशिक्षण केन्द्रों का विस्तार तथा उसको अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में यह मत था कि एक समिति का गठन किया जाए जिसके अध्यक्ष संयुक्त निदेशक रहें तथा उसमें उप निदेशक (उत्तर) तथा एक सहायक निदेशक को रखा जाए। यह समिति गृह मंत्रालय द्वारा हिन्दी शिक्षण योजना के संबंध में सन् 1957 में प्रकाशित पुस्तिका में आवश्यक संशोधन और परिवर्द्धन कर के हिन्दी शिक्षण योजना की अद्यतन रूप रेखा का मसौदा तैयार करके उसे अन्य उप निदेशकों को उन की राय के लिए भेजे तथा उसके अनुसार उसका अन्तिम मसौदा राजभाषा विभाग के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करे। यह कार्य समिति द्वारा यथासंभव 45 दिन की समयावधि में अवश्य पूरा किया जाना चाहिए।

जिन केन्द्रों पर सहायक निदेशक नियुक्त हैं वहां एक महीने में कम से कम 10 हिन्दी कक्षाओं का निरीक्षण किया जाना है। सभी क्षेत्रों में निरीक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र को उप क्षेत्रों (सर्किलों) में बाँटने के लिए पाँचों उप निदेशकों ने आपस में विचार विमर्श कर इस संबंध में अपने-अपने क्षेत्रों के सर्किलों की सूची तैयार की।

हिन्दी, हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि की कक्षाओं में दाखिले के लिए एक आवेदन पत्र बनाया जाए और आगामी सत्र से सभी केन्द्रों पर, इसके लिए समान प्रणाली प्रारम्भ की जाए। यह समान प्रणाली क्या हो, इसके लिए एक स्वतःपूर्ण प्रस्ताव संयुक्त निदेशक और उप निदेशक (उत्तर) राजभाषा विभाग को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेंगे।

हिन्दी टाईपिंग तथा आशुलिपि की कक्षाओं को मौजूदा चालू केन्द्रों के अलावा अन्य नगरों में गठित करने के संबंध में भोपाल नगर में की गई व्यवस्था, जहाँ राज्य सरकार के भाषा विभाग द्वारा यह व्यवस्था चलाई जा रही है, को ध्यान में रखा जाए। वहां अंशकालिक केन्द्र

चलाने के लिए अनुदेशक को प्रति माह 100/- रुपये तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 15/- रुपये देने की व्यवस्था लागू की गई है । जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था संभव न हो, उनके संबंध में अनुमोदन के लिए राजभाग विभाग को प्रस्ताव भेजे जाने चाहिए ।

हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था :

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत "हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान" के गठित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । इस संस्थान के बन जाने के बाद उसके अधीन गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था लागू करने के संबंध में विचार किया जा सकता है ।

पुनरीक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार, हिन्दी प्राध्यापकों द्वारा आधुनिक दृश्य-श्रव्य प्रशिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग—प्रारम्भ में क्षेत्रीय मुख्यालयों के प्रशिक्षण केन्द्रों पर इसकी व्यवस्था का करना :—

इस बात पर सभी एकमत थे कि विभाग में उपलब्ध टेप-रिकार्डों को पाँचों उप-निदेशकों के मुख्याललों में बाँट दिया जाए ताकि उनका उपयोग प्रशिक्षण सहायक सामग्री के रूप में किया जा सके । इस समय अन्य आधुनिक दृश्य-श्रव्य प्रशिक्षण सहायक सामग्री का हिन्दी शिक्षण योजना के लिए उपलब्ध कराया जाना वित्तीय दृष्टि से संभव नहीं है ।

संयुक्त निदेशक के कार्यालय द्वारा हिन्दी, हिन्दी टाईपिंग और हिन्दी आशुलिपि में पत्राचार पाठ्यक्रम का संचालन :

इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया तथा यह तय हुआ कि इस पर संयुक्त निदेशक के कार्यालय द्वारा अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए तथा राजभाषा विभाग के अनुमोदन के बाद इसको चालू किया जाना चाहिए ।

हिन्दी शिक्षण योजना की पुनरीक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार योजना के हिन्दी प्राध्यापकों द्वारा हिन्दी कार्यशालाओं का संचालन :—

सभी सहमत थे कि हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी कार्यशालाओं का संचालन किया जाना चाहिए । इसके लिए संयुक्त निदेशक के कार्यालय द्वारा मौजूदा सामग्री और 18 पाठों में आवश्यक संशोधन तथा परिवर्द्धन करके उसे अन्तिम रूप दिये जाने के पहले राजभाषा विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए । हिन्दी प्राध्यापकों को हिन्दी कार्यशाला के संचालन के लिए विहित मानदेय दिए जाने के संबंध में भी राजभाषा विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से इस पाठ्य-सामग्री के अतिरिक्त उनकी विभागीय पाठ्य सामग्री प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाना है ।

संशोधित पाठ्यक्रम के दूसरे सत्र की प्रायोगिक कक्षाओं की परीक्षा हो जाने पर अखिल भारतीय स्तर पर प्रबोध पाठ्यक्रम के स्थान पर संशोधित पहले पाठ्यक्रम का शुरू किया जाना :

सबकी राय यह थी कि केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा द्वारा तैयार किए गए संशोधित पाठ्यक्रम के अधीन प्रायोगिक कक्षाओं का गठन केवल एक बार ही किया जाए । संशोधित पहले पाठ्यक्रम के दूसरे सत्र की प्रायोगिक कक्षाओं के प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद, मौजूदा प्रशिक्षण सामग्री तथा पुस्तकों को अन्तिम रूप दिए जाने पर इस पाठ्यक्रम को मौजूदा प्रबोध पाठ्यक्रम के स्थान पर लागू किया जाना चाहिए ।

संयुक्त निदेशक के कार्यालय में हिन्दी, हिन्दी टाईपिंग और हिन्दी आशुलिपि परीक्षाओं का परीक्षा स्कंध द्वारा संचालन, अपेक्षित बजट का प्रावधान तथा इस स्कंध के प्रभारी उप निदेशक और अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति :—

सभी एकमत थे कि योजना की परीक्षाओं के संचालन का कार्यभार संयुक्त निदेशक के परीक्षा-स्कंध को यथाशीघ्र ले लेना चाहिए तथा इस संबंध में बजट प्रावधानों तथा उपयुक्त पदों के सृजन और प्रारम्भ में प्रतिनियुक्ति पर शिक्षा निदेशालय की परीक्षा शाखा में से स्टाफ को लेने तथा परीक्षा संचालन के संबंध में सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक उप समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें राजभाषा विभाग के डेस्क अधिकारी तथा हिन्दी शिक्षण योजना के संयुक्त निदेशक के कार्यालय के सहायक निदेशक (परीक्षा) रहेंगे । इस समिति को संयुक्त निदेशक के माध्यम से एक स्वतःपूर्ण प्रस्ताव शीघ्रातिशीघ्र राजभाषा विभाग को आगे कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करना चाहिए ।

पाक्षिक डायरी को समाप्ति—उसके स्थान पर हिन्दी प्राध्यापकों और सहायक निदेशकों द्वारा किये गये संगठनात्मक और सम्पर्क कार्यों का मार्च और सितम्बर में दो बार विशेष विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा का निर्धारण :

आवधिक रिपोर्टों और विवरणों तथा पाक्षिक डायरियों के प्रोफार्मा में पाँचों उप निदेशकों ने अपेक्षित संशोधन प्रस्तुत किये । उनके आधार पर उनको अन्तिमरूप संयुक्त निदेशक और उप निदेशक (उत्तर) को देना चाहिए तथा उन्हें अनुमोदन तथा आवश्यक आदेश जारी करने के लिए राजभाषा विभाग को जल्दी ही प्रस्तुत करना चाहिए । अध्यक्ष महोदय ने सभी उप निदेशकों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के विकास कार्य और समस्याओं का विवरण विहित प्रोफार्मा में अर्ध सरकारी पत्र द्वारा महीने में एक बार उप सचिव को भेजें । इस विवरण को शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय विषयों में विभाजित करते हुए प्रस्तुत किया जाना चाहिए । यह कार्य योजना के सहायक निदेशकों को भी करना है जो अ०स० पत्र द्वारा अपनी रिपोर्ट संबंधित उप निदेशक को भेजेंगे । हिन्दी प्राध्यापकों के लिए पाक्षिक डायरी भरने की व्यवस्था मौजूदा फार्म में ही चालू रखी

जाए । संशोधित प्रोफार्मा की स्वीकृति के बाद यह पाक्षिक डायरी उस प्रोफार्मा पर भेजी जायेगी ।

उप निदेशकों के कार्यालयों में गठित पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थिति और उनको अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाने के संबंध में सुझाव :

यह तय हुआ कि प्रारम्भ में सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों, में ही पुस्तकालयों का गठन किया जाए तथा पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं को योजना के प्राध्यापकों, सहायक निदेशकों अन्य अधिकारियों तथा प्रशिक्षार्थियों को जारी करने की सुनिश्चित व्यवस्था बनाई जाये ताकि उनका पूरा उपयोग हो सके । क्षेत्रीय मुख्यालयों में किसी लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अपने कार्य के अतिरिक्त पुस्तकालय का काम करने के लिए क्रमशः तीस रुपये और पन्द्रह रुपये का मानदेय दिया जाए और राजभाषा विभाग इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी करे । पत्र-पत्रिकाओं की खरीद के संबंध में उन्होंने कहा कि मौजूदा सूची में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है तथा उपयोगी और लाभदायक पत्र पत्रिकाएँ ही खरीदी जाएँ । दैनिक पत्रों को भी खरीदा जा सकता है । इस संबंध में पुराने आदेशों में अभीष्ट संशोधन के लिए उप निदेशकगण राजभाषा विभाग को लिख सकते हैं ।

योजना के अनुसंधान एकक द्वारा एक वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन, जिसमें योजना की गतिविधि, प्रगति, उपलब्धि पाठ्य-सामग्री, प्रशिक्षण–विधि आदि विषयों का समावेश हो :

यह प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है । इस पर ब्योरेवार कार्य करने के लिए अध्यक्ष महोदय ने संयुक्त निदेशक से कहा है कि वे राजभाषा विभाग के अनुसंधान और विश्लेषण एकक द्वारा प्रकाशित "राजभाषा भारती" पत्रिका की व्यवस्था से संबंधित सभी पहलुओं की जानकारी प्राप्त करने के बाद एक स्वतःपूर्ण प्रस्ताव विभाग को प्रस्तुत करें।

अंशकालिक केन्द्रों के खोलने और बन्द करने तथा वहां अंशकालिक प्राध्यापकों की नियुक्ति की स्वीकृति का अधिकार संयुक्त निदेशक को देना :––

उप निदेशकों को यह प्राधिकार दिया जाना चाहिए कि उनके क्षेत्रों में जितने अंशकालिक केन्द्र बन्द होते हैं उतनी ही संख्या में अंशकालिक केन्द्र शुरु किए जा सकते हैं । नये प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने के संबंध में विहित प्रोफार्मा के साथ, चालू प्रणाली के ही अनुसार स्वतःपूर्ण प्रस्ताव, संयुक्त निदेशक को भेजे जाने चाहिए ।

उप निदेशकों को अपने क्षेत्र के किसी हिन्दी प्राध्यापक के 45 दिन या उससे अधिक दिन छुट्टी जाने पर तदर्थ हिन्दी प्राध्यापक की नियुक्ति का अधिकार––औपचारिक नियुक्ति का आदेश राजभाषा विभाग द्वारा बाद में जारी किया जाना :

यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया। नियुक्ति रोजगार-कार्यालय के माध्यम से होनी चाहिए और उम्मीदवार अनुसूचित जाति या जन जाति का होना चाहिए । बाद में राजभाषा विभाग औपचारिक आदेश जारी करेगा ।

क्षेत्रीय मुख्यालयों के सर्वकार्य प्रभारी अधिकारियों की पद व्यवस्था खत्म हो जाने के बाद अन्य केन्द्रों के सर्वकार्य प्रभारी अधिकारियों की पद व्यवस्था की समाप्ति की दिशा में आवश्यक कार्रवाई :

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कलकत्ते में सर्वकार्य प्रभारी अधिकारियों की फिर से नियुक्ति न की जाए । जहाँ सहायक निदेशकों के कार्यालय हों, वहाँ भी, जहाँ तक संभव हो इस पद व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए । कालान्तर में पूर्णकालिक केन्द्रों पर भी इस व्यवस्था को समाप्त कर उसका कार्यभार संबंधित सहायक निदेशक को सौंपा जा सकता है । इस संबंध में एक साथ ही आदेश जारी करना न वांछनीय है और न व्यावहारिक । सहायक निदेशकों के उप क्षेत्रों की स्थापना के बाद धीरे-धीरे यह व्यवस्था की जा सकती है । इस संबंध में उप निदेशकों द्वारा केन्द्रवार सुझाव राजभाषा विभाग को विचारार्थ और निर्णय के लिए भेजे जा सकते हैं ।

अंशकालिक हिन्दी प्राध्यापकों के मानदेय में बढ़ोतरी :––

इस बात पर सभी एक मत थे कि हमें अच्छे अंशकालिक प्राध्यापक मिल सकें, इसके लिए मानदेय का बढ़ाना नितान्त आवश्यक है । राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में शीघ्र ही आदेश जारी कर दिए जाने चाहिए ।

सहायक निदेशकों का वेतनमान रु० 700 से 1300 के रूप में संशोधित करने के लिये कार्रवाई :––

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है । इस दिशा में राजभाषा विभाग को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए ।

केन्द्रीय विद्यालय और राज्य सरकारों के प्राध्यापकों की भांति योजना के हिन्दी प्राध्यापकों और सहायक निदेशकों को राष्ट्रीय पुरस्कार योजना में सम्मिलित कराने की दिशा में प्रयास :

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया । इसके लिए राजभाषा विभाग आवश्यक सूचना प्राप्त करने के बाद कार्रवाई करेगा ।

हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी प्राध्यापकों को स्वीकृत नकद पुरस्कारों की घोषणा :––

सभी की राय थी कि मौजूदा व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाये । इसके स्थान पर सभी क्षेत्रों के हिन्दी प्राध्यापकों को क्षेत्रवार-अर्थात् क्षेत्र के सभी हिन्दी प्राध्यापकों में से तीन हिन्दी प्राध्यापकों को विभिन्न राशि के नकद पुरस्कार दिये जा सकते हैं । इस संबंध में उप निदेशक पुरस्कार के पात्र हिन्दी प्राध्यापकों की संस्तुति रिपोर्ट वस्तुनिष्ठ आधार पर राजभाषा विभाग को प्रतिवर्ष भेजें।

इसके लिए नीचे लिखे विवरण के अनुसार सूचना भेजी जानी चाहिए :—

प्राध्यापक का नाम	नियुक्ति की तारीख	एक वर्ष की समयावधि में कार्य निष्पादन तथा विशेष कार्यों और उपलब्धियों का तथात्मक ब्योरा।
1	2	3

फिर भी राजभाषा विभाग को यह अधिकार रहेगा कि वह बिना कोई कारण बताए उप निदेशक द्वारा प्रस्तावित किसी भी हिन्दी प्राध्यापक के नाम को अस्वीकार कर दे।

इनके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नीचे लिखे विषयों पर भी विचार किया गया :—

(1) हिन्दी, हिन्दी टंकण व आशुलिपि प्रशिक्षण से संबंधित शिक्षण और सहायक सामग्री का निर्माण हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत ही किया जाए। इसके लिए संयुक्त निदेशक आगे आवश्यक कार्रवाई करें।

(2) यह भी सिफारिश की गई कि एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) की नियुक्ति के लिए, जिस पद के सृजन के लिए पुनरीक्षण समिति ने सिफारिश की है, उसके बारे में राजभाषा विभाग तत्काल आवश्यक कार्रवाई करे।

इस सम्मेलन का समापन करते हुए राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री मुनीश गुप्त ने कहा कि हिन्दी को लेकर देश में जो विवाद चल रहा है हमें उसमें नहीं पड़ना है। हमें तो अपने कर्त्तव्य का पूर्ण मनोयोग से पालन करना है। हमारा मुख्य काम सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण देना है। मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने मिल बैठकर प्रशिक्षण को कैसे और प्रभावी बनाया जाए इस पर उपयोगी विचार-विमर्श किया है।

संयुक्त सचिव ने उप निदेशकों के सम्मेलन के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि भविष्य में भी वर्ष में एक बार ऐसे सम्मेलन होने चाहिए क्योंकि इसमें विचारों का महत्वपूर्ण आदान-प्रदान होता है। संयुक्त सचिव ने यह भी बताया कि उप निदेशकों को चाहिए कि वे साल में एक दो बार सहायक निदेशकों और हिन्दी प्राध्यापकों के साथ मिल बैठकर विचार-विमर्श करें और जो नई बातें तथा सुझाव सामने आयें उन्हें राजभाषा विभाग तक पहुंचाने की कृपा करें।

पाठ्यक्रम को सतत रूप से अद्यतन बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने यह सुझाव दिया कि वर्तमान पाठ्क्रम के संशोधन पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए, जिससे एक ओर पाठ्यक्रम अधिक उपयोगी हो सके तथा दूसरी ओर इसे अधिक रुचिकर भी बनाया जा सके। इस संदर्भ में संयुक्त सचिव जी ने यह भी कहा कि हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपि की पाठ्य-पुस्तकों में भी सुधार की जरूरत है।

उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ की कक्षाओं में काफी समय लगता है। यदि हम गहन पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षण की अवधि को बिना स्तर गिराये कम कर सकें, तो हम आज की अपेक्षा अधिक प्रशिक्षार्थियों को हिन्दी सिखा सकते हैं।

□□□

बम्बई में आयोजित उप निदेशकों के छठें सम्मेलन के समापन के अवसर पर लिया गया चित्र।
(बीच में राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री मुनीश गुप्त दिखाई पड़ रहे हैं।)

संसदीय राजभाषा समिसति की तीरी उपसमिति के दौरे

—ब्रह्मदत्त चड्ढा

वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, संसदीय राजभाषा समिति

1. संसदीय राजभाषा समिति की पृष्ठभूमि, उसका पुनर्गठन तथा उसकी तीनों उपसमितियों के बारे में संक्षेप में जानकारी "राजभाषा भारती" के पहले दो अंकों में दी जा चुकी है। इस समय (30 सितम्बर, 1978 को) तीसरी उपसमिति की सदस्यता इस प्रकार है—

1.	श्री ओम मेहता—संयोजक	(सदस्य राज्य सभा)
2.	श्री जगन्नाथ राव जोशी	,,
3.	श्री गुरुदेव गुप्त	,,
4.	श्री वी० वेंका	,,
5.	श्री गार्गी शंकर मिश्र	(सदस्य लोक सभा)
6.	श्री एस० आर० रैड्डी	,,
7.	श्री अरबिन्द बाला पड्नोर	,,
8.	कुंवर महमूदअली खां	,,
9.	श्री सुरेन्द्र झा 'सुमन'	,,
10.	श्री इडुआर्डो फैलीरो	,,

2. तीसरी उपसमिति के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित मंत्रालय/विभाग तथा उनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय और उनके नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रम आदि हैं—

वित्त, पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक, इस्पात और खान, ऊर्जा, वाणिज्य, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, श्रम, पर्यटन और नागर विमानन, नौवहन और परिवहन तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय/विभाग आदि।

3. तीसरी उपसमिति ने, संसदीय राजभाषा समिति के जुलाई, 1977 में पुनर्गठन से पूर्व, देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले केन्द्रीय सरकार के 129 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति का जायजा लिया था। पुनर्गठन के बाद इस उपसमिति ने अब तक (5 अक्तूबर, 1978) कुल 134 कार्यालयों आदि का निरीक्षण किया है। कार्यक्रम के सिलसिले में इस उपसमिति ने निम्नलिखित शहरों का दौरा किया :—

भोपाल, भिलाई, राउरकेला, कलकत्ता, धनबाद, बोकारो राँची, नागपुर, हैदराबाद, बैंगलूर, देहरादून, ऋषिकेश, बम्बई, गोआ, नासिक, औरंगाबाद, गोहाटी, शिलांग, जोरहाट, नई दिल्ली, प्लानी, खेत्री, जयपुर, कोचीन, त्रिवेन्द्रम, श्रीनगर, अनन्तनाग, उधमपुर, जम्मू, अजमेर, उदयपुर, रुड़की, शिमला, कुल्लू, मनाली, नंगल, फरीदाबाद, लखनऊ, कानपुर, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, गंगटोक।

पुनर्गठन से पूर्व और उसके बाद तीसरीउपसमिति ने विभिन्न क्षेत्रों में जितने कार्यालयों का निरीक्षण किया, उनका विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है :

	पुनर्गठन से पूर्व (जुलाई 76 से जनवरी, 77 तक)	पुनर्गठन के बाद (सितम्बर, 77 से 5 अक्तूबर, 78 तक)
दिल्ली	10	19
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश	46	49
महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़	21	16
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय, सिक्किम	16	10
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल	33	20
जम्मू एवं कश्मीर	—	15
गोआ, दमन व दीव	3	5

अक्तूबर, 1978 में उपसमिति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में आगरा, ग्वालियर, झांसी और खजुराहो में स्थित केन्द्रीय सरकार, के कार्यालयों, उपक्रमों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की जाँच करेगी। अक्तूबर-नवम्बर 1978 में, संसद के अगले अधिवेशन से पूर्व उपसमिति गुजरात में अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर, गांधीधाम आदि नगरों का दौरा करेगी और उनमें स्थित केन्द्रीय सरकार के चुने हुए कार्यालयों, उपक्रमों का निरीक्षण करेगी और वहाँ के अधिकारियों से हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में विचार-विमर्श करेगी।

4. देश के सभी भागों में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय तथा उपक्रम हैं। इन सबका निरीक्षण करना सम्भव नहीं है। इसलिए उपसमिति ने अपना दौरा/निरीक्षण कार्यक्रम बनाते

[शेष पृष्ठ 42 पर]

केन्द्रीय सरकार के प्रकाशन : एक दृष्टि

डॉ० श्यामसिंह शशि
उपनिदेशक (हिन्दी) प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अच्छी पुस्तकें विश्व पर शासन करती हैं किन्तु यह बात उन सभी राष्ट्रों पर लागू होती है जिनकी लिखित भाषा है। वाल्टेयर का यह कथन आज भी उतना ही सत्य है जितना पहले था। वास्तव में अच्छी पुस्तक एक सच्ची संगिनी, तथा उत्तम मित्र होती है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए दिशा-बोध कराती है। वाल्मीकि रामायण हो या इलियड, ओडेसी, महाभारत अथवा रामचरित मानस हो या सूर-सागर, सभी ने मानव चिन्तन को नई दिशा दी है। किसी स्थान या प्रजाति विशेष तक ही इनका क्षेत्र सीमित नहीं रहा, बल्कि काल और देश से परे हटकर इनकी उपलब्धियां रही है। पंचतंत्र और ईसप की कथाएं आज दुनिया की प्रायः सभी भाषाओं में अनूदित हो चुकी हैं। कालिदास, शेक्सपियर, एजरा पाउंड, पाब्लो नेरूदा, निराला आदि आज विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। कार्ल मार्क्स, अगस्त काम्टे, कांट, गोर्की, इमाइल, दुखीमे आदि अनेक लेखकों ने सामाजिक चिन्तन को नए आयाम दिए। और इन्हीं आयामों ने प्रकाशन कार्य को प्रतिष्ठा दिलाई। यदि उनके विचार पुस्तक रूप में विश्व के समक्ष न आते तो कदाचित इतनी बड़ी क्रान्तियां न जनमतीं।

पुस्तकों के विषयों की, इतनी विविधता है कि उन सब को किसी श्रेणी विशेष में बांध पाना बड़ा कठिन है। फिर भी हम उन्हें यों रख सकते है—1. साहित्यिक 2. धार्मिक साहित्य, 3. राजनीति, 4. इतिहास, 5. वाणिज्य तथा तकनीकी साहित्य, 6. राष्ट्रीय जीवनियां, 7. बाल साहित्य, 8. विविध। सर्वाधिक बिकने वाला साहित्य सैक्स और अपराध पर लिखी गई पुस्तकों को छोड़कर प्रायः धार्मिक तथा बाल साहित्य होता है। यहां यह विचारणीय है कि क्या सैक्स और अपराध पर लिखा गया साहित्य भी अच्छा मित्र कहला सकता है? एक आम शिकायत सुनने में आती है कि किशोर इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ कर समाज विरोधी कार्यों में प्रवृत्त होने लगते हैं। अपराध साहित्य दिनों दिन बढ़ता जाता है तो लोग अपराध करने के नए तरीके जान जाते हैं।

प्रकाशन प्रायः दो व्यवस्थाओं में चलता है। सरकारी और गैर-सरकारी। गैर-सरकारी प्रकाशकों में स्तरीय प्रकाशक ही समाज, देश और वातावरण को ध्यान में रखकर अपना प्रकाशन कार्यक्रम बनाते हैं। अधिकांश का ध्येय धनार्जन होता है। बाजार में मारधाड़, रहस्य रोमांच या सैक्स के भोंडे रूप पर लिखी गई पुस्तकों की भरमार है। पाकेट बुक के कई प्रकाशक इसके लिए जिम्मेदार हैं। रूस तथा कुछ अन्य देशों को छोड़कर सर्वत्र काम, अपराध या घटिया स्तर का साहित्य लाखों की संख्या में बिकता है।

इस कुत्सित वृत्ति के विरोध में सेंसर फेल हो जाता है और प्रशासन लाचार। केवल सरकारी प्रचार के कुछ माध्यम गतिशील रहते हैं। भारत में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अपने अपने प्रकाशन संस्थान हैं। केन्द्रीय स्तर पर प्रकाशन विभाग, नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी, शिक्षा मंत्रालय, इंडियन कौसिल आफ कल्चरल रिलेशन्स, बुक प्रोमोशन डिवीजन तथा कुछ अन्य मंत्रालय प्रकाशन कार्य में संलग्न हैं। राज्य सरकारों की ग्रन्थ अकादमियां और कतिपय स्थानीय संस्थान इस कार्य में लगे हैं।

प्रकाशन विभाग भारत का ही नहीं, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया का बहुत बड़ा प्रकाशन संस्थान माना जाता है। इस संस्थान ने अब तक 5000 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन किया है। संस्थान की प्रमुख विशेषता है—सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय नेताओं की जीवनियां प्रकाशित करना। 'आजकल,' 'योजना' 'बालभारती,' 'कुरूक्षेत्र,' 'इंडियन फारेन रिव्यू' जैसी 17 लोकप्रिय पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त इस विभाग ने मानवीय मूल्यों पर आधारित उच्च स्तर के अनेक ग्रन्थ प्रकाशित किए हैं। कला और संस्कृति पर बहुत सी महत्वपूर्ण पुस्तकें छापी हैं। राष्ट्रीय नेताओं में महात्मा गांधी, सुभाषचन्द्र बोस, बालगंगाधर तिलक, जमनालाल बजाज, मौलाना अबुलक्लाम आजाद आदि अनेक महापुरुषों की जीवनियां तैयार कीं। प्रकाशन विभाग का बाल साहित्य अच्छी संख्या में बिकता है। ये पुस्तकें रोचक होती हैं और सस्ती भी। उल्लेखनीय है कि अधिकांश निजी संस्थानों के बाल साहित्य में भूत-प्रेत की कहानियों की भरमार होती है जबकि प्रकाशन विभाग के बाल साहित्य में इस प्रकार की सामग्री नहीं दी जाती। साहित्य समाज के स्वस्थ चिन्तन की पृष्ठभूमि पर तैयार होता है न कि कोरी व्यावसायिकता के दृष्टिकोण से। 'भारत' और 'गांधी वाङ्मय' जैसे महत्व-पूर्ण ग्रंथ इस विभाग की अनूठी उपलब्धियां हैं। 'भारत के गौरव' ग्रन्थमाला के अन्तर्गत अब तक नौ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं जिनमें भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा साहित्यक विभूतियों की संक्षिप्त जीवनियाँ हैं।

नेशनल बुक ट्रस्ट सरकारी सहयोग से चलने वाला महत्वपूर्ण प्रकाशन संस्थान है जिसने पुस्तक प्रकाशन क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सैंकड़ों पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इसकी पुस्तकों का विषय क्षेत्र भी बड़ा व्यापक है। महापुरुषों की जीवनियाँ, प्रदेशों तथा वैज्ञानिक विषयों पर पर्याप्त सामग्री प्रकाशित की गई हैं। इसकी प्रकाशित पुस्तकें एक साथ ही कई भाषाओं में अनूदित होती हैं और साथ साथ छपती हैं। नेहरू बाल पुस्तकालय के अन्तर्गत बच्चों की पुस्तकें लाखों की संख्या में छपती हैं। पुस्तकें रोचक और शिक्षाप्रद होती हैं।

साहित्य अकादमी भारतीय साहित्य पर पुस्तकें प्रकाशित करती हैं। भारतीय भाषाओं को एक सूत्र में पिरो कर विशुद्ध साहित्यक पुस्तकें उपलब्ध कराना इस संस्थान का लक्ष्य रहा है। हिन्दी साहित्य हो या तमिल, बंगला हो या मराठी, सभी भारतीय भाषाओं के साहित्यों पर इस संस्थान द्वारा प्रामाणिक ग्रन्थ प्रकाशित किये जाते हैं।

शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की भूमिका हिन्दी प्रकाशन की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण रही है। इस संस्थान ने हिन्दी को अहिन्दी भाषा-भाषियों तक पहुंचाने के लिए अनेक उपयोगी पुस्तकें प्रकाशित की हैं। अखिल भारतीय स्तर पर पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का श्रेय इसी संस्थान को है। सामाजिक विज्ञानों पर डाइजैस्ट के रूप में छापने तथा देश-विदेश की भाषाओं का हिन्दी में कोश तैयार करने का कार्यभार भी इसी संस्थान ने संभाला है।

पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किसी राष्ट्रीय शिक्षण व्यवस्था का उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। और इस दायित्व का पालन करती है एक विशिष्ट संस्था—एन०सी०ई०आर०टी०। यह संस्था राष्ट्रीय स्तर पर हायर सेकेंड्री तक की कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकों को तैयार करती है और उनका प्रकाशन भी करती है।

कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि सम्बन्धी तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड ने बहुत सी पुस्तकें उर्दू में प्रकाशित की हैं। प्रादेशिक ग्रन्थ तथा साहित्य अकादमियां अन्य विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित करती हैं। सैंट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंडियन लैंगवेज, मैसूर, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, इंडियन काउंसिल आफ कल्चरल अफेयर्स, इंडियन काउंसिल आफ सोशल साइंसेज, दिल्ली, अलीगढ़, बनारस, पंजाब आदि विश्वविद्यालय, तथा काउंसिल आफ साइंटिफिक ऐंड इंडस्ट्रियल रिसर्च आदि भी पुस्तकें प्रकाशित करते हैं।

राजभाषा विभाग हिन्दी के प्रसार तथा विकास और संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के लिए बनाए गए कार्यक्रम और उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है तथा हिन्दी के बढ़ते चरण, सरकारी कामकाज में हिन्दी आदि उसके विशिष्ट प्रकाशन हैं। हाल ही में "राजभाषा भारती" नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ है जिसमें राजभाषा के विकास से संबंधित सामग्री प्रकाशित की जाती है।

पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय में सरकार का योगदान इस लिए भी अधिक अपेक्षित है ताकि जन-जन को अच्छी पुस्तकें कम दामों पर सुलभ कराई जा सकें, पाठक को सच्चा साथी मिले और विश्व की चहेती पुस्तक स्वस्थ चिन्तन, सुशिक्षण-प्रशिक्षण की ऊषा द्वार-द्वार तक पहुँचा सके।

□□

[पृष्ठ 40 का शेष]

समय इस बात का प्रयास किया है कि जहाँ तक सम्भव हो सके भारत के सभी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के बड़े और छोटे कुछ-न-कुछ कार्यालयों में जा कर हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में हुई प्रगति की जाँच की जाए, वहाँ के अधिकारियों से विचार-विनिमय करके उनकी कठिनाइयों को जाना जाए और उन्हें दूर करने के लिए उनके सुझाव प्राप्त किए जाएँ। इस उद्देश्य की पूर्ति में उपसमिति बहुत सफल भी रही है।

तीसरी उपसमिति को अभी भारतवर्ष के कई प्रदेशों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की जाँच करनी है। मुख्यतः ये प्रदेश हैं पंजाब, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह। आशा है, उपसमिति निकट भविष्य में इन प्रदेशों का दौरा कार्यक्रम पूरा कर लेगी। ○○○

हिन्दी दक्षिण और उत्तर को जोड़ने वाली सबसे बड़ी कड़ी है। यदि यह मजबूत बनी रहे तो देश को बड़ा मजबूत बनाया जा सकता है।

—आचार्य काका कालेकर

हिन्दी हमारे देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है।

—माखनलाल चतुर्वेदी

केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व तथा नियंत्रणाधीन निगमों और कंपनियों के दूसरे राजभाषा सम्मेलन का विवरण

□□□

केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व तथा नियंत्रणाधीन निगमों और कंपनियों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी निगमों और कंपनियों का एक सम्मेलन विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 3 मई, 1976 को बुलाया गया था। इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए दिल्ली स्थित सरकारी निगमों और कंपनियों की एक बैठक सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा 29 दिसम्बर, 1976 को बुलाई गई थी। उसी क्रम में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति पर विचार-विमर्श करने और राजभाषा संबंधी नियमों और आदेशों के अनुपालन में सरकारी निगमों और कंपनियों के सामने पेश आने वाली समस्याओं का हल ढूंढ़ने के लिए सभी केन्द्रीय सरकारी निगमों और कंपनियों का एक और सम्मेलन 5 अगस्त, 1978 में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राजभाषा विभाग के सचिव तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार श्री रमाप्रसन्न नायक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ जिसमें लगभग 350 प्रतिनिधियों, तथा 101 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

2. सरकारी उद्यम कार्यालय के महानिदेशक श्री बज़ले करीम ने वित्त राज्य मंत्री एवं देश के विभिन्न भागों से आए हुए सरकारी उपक्रमों के प्रतिनिधियों एवं मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि सरकारी कंपनियों एवं निगमों के पहले सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वियन से हिन्दी में काम करने के लिए बड़ा अनुकूल असर पड़ा था। इस सम्मेलन का भी उद्देश्य उसी परम्परा को आगे बढ़ाना और यह देखना है कि इस दिशा में प्रगति किस प्रकार हो, जिन उपक्रमों में किन्हीं विशेष कठिनाइयों के कारण इस दिशा में कोई पहल नहीं की जा सकी है उनके बारे में सामूहिक रूप से फिर विचार किया जाए और इस बात का पता लगाया जाए कि उनके काम-काज में हिन्दी का प्रयोग किस प्रकार शुरू किया जा सकता है। महानिदेशक ने यह भी स्पष्ट किया कि अनेक सरकारी उपक्रमों में हिन्दी के कामकाज के लिए हिन्दी एककों की स्थापना की जा चुकी है और उनको ठीक ढंग से चलाने के लिए हिन्दी अधिकारी, हिन्दी अनुवादकों, आशुलिपिकों एवं टाइपिस्टों आदि की व्यवस्था भी की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 83 उद्यमों में राजभाषा कार्यान्वियन समितियां गठित की जा चुकी हैं जिनकी तिमाही बैठकों में उपक्रमों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए विचार किया जाता है। उपक्रमों में हिन्दी पत्राचार की मात्रा बढ़ रही है। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है उनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जा रही है।

3. उसके पश्चात् राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री मुनीश गुप्त ने राजभाषा नीति के बारे प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों से निगमों आदि में हिन्दी के काम को जो बढ़ावा मिला है, वह प्रशंसनीय है। राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बने नियम केन्द्रीय सरकार की कंपनियों आदि पर भी लागू होते हैं। अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुसार यह आवश्यक है कि संकल्प, सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, नियम, रिपोर्टें आदि हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ निकाली जाएँ तथा करार, संविदा आदि में भी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया जाए। हिन्दी में प्राप्त होने वाले पत्रों का उत्तर तो हिन्दी में देना जरूरी है ही, राजभाषा नियमों के अनुसार हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों का अधिकाधिक मूल पत्र-व्यवहार भी हिन्दी में होना जरूरी है। हिन्दी का काम सुचारु रूप से करने के लिए देवनागरी टाइपराइटरों, हिन्दी अधिकारियों, हिन्दी अनुवादकों आदि की भी व्यवस्था होनी चाहिए फार्मों का अनुवाद कराकर उन्हें दिवभाषी रूप में छपवाया जाना चाहिए। यह निर्णय लिया जा चुका है कि जो अधिकारी तथा कर्मचारी हिन्दी नहीं जानते उन्हें हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और टाइपिस्टों तथा हिन्दी स्टेनोग्राफरों को हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी स्टेनोग्राफी का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जिन कार्यालयों में 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हों उनमें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को निर्दिष्ट कामकाज के लिए हिन्दी का इस्तेमाल करना आवश्यक किया जा सकता है। सरकार की यह नीति है कि सरकारी कामकाज सरल हिन्दी में किया जाना चाहिए ताकि उसे सभी आसानी से समझ सकें।

4. वित्त राज्य मंत्री श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल ने इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़, बंगलौर के अध्यक्ष को प्रथम पुरस्कार के रूप में राजभाषा शील्ड और भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष को द्वितीय पुरस्कार के रूप में राजभाषा कप प्रदान किया। राज्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक देश के नागरिकों के लिए उनका अपना झण्डा और अपनी भाषा गर्व और गौरव का विषय होते हैं। इन दोनों माध्यमों से देश का प्रत्येक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ जुड़ा रहता है और उसके साथ भाईचारा और बंधुत्व की भावना महसूस करता है। किसी भी प्रजातंत्र में देश की जनता का शासन होता है, इसलिए प्रशासन का काम उन भाषाओं में होना चाहिए जिसे देश की जनता समझती हो। केन्द्रीय सरकार की कंपनियां और निगम जनता के उपक्रम हैं। उनमें देश की राजभाषा में कामकाज करने का प्रयत्न होना चाहिए।

हमारा सारा पत्र-व्यवहार विदेशों के साथ नहीं होता और न केवल अंग्रेजी जानने वालों के साथ होता है। उन्होंने अनुरोध किया कि हम हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति अपने मन में अनुराग पैदा करें और हिन्दी में काम करते समय मन में हीन भावना न आने दें। केवल इनाम के लिए या दंड के डर से हिन्दी में काम करने की बात न सोची जाए बल्कि दिल से हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने की बात की जाए। यदि बड़े-बड़े अधिकारी थोड़ा-थोड़ा भी हिन्दी का प्रयोग आरंभ करेंगे तो उससे नीचे वालों को प्रेरणा मिलेगी। मंत्री महोदय ने कंपनियों में हो रहे पत्र-व्यवहार आदि के आँकड़ों का संदर्भ देते हुए कहा कि सरकारी कंपनियों तथा निगमों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति अभी संतोषजनक नहीं है। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि इस प्रकार का जो दूसरा सम्मेलन होगा उसमें अधिक प्रगति की रिपोर्ट देखने और सुनने को मिलेगी।

5. भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार तथा राजभाषा विभाग के सचिव श्री रमाप्रसन्न नायक ने सम्मेलन की पृष्ठ-भूमि तथा सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए बताया कि क्षेत्रीय भाषाओं को हटाकर हिन्दी लाना सरकार का उद्देश्य नहीं है। सरकार की नीति सभी भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की है। रेलवे स्टेशनों, डाकघरों तथा अन्य कार्यालयों के बाहर लगने वाले बोर्डों पर क्षेत्रीय भाषा, देवनागरी तथा रोमन लिपि तीनों का ही प्रयोग होता है। राजभाषा अधिनियम के अनुसार अंग्रेज़ी को भी हिन्दी के साथ-साथ जारी रखा गया है। सरकार की कोशिश है कि जिन क्षेत्रों में जनता की बोलचाल की भाषा हिन्दी है वहाँ हिन्दी में काम किया जाए। जहाँ की सरकारों ने अन्य राज्यों के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार करना शुरू कर दिया है वहाँ भी हिन्दी में काम शुरू हो सकता है। जिन क्षेत्रों में अभी हिन्दी का प्रचार-प्रसार अधिक नहीं है वहाँ शुरूआत तब की जाए जब वहाँ इसके लिए समुचित तैयारी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि पहले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हिन्दी सीखना अनिवार्य नहीं था, अब उनके लिए हिन्दी कक्षाओं में जाना तथा परीक्षाओं में बैठना अनिवार्य है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पिछले दो वर्षों में अनेक सरकारी कंपनियों और निगमों में हिन्दी में काफी काम होना शुरू हुआ है और स्थिति धीरे-धीरे सुधरती जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि अब हिन्दी में काम करने के लिए ऐसी अनेक यांत्रिक सुविधाएँ मौजूद हैं जो पहले नहीं थीं। उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि में अब पता लिखने वाली मशीन बन चुकी है और तकनीकी

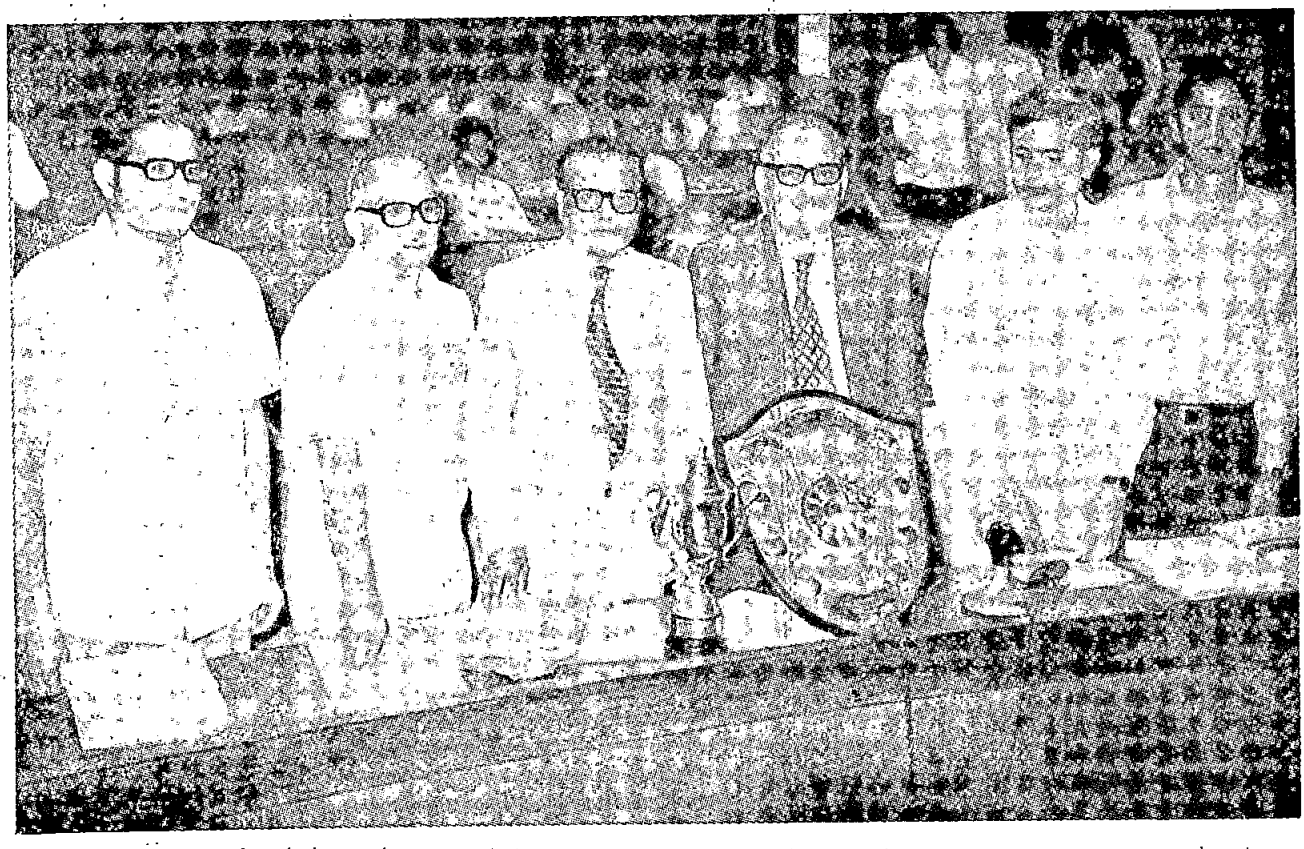

5 अगस्त, 1978 को विज्ञान भवन में आयोजित केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व तथा नियंत्रणाधीन निगमों और कंपनियों के दूसरे राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर हिन्दी में सर्वाधिक काम करने के उपलक्ष्य में दी गई 'राजभाषा शील्ड' के समय [का चित्र]। दाएं से बाएं श्री ब्रजेश श्री वास्तव, (2) श्री विश्व नाथ मिश्र, (3) अपर महाप्रबंधक श्री आर० के० हजेला (4) क्षेत्रीय प्रबंधक श्री पी० पी० श्रीवास्तव और (5) उप विक्रय अधिकारी जय पंडित आदि।

दृष्टि से कम्प्यूटरों में भारतीय भाषाओं का प्रयोग संभव है।

6. सम्मेलन का समापन गृह राज्यमंत्री श्री धनिक लाल मंडल ने किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं ने जनता को यह वचन दिया था कि जब देश आजाद होगा तो हमारा कामकाज अपनी भाषा में होगा। गांधी जी के बहुत से कार्यक्रम थे और उनमें से एक कार्यक्रम हिन्दी के प्रचार का भी था। जब देश आजाद हुआ और संविधान बना तो सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि संघ की राजभाषा हिन्दी होगी और क्षेत्रीय भाषाएँ अपने-अपने क्षेत्रों में अंग्रेजी का स्थान लेंगी। इस बीच 15 वर्षों की मोहलत इस आशा से दी गई थी कि इस दौरान हिन्दी और अन्य भाषाओं का समुचित विकास कर लिया जाएगा और जिन्हें इनका कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, वे प्राप्त कर लेंगे। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। राजभाषा अधिनियम के अनुसार हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी को भी चलते रहने की अनुमति देकर द्विभाषी स्थिति बनायी गयी। संसद द्वारा पारित किए गए संकल्प के अनुसार यह अपेक्षित है कि हिन्दी का प्रयोग क्रमशः बढ़ता जाये और अंग्रेजी का घटता जाए। उन्होंने अनुरोध किया कि केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित कंपनियाँ तथा निगम निष्ठापूर्वक यह कोशिश करें कि राजभाषा के संबंध में जो नियम बनाये गए हैं, उनका ठीक रूप से पालन हो। जब तक भाषा को व्यवहार में नहीं लाया जायेगा तब तक भाषा की उन्नति नहीं हो सकती। प्रयोग से ही भाषा बढ़ेगी, संवरेगी और विकसित होगी।

प्रमुख सिफारिशें

1. राजभाषा संबंधी आदेशों की अग्रिम प्रति सरकारी उद्यमों को भेजना :

कई प्रतिनिधियों का कहना था कि कई बार उन्हें राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों की प्रतियां देर से मिलती हैं। उनका सुझाव था कि राजभाषा विभाग द्वारा इन आदेशों की प्रतियाँ सीधे ही उन्हें भेज दी जाएँ। अध्यक्ष महोदय ने उन्हें बताया कि आदेशों की प्रतियां सीधे भेजना उचित नहीं होगा, लेकिन इस समस्या को हल करने के लिए बीच का मार्ग निकाला गया है और उसके अनुसार आदेशों की प्रतियाँ सभी मंत्रालयों को भेजते समय इसकी एक अग्रिम प्रति सरकारी उपक्रमों को भेज दी जाती है। सभी इस बात से सहमत थे कि वर्तमान पद्धति सुविधाजनक है और इसे आगे भी जारी रखा जाए।

2. सरकारी उपक्रमों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन :

सम्मेलन ने सिफारिश की कि जिन कंपनियों तथा निगमों के कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन नहीं हुआ है वहाँ उनका गठन किया जाए और उनकी बैठकें हर तिमाही में नियमित रूप से की जाएं और उसके कार्यवृत्त की एक प्रति राजभाषा विभाग को भी भेजी जाए।

3. आंतरिक कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिये क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार करना :

हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक कार्यालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस कार्यक्रम को चरणबद्ध रूप में पूरा करें। इस बारे में यह तय किया गया कि सभी सरकारी उद्यम अपने यहाँ ऐसे कार्यक्रम बनाएँ और अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में इनकी प्रगति की चर्चा करें। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उद्यम इस बारे में स्वयं अग्रसर हों। राजभाषा विभाग की ओर से भी एक पत्र भेज दिया जाएगा।

4. राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिये समय-समय पर राजभाषा सम्मेलन का आयोजन :

इस बारे में सम्मेलन ने सिफारिश की कि इस प्रकार के सम्मेलनों से हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने में काफी सहायता मिलती है और सब की समान समस्याओं पर विचार विमर्श हो जाता है। अतः ऐसा सम्मेलन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाया जाए। यह भी कहा गया कि ऐसे सम्मेलन केवल नई दिल्ली में न बुलाकर देश के विभिन्न भागों में बारी-बारी से बुलाए जाएँ।

5. सरकारी उद्यमों द्वारा हिन्दी में पत्राचार, हिन्दी पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने और मूलरूप से हिन्दी में पत्र लिखने आदि की स्थिति की समीक्षा :

सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए आँकड़ों से मालूम हुआ कि कई उपक्रम अब हिन्दी में प्राप्त हुए काफी पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने लगे हैं लेकिन अभी भी ऐसे अनेक पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिये जा रहे हैं। मूलरूप से हिन्दी में भेजे जाने वाले पत्रों की संख्या भी बहुत कम है। राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये जाने चाहिए। इन नियमों (नियम 4 तथा 5) के अनुसार हिन्दी भाषी क्षेत्रों की जनता तथा 'क' और 'ख' क्षेत्र की राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भी अधिकाधिक पत्र-व्यवहार हिन्दी में होना चाहिए। सम्मेलन ने सिफारिश की कि इन नियमों के अनुपालन की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

6. सभी सरकारी उद्यमों में हिन्दी के प्रयोग संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक हिन्दी एककों की स्थापना करना तथा हिन्दी अधिकारी एवं हिन्दी अनुवादकों आदि की समुचित व्यवस्था करना :

राजभाषा अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का सही रूप से अनुपालन करने के लिए यह जरूरी समझा गया कि सरकारी उद्यमों में हिन्दी के कार्य को देखने के लिए उपयुक्त संख्या में हिन्दी के पद बनाए जाएँ। पिछले एक-दो वर्षों में कई उद्यमों में हिन्दी अधिकारियों तथा अनुवादकों

के पद बनाए गए हैं लेकिन कई उद्यमों में इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सम्मेलन ने इस बात की सिफारिश की कि हिन्दी संबंधी काम को ठीक रूप से करने के लिए आवश्यकता अनुसार पद बनाए जाएँ और जो पद बनाए गए हैं लेकिन अभी खाली पड़े हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी भरने की व्यवस्था की जाए कुछ। प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि जिस प्रकार उन उपक्रमों में जहाँ 250 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं एक श्रम कल्याण अधिकारी नियुक्त करना जरूरी है, उसी प्रकार हिन्दी संबंधी पदों के लिए भी न्यूनतम स्टाफिंग पैटर्न तय कर दिया जाए।

7. सरकारी उद्यमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये हिन्दी शिक्षण और हिन्दी टाईपिंग तथा हिन्दी स्टेनोग्राफी के प्रशिक्षिण की समुचित व्यवस्था करना :

राजभाषा विभाग की ओर से सम्मेलन में बताया गया कि देश भर में हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी पढ़ाने और हिन्दी टाइपराइटिंग तथा हिन्दी स्टेनोग्राफी सिखाने के कई केन्द्र चल रहे हैं तथा इस बात पर विचार हो रहा है कि औद्योगिक कर्मचारियों के लिए भी हिन्दी शिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए। कुछ निगमों के प्रतिनिधियों का कहना था कि हिन्दी टाइपराइटिंग और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण केन्द्रों में उनके उम्मीदवारों को आसानी से प्रवेश नहीं मिल पाता और कई नगरों या इलाकों में इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था बिलकुल ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने वित्त मंत्रालय की सलाह लेकर और प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की संभावना पर विचार करने का आश्वासन दिया सभी उपक्रमों से अनुरोध किया गया कि वे इस बारे में पत्र लिखकर सूचना दे कि कहाँ कहाँ हिन्दी टाईपिंग या हिन्दी आशुलिपि के और प्रशिक्षण केन्द्र खुलवाना चाहते हैं। यह भी सलाह दी गई कि जहाँ राज्य सरकार की ओर से प्रशिक्षण देने के केन्द्र खुले हैं, वहाँ उनका भी उपयोग किया जाए।

8. सरकारी उद्यमों में फार्मों तथा स्टेशनरी को द्विभाषिक रूप में छपवाने तथा रबड़ की मोहरों, नामपटों और सूचना पटों को हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में तैयार कराने की स्थिति की समीक्षा :

सम्मेलन में हुई चर्चा से मालूम हुआ कि अधिकांश निगमों तथा कंपनियों ने अपनी स्टेशनरी को द्विभाषी रूप में छपवाना आरंभ कर दिया है और उनके लिए फार्मों का हिन्दी अनुवाद भी कराया जा चुका है। अधिकांश नाम-पट और सूचना पट हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करा लिए गए हैं अथवा कराये जा रहे हैं और जो बोर्ड जनता के लिए लगे होते हैं उनमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी स्थान दिया जा रहा है। सम्मेलन ने सिफारिश की कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अनुसार आंतरिक काम के सभी फार्म तथा स्टेशनरी आदि हिन्दी-अंग्रेजी (द्विभाषी रूप में) छपवाये जाने चाहिएं तथा रबड़ की मोहरें भी द्विभाषी रूप में तैयार करा ली जानी चाहिए।

9. सरकारी उद्यमों की पत्र-पत्रिकाओं, प्रचारात्मक साहित्य, वार्षिक रिपोर्टों आदि के हिन्दी प्रकाशन के बारे में विचार करना तथा पहले से प्रकाशित की जा रही अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं आदि में यथावश्यक रूप से हिन्दी का समावेश करने के बारे में विचार करना :

सम्मेलन ने इस बात का स्वागत किया कि सरकारी उद्यमों द्वारा अपनी पत्र-पत्रिकाओं में कुछ प्रतिशत पृष्ठ हिन्दी में भी प्रकाशित किये जा रहे हैं अथवा उनकी जो पत्रिकाएँ अंग्रेजी में प्रकाशित होती रही हैं, उनका कहीं-कहीं हिन्दी संस्करण भी साथ-साथ प्रकाशित किया जा रहा है। सम्मेलन ने सिफारिश की कि जिस उद्यम में इस प्रकार का साहित्य अलग से हिन्दी में प्रकाशित करने में कठिनाई होती हो, उनके द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित की जा रही पत्रिकाओं, हाउस जरनलों आदि में कुछ प्रतिशत सामग्री हिन्दी में देने की शुरुआत की जाए और फिर जरूरत के अनुसार इस प्रकार की पत्रिकाएं तथा प्रचारात्मक साहित्य आदि हिन्दी में अलग से प्रकाशित करने पर विचार किया जाए।

10. सरकारी उद्यमों द्वारा निर्मित उत्पादों पर विवरण अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी लिखा जाना :

सम्मेलन ने इस बात का स्वागत किया कि केन्द्रीय हिन्दी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब अनेक सरकारी उद्यमों ने अपने बने माल पर उसका विवरण अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी देना आरंभ किया है। सम्मेलन ने सिफारिश की कि जिन उद्यमों ने अभी ऐसा करना शुरू नहीं किया है और जो अपने माल पर विवरण केवल अंग्रेजी में ही लिखते हैं, वे उसे हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ लिखें तथा जिस माल की खपत किसी विशेष क्षेत्र में होती हो तो आवश्यकतानुसार वह विवरण उस क्षेत्र की भाषा में भी देने का प्रयत्न किया जाए।

11. सरकारी उद्यमों आदि के सांविधिक किस्म के प्रलेखों के हिन्दी अनुवाद की व्यवस्था :

कई निगमों तथा कंपनियों के अधिकारियों ने यह बताया कि उन्हें अपने कानूनी दस्तावेजों के हिन्दी अनुवाद कराने में कठिनाई अनुभव हो रही है। जिन दस्तावेजों के हिन्दी अनुवाद वे स्वयं अपने प्रबन्ध से करवा लेते हैं, उन्हें किस से प्राधिकृत कराया जाये, यह समस्या भी उनके सामने रहती है। आमतौर से यह विचार व्यक्त किया गया कि जिस प्रकार कंपनियां तथा कारपोरेशन अपना अन्य कानूनी काम अपने विधि सलाहकारों से कराते हैं उसी प्रकार वे कानूनी कागजात के हिन्दी रूपान्तर तैयार कराने का काम भी अपने विधि सलाहकारों से करा लें।

कुछ कंपनियों तथा कारपोरेशनों ने बताया कि उनके लिए हिन्दी अनुवाद स्वयं कराना और उसकी वेटिंग कराना कठिन होगा। उनका सुझाव था कि यह काम केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में किया जाना चाहिए। यह तय हुआ कि

इस प्रकार की सामग्री का अनुवाद अथवा अनुवाद की वैटिंग का काम केन्द्रीय सरकार का कोई कार्यालय संभाले, इसके बारे में राजभाषा विभाग विचार करेगा। इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि अनुवाद का जो काम गैर सरकारी व्यक्तियों से कराया जाये अथवा आनरेरियम के आधार पर कराया जाये, उसके लिए भुगतान की क्या दरें होनी चाहिए।

12. सभी सरकारी उद्यमों के लिये संदर्भ साहित्य सुलभ कराने के उद्देश्य से उद्यमों में होने वाले टिप्पण/आलेखन और और पत्र-व्यवहार के नमूनों और सामान्य शब्दावली की समेकित हैंडबुक तैयार करना :

सम्मेलन में सम्मिलित हुए प्रतिनिधि इस बात से सहमत थे कि यदि विभिन्न सरकारी उपक्रमों द्वारा किए जाने वाले पत्र व्यवहार के नमूनों को चुनकर, उनके हिन्दी रूपान्तर की और उपक्रमों में काम आने वाली सामान्य शब्दावली की हैंडबुक तैयार कर दी जाए तो उससे हिन्दी के कामकाज करने में काफी सहायता मिलेगी। इस प्रकार की सहायक पुस्तकें आयकर विभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आदि के कार्यालयों में तैयार की गई हैं उनसे कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने में काफी सहायता मिली है। यह तय हुआ कि सभी सरकारी उपक्रम अपने-अपने रोजमर्रा के काम में आने वाले प्रारूप आदि शीघ्र ही सरकारी उद्यम कार्यालय को भिजवा देंगे ताकि प्रस्तावित पुस्तक के लिए सामग्री छाँटी जा सके और पुस्तक को प्रकाशित करने की कार्रवाई की जा सके।

13. सरकारी उद्यमों में हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों के ज्ञानवर्धन के लिये उनके पुस्तकालयों में हिन्दी की पुस्तकों की खरीद :

जिन कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण दिया गया है, बाद में उनका अभ्यास बने रहने की दृष्टि से यह सिफारिश की गई कि सभी सरकारी उपक्रमों के पुस्तकालयों में हिन्दी की पुस्तकें भी पर्याप्त संख्या में खरीदी जानी चाहिए। इन पुस्तकालयों में तकनीकी किस्म की पुस्तकों की खरीद के अलावा कहानी, उपन्यास अथवा अन्य ऐसे रोचक साहित्य भी लिये जाने चाहिए जो कर्मचारियों को हिन्दी में रुचि बढाने के लिए सहायक हों। लेकिन यह ध्यान रखा जाये कि खरीदी जाने वाली पुस्तकें घटिया किस्म की न हों।

14. राजभाषा संबंधी आदेशों के अनुपालन की स्थिति में सुधार करना और चैक-प्वाइंटों को सुदृढ़ करना :

सभी इस बात से सहमत थे कि राजभाषा के संबंध में भारत सरकार की ओर से समय-समय पर जो आदेश जारी हुए हैं उनके कार्यान्वयन के बारे में गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए और इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाये गए उपनियमों का ठीक तरह से पालन हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों में चैक-प्वाइंट बनाए गए हैं, उसी तरह के चैक प्वाइंट सरकार की कंपनियों और निगमों के कार्यालयों में भी बनाये जाने चाहिए। इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी परिपत्र तथा अन्य सामान्य आदेश हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपान्तर के साथ ही जारी हों और फार्म आदि भी छपने के लिए तभी भेजे जाएँ जब उनके शीर्षक द्विभाषी रूप में तैयार कर दिए गए हों। राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार हिन्दी संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गयी है। वे अधिकारी इस तरह के कदम उठाएँ जिनसे वर्तमान कमियों की जानकारी मिलती रहे और उन कमियों को दूर करने के उपाय किए जाते रहें।

15. हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देना और उद्यमों/एककों को 'राजभाषा शील्ड' प्रदान करना :

केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए राजभाषा शील्ड देने का जो निश्चय हुआ है, उसका सभी प्रतिनिधियों ने स्वागत किया। उनकी राय थी कि यह शील्ड आगे भी जारी रखी जाए तथा जिन निगमों तथा कंपनियों के कार्यालय देश के विभिन्न भागों में हैं, वे अपनी ओर से अलग-अलग शील्ड अपने-अपने उन एककों को देना आरम्भ करें जहां वर्ष के दौरान हिन्दी का प्रयोग अधिक हुआ हो।

कई प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि शील्ड जिस आधार पर दी जाती है, उसकी जानकारी सभी उपक्रमों को पहले से करा दी जाए। कुछ प्रतिनिधियों ने यह भी सुझाव दिया कि 'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्रों की स्थिति अलग-अलग है, इसलिए उन क्षेत्रों के कार्यालयों के लिए अलग-अलग शील्ड रखना उचित होगा। यह तय हुआ कि शील्ड देने के लिए क्या मानदंड रखा जाए और शील्ड या कप किस-किस रूप में दिए जाएं, इसके संबंध में सभी उपक्रम अपने-अपने सुझाव सरकारी उद्यम कार्यालय को भेज दें जिससे इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया जा सके।

अन्य विषय

1. यह बात नोट की गयी कि पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसी कम्पनियां तथा निगम बने हैं जिनके नाम भारतीय रूप में नहीं रखे गये, बल्कि अंग्रेजी में रखे गये हैं। सम्मेलन ने सिफारिश कि जो भी नये निगम या कम्पनियां बनायी जायें, उनके नाम शुरू से ही भारतीय रूप में रखे जाने चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि सरकारी उद्यम कार्यालय इस बात का ध्यान रखें कि किसी नये उपक्रम का भारतीय रूप में ही नाम रखा जाये, अंग्रेजी में नहीं। तय हुआ कि सरकार की इस नीति के अनुपालन के लिए क्या उपाय किये जाने चाहिए इस पर पूरी तरह विचार किया जाये।

2. कुछ प्रतिनिधियों ने यह कहा कि गुजरात या पंजाब में जब राज्य सरकार के किसी कार्यालय को कोई पत्र हिन्दी में भेजा जाता है तो उसका उत्तर गुजराती और पंजाबी में मिलता है, हिन्दी में नहीं। यह भी कहा गया कि उन

कार्यालयों की ओर से उनके द्वारा लिखे गये पत्र भी गुजराती अथवा पंजाबी में आते हैं और वे अपेक्षा करते हैं कि उनके उत्तर भी उन भाषाओं में दिये जायें। संयुक्त सचिव (राजभाषा) ने यह स्पष्ट किया कि केन्द्र सरकार के कार्यालयों में भारत की सभी भारतीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में अपनाना कठिन है। संविधान के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय पत्रव्यवहार अथवा केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के कार्यालयों के बीच हिन्दी या अंग्रेजी में ही पत्र व्यवहार किया जा सकता है।

3. रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि ने यह प्रश्न उठाया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुसार जो करार हिन्दी अथवा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किये जाने है, उनमें यदि दूसरी पार्टी का कोई प्राइवेट व्यक्ति है और वह करार केवल अंग्रेजी में करना चाहता है, हिन्दी में नहीं, तो उसे कैसे बाध्य किया जा सकता है। उन्होंने यह कहा कि यदि किसी ठेकेदार को कोई ठेका दिया जा रहा है और वह ठेकेदार हिन्दी में करार करने से स्पष्टतः मना करता है तो इस पर सरकार को और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों को क्या रुख अपनाना चाहिए। यह तय हुआ कि इस प्रश्न पर विधि मंत्रालय की सलाह लेकर गहराई से विचार किया जायेगा।

4. कुछ प्रतिनिधियों ने यह बात उठाई कि विभिन्न सरकारी उपक्रमों में हिन्दी के कार्य के लिए जो स्टाफ नियुक्त किया गया है, उनके पदोन्नति के अवसर एक जैसे नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस सम्बन्ध में सरकारी उद्यम कार्यालय से सलाह लेकर विचार किया जायेगा कि क्या विभिन्न सरकारी उपक्रमों में हिन्दी अधिकारी तथा हिन्दी अनुवादक आदि का कोई समान संवर्ग बनाया जा सकता है और यदि ऐसा नहीं हो सकता तो इन पदों पर काम करने वालों के वेतनमान में समानता रखने और पदोन्नति के समुचित अवसर प्रदान करने के लिए क्या किया जाना चाहिए।

5. अनेक प्रतिनिधियों की यह राय थी कि मई 1976 में हुए सम्मेलन से और इस बार के सम्मेलन से बहुत लाभ हुआ है और इस प्रकार का सम्मेलन थोड़े-थोड़े समय बाद बुलाया जाना चाहिए। यह तय हुआ कि इस तरह का सम्मेलन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए।

सम्मेलन के अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया जिनमें निगमों और कंपनियों आदि में इस्तेमाल में आने वाले फार्मों, रसीदों, चेकों आदि का हिन्दी स्वरूप प्रदर्शित किया गया।

ब्राडमां हिन्दी एम्बोसिंग मशीन पर हिन्दी में अंकित की जा रही नेम प्लेटों को देखते हुए वित्त राज्य मंत्री श्री सतीश चन्द अग्रवाल तथा राजभाषा सचिव श्री रमाप्रसन्न नायक।

हिन्दी कहाँ और कितनी ?

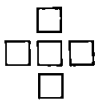

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में 31 मार्च, 1978 को हिन्दी के प्रयोग की स्थिति नीचे लिखे अनुसार थी :

(क) हिन्दी में प्राप्त पत्र 22,288 — हिन्दी में दिए गए उत्तर 17,936

(ख) जारी किए कागज-पत्र	हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में	केवल हिन्दी में	केवल अंग्रेजी में
(1) संकल्प, नियम, अधिसूचना आदि	358	301	57
(2) सामान्य आदेश	1,038	685	353
(3) प्रेस विज्ञप्तियां, प्रेसरिलीज़ आदि	285	90	195
(4) प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें	40	7	33
(5) टेंडर नोटिस और टेंडर फार्म	86	35	51
(6) कार्यालय के नाम पट, साइन बोर्ड,	4,400	4,400	—
(7) बैठकों की सूचियाँ/कार्यवृत्त	252	195	57

2. राजभाषा प्रयोग प्रोत्साहन पुरस्कार : उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक कार्मिक ने अपने पत्र सं० 843-ई/240/रेलवे बोर्ड प्रतियोगिता /ई-7, दिनांक 1-2-1978 के अन्तर्गत श्री पंचानन बनर्जी तथा श्री गोपाल कृष्ण भट्टाचार्य वरिष्ठ लिपिक, दावा कार्यालय, वाराणसी को राजभाषा हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने के उपलक्ष्य में 200 रुपए के अलग-अलग पुरस्कार प्रदान करने की स्वीकृति दी है।

3. भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड की ओर से 'हिन्दी सूबोधिका' नामक पुस्तिका प्रकाशित की गई है। इस पुस्तिका में लगभग 1,000 सामान्य प्रयोग के शब्दों और 500 वाक्य और वाक्यांशों का संकलन है।

4. उच्च स्तर के अधिकारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कराना : केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णय के अनुसार जिन अधिकारियों (उप सचिव तथा उनसे उच्च स्तर के अधिकारी) ने अभी तक हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त न किया हो, उन्हें कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कराने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे सभी अधिकारियों को 3 वर्ष के अन्दर हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करा दिया जाना चाहिए।

5. भारत के महापंजीकार का कार्यलय : केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पण और आलेखन में हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई पुरस्कार योजना के अन्तर्गत भारत के महापंजीकार के कार्यालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया :—

1. श्री हरगोपाल सिंह मदान, कार्यालय सहायक, जनगणना कार्यालय, पंजाब, चण्डीगढ़ 200 रु०
2. श्री फतेराम शर्मा, अवर श्रेणी लिपिक, भारत के महापंजीकार का कार्यालय 100 रु०
3. श्री देवी दत्त तेवाड़ी, हिन्दी अनुवादक, भारत के महापंजीकार का कार्यालय 75 रु०

9. निर्माण, आवास, पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय :

(क) **हिन्दी कार्यशाला :** इस मंत्रालय के कर्मचारियों को हिन्दी में नोटिंग ड्राफ्टिंग का अभ्यास कराने के लिए हिन्दी कार्यशालाएं चलाई गईं। अब तक सात सत्र पूरे हो चुके हैं जिनमें लगभग 350 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया चुका है।

(ख) **पुरस्कार योजना :** सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने की नकद पुरस्कार योजना पिछले तीन वर्षों से चलाई जा रही है और शीघ्र ही राजभाषा विभाग की शील्ड योजना भी पूर्ति विभाग में शुरू करने का प्रस्ताव है।

7. तीनों सेनाओं की कमानों में हिन्दी टाईपिंग और शार्टहैंड सिखाने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है थल सेना में औरंगाबाद स्थित क्लर्क ट्रेनिंग स्कूल में विभिन्न कमानों/यूनिटों से आए एन० सी० ओ० को हिन्दी टाईपिंग में इस समय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर वर्ष इसी तरह और एन० सी० ओ० को प्रशिक्षण दिया जाता रहेगा। इस स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त एन० सी० ओ० वापिस अपनी कमानों या यूनिटों में जाकर अन्य सैनिक क्लर्कों को हिन्दी टाईपिंग में प्रशिक्षण देंगे। इसी प्रकार वायुसेना और नौसेना भी अपने-अपने यहाँ आवश्यक व्यवस्था कर रही है। थल सेना की तरह साम्बरे के स्कूल में प्रशिक्षित वर्दीधारी क्लर्कों को वायुसेना की विभिन्न कमानों/यूनिटों में भेजकर वहां के मौजूदा क्लर्कों को हिन्दी टाईपिंग में प्रशिक्षित किया जाएगा। नौसेना मुख्यालय ने अपने दो राइटर पेटी अफसर हिन्दी टाईपिंग में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजे हैं और प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर इन दोनों पेटी अफसरों को आई० एन० एस० "हमला" में चलाए जाने वाले ट्रेनिंग कोर्सों में राइटरों और स्टोर असिस्टेंटों को हिन्दी टाईपिंग सिखाने पर लगाया जाएगा। थल सेना और वायुसेना की तरह नौसेना के आई० एन० एस० "हमला" में प्रशिक्षित राइटरों और स्टोर असिस्टेंटों को नौसेना की कमानों/तटीय स्थापनाओं में भेजा जाएगा जहाँ वे अन्य लोगों को प्रशिक्षित करेंगे।

[शेष पृष्ट 51 पर]

हिन्दी सलाहकार समितियाँ

केन्द्रीय हिन्दी समिति के अलावा खास खास मंत्रालयों और विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियाँ बनाई गई हैं। इन समितियों के अध्यक्ष संबंधित मंत्रालयों के मंत्री होते हैं। संसद सदस्य, हिन्दी की प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधि साहित्यकार, मंत्रालयों के कार्य क्षेत्र से संबंधित और हिन्दी में रुचि रखने वाले व्यक्ति तथा वरिष्ठ अधिकारी इनके सदस्य होते हैं। हिन्दी सलाकार समितियाँ अपने अपने मंत्रालयों को उन निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाती हैं और जहां कहीं कमी होती है, उसे पूरा करने के लिए कार्रवाई की सिफारिश करती हैं। इस समय 17 मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समितियों का पुनर्गठन हो गया है तथा 3 और मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समितियों के पुनर्गठन पर विचार हो रहा है। विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय हिन्दी समिति की उपसमितियां काम कर रही हैं। अब रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय हिन्दी समिति की उपसमिति का पुनर्गठन करने पर विचार किया जा रहा है।

हिन्दी के प्रयोग को नियमित तौर पर जांचने के लिए केन्द्रीय हिन्दी समिति ने अपनी एक उपसमिति बनाई है। यह समिति हिन्दी के प्रयोग की प्रगति देखती है, समिति के सामने पेश किए जाने वाले प्रस्तावों को जांचती है और उस संबंध में अपनी सिफारिश केन्द्रीय हिन्दी समिति को प्रस्तुत करती है ताकि उन मामलों में निर्णय लेने में सुविधा रहे।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और दफ्तरों में हिन्दी के प्रयोग के बारे में जो कुछ किया जा रहा है, उसे मौके पर जाकर देखने के लिए कुछ हिन्दी सलाहकार समितियों ने अपनी उपसमितियां भी बनाई हैं। इनके दौरों से काफी लाभ हुआ है और कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिला है। प्रत्येक मंत्रालय या विभाग में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाई गई हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए उपाय सुझाती हैं। इन सबके ऊपर केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, जो सभी केन्द्रीय दफ्तरों में किए जाने वाले हिन्दी सम्बन्धी कामों का समन्वय करती है।

निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन / पुनर्गठन किया जा चुका है:–

1. रेल मंत्रालय
2. नौवहन और परिवहन मंत्रालय
3. वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय
4. विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय
5. उद्योग मंत्रालय
6. इस्पात और खान मंत्रालय
7. वित्त मंत्रालय
8. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
9. निर्माण, आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय
10. गृह मंत्रालय
11. ऊर्जा मंत्रालय
12. विदेश मंत्रालय (केन्द्रीय हिन्दी समिति की उप समिति)
13. पर्यटन और नागर विभानन मंत्रालय
14. कृषि और सिंचाई मंत्रालय
15. शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय
16. सूचना और प्रसारण मंत्रालय
17. डाक तार विभाग

निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी सलाहकार समिति के गठन / पुनर्गठन की राजभाषा विभाग द्वारा सहमति दी जा चुकी है

1. रक्षा मंत्रालय (केन्दीय हिन्दी समिति की उप समिति)
2. श्रम मंत्रालय
3. पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची :

1. गृह मंत्री	अध्यक्ष
2. गृह राज्य मंत्री (एम)	उपाध्यक्ष
3. गृह राज्य मंत्री (पी)	उपाध्यक्ष
4. मुख्य मंत्री, अरुणाचल प्रदेश	सदस्य
5. श्री रामानन्द तिवारी, संसद सदस्य	सदस्य
6. श्री छबिराम अर्गल संसद सदस्य	सदस्य
7. श्री भीष्मनारायण सिंह, संसद सदस्य	सदस्य

8. श्री नागेश्वर प्रसाद शाही, संसद सदस्य	सदस्य	21. अपर सचिव तथा स्थापना अधिकारी, का० तथा प्र० सु०वि०	सदस्य
9. श्री गंगाशरण सिंह	सदस्य	22. अपर सचिव (सतर्कता) का० तथा प्र०सु०वि०	सदस्य
10. श्री उमाशंकर जोशी	सदस्य	23. संयुक्त सचिव (उ०पू०) गृह मंत्रालय	सदस्य
11. डा० मलिक मोहम्मद	सदस्य	24. संयुक्त सचिव (प्रशासन) गृह मंत्रालय	सदस्य
12. श्री विष्णुकान्त शास्त्री	सदस्य	25. संयुक्त सचिव (पुलिस), गृह मंत्रालय	सदस्य
		26. संयुक्त सचिव (यू०टी०), गृह मंत्रालय	सदस्य
13. श्री हिमांशु जोशी	सदस्य	27. संयुक्त सचिव (टी०डी), गृह मंत्रालय	सदस्य
14. श्री चन्द्र कान्त केणि	सदस्य	28. संयुक्त सचिव (टी), का०तथा प्र०सु०वि०	सदस्य
15. गृह सचिव	सदस्य	29. संयुक्त सचिव (पी०पी), का० तथा प्र० सु०वि०	सदस्य
16. सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	सदस्य	30. संयुक्त सचिव (एस), का० तथा प्र०सु०वि०	सदस्य
		31. संयुक्त सचिव (राजभाषा)	सदस्य
17. सचिव, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग	सदस्य	32. महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय	सदस्य
		33. महानिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, गृह मंत्रालय	सदस्य
18. अपर सचिव (सी) गृह मंत्रालय	सदस्य	34. महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, गृह मंत्रालय	सदस्य
19. अपर सचिव (एम) गृह मंत्रालय	सदस्य	35. भारत के महापंजीयक	सदस्य
20. अपर सचिव, प्रशासनिक सुधार का० तथा प्र० सु०विभाग	सदस्य	36. निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	सदस्य
		37. उप सचिव (एन०आई०सी०)	सदस्य सचिव

○○

[पृष्ठ 49 का शेष]

8. लखनऊ के आयकर आयुक्त कार्यालय में हिन्दी में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को नकद पुरस्कार : लखनऊ के आयकर आयुक्त कार्यालय में वित्त वर्ष 1977-78 में कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण और मसौदा लिखने को बढ़ावा देने के लिए नकद पुरस्कार योजना चलाई गई। पुरस्कार देने के लिए तारीख 11 मई, 1978 को श्री एस० के० लाल आयकर आयुक्त की अध्यक्षता में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में श्री बी० आर० चतुर्वेदी, आयकर अधिकारी, रायबरेली को 200 रु० का प्रथम पुरस्कार, श्री वीरेन्द्र सिंह, अवर लिपिक, आयकर आयुक्त कार्यालय लखनऊ को 100 रु० का द्वितीय पुरस्कार और श्री बी० एल० वाल्मीकी, निरीक्षक, आयकर कार्यालय लखीमपुर खीरी को 75 रु० का तृतीय पुरस्कार दिया गया। इनके अलावा 50-50 रु० के 10 प्रोत्साहन पुरस्कार, 13 पुस्तक उपहार और 77 प्रशंसा-पत्र दिए गए।

यह पुरस्कार योजना भारत सरकार ने सन् 1974 में मंजूर की थी। अन्य कई मंत्रालयों/विभागों तथा कार्यालयों के अनेक कर्मचारियों को भी इस योजना के अधीन नकद पुरस्कार तथा प्रशंसा-पत्र आदि मिल चुके हैं।

9. मंडल अधीक्षक, पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर (बरेली) के कार्यालय में हिन्दी में किए जा रहे कार्य का अध्ययन करते समय पाया गया कि मंडल कार्मिक अधिकारी के कमरे में जितनी भी फाइलें रखी हुई थी उन सभी में कार्रवाई हिन्दी में की जा रही थी। सबसे उल्लेखनीय बात तो यह पाई गई कि मंडल कार्मिक अधिकारी के नोट, आदेश रिमार्क सभी हिन्दी में थे। कार्मिक अधिकारी ने बताया कि कार्मिक विभाग में लगभग 95 प्रतिशत काम हिन्दी में ही हो रहा है।

10. बैंक अधिकारियों को कार्यालयीन हिन्दी का प्रशिक्षण : केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा द्वारा संचालित किए जाने वाले प्रयोजनमूलक हिन्दी पाठ्यक्रमों के अंतर्गत बैंक अधिकारियों के लिए संचालित पाठ्यक्रमों का विशिष्ट महत्व है। बैंक की सेवाओं को ग्रामीण तथा सामान्य जनता तक तभी आसानी से पहुंचाया जा सकता है, जब बैंक जनता की भाषा में अपना कारोबार चलाएं। प्रयोजनमूलक पाठ्यक्रमों द्वारा इस दिशा में संस्थान जो योगदान दे रहा है, उसका सर्वत्र स्वागत किया जा रहा है। संस्थान ने अब तक इस प्रकार के पाठ्यक्रम चलाकर देश के विभिन्न बैंकों में कार्यरत 65 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।

11. केन्द्रीय उत्पादन शुक समाहर्तालय, दिल्ली : सरकारी आदेश के अनुसार कार्यालयों के तार पते द्विभाषिक रूप में रजिस्टर करवाए गए हैं और हिन्दी भाषी क्षेत्र के कार्यालयों से कम से कम 25% तार हिन्दी में भेजे जा रहे हैं। जून, 1978 में हुई हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार इस समाहर्तालय के 4 अधीनस्थ यूनिटों ने (एम० ओ० डी० -I, II, विदेश डाक जबकि पालम) अपने तार पते सिर्फ अंग्रेजी में रजिस्टर कराए हैं। जबकि 1978 की पहली तिमाही में भेजे गए सभी तार (59) अंग्रेजी में भेजे गए थे।

○○

केन्द्रीय सरकार के अधिसूचित मंत्रालय, विभाग और कार्यालय

□□□

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) की व्यवस्था के अनुसार उन कार्यालयों के नाम जिनके 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, राजपत्र में अधिसूचित किया जाना है। पिछले अंकों में 21 अधिसूचित मंत्रालयों और विभागों के नाम दिए गए थे। इस अंक में चार और मंत्रालयों और विभागों के नाम नीचे दिए जा रहे हैं :—

(22) संचार मंत्रालय
(23) पर्यटन विभाग
(24) नागर विमानन विभाग
(25) व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय)

पहले सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के कुल 67 अधिसूचित कार्यालयों की सूची दी गई थी। इस अंक में संचार मंत्रालय के डाक तार बोर्ड के 195 अधिसूचित कार्यालयों की सूची नीचे दी जा रही है :—

राजस्थान डाक सर्किल

1. मंडल कार्यालय, अजमेर
2. ,, जयपुर
3. ,, जोधपुर
4. ,, भरतपुर
5. ,, भिलवाड़ा
6. ,, चित्तौड़गढ़
7. ,, कोटा
8. ,, पाली
9. ,, सिकर
10. ,, उदयपुर
11. ,, अलवर
12. ,, बीकानेर
13. ,, जयपुर (ग्रामीण)
14. ,, नागौर
15. ,, सवाई माधोपुर
16. ,, श्रीगंगानगर
17. ,, जयपुर, (मुफसिल)
18. रेल डाक मंडल, जयपुर
19. ,, दिल्ली
20. ,, आगरा
21. ,, रेवाड़ी
22. ,, अजमेर
23. डाक वस्तु भंडार मंडल, अजमेर
24. डाक वस्तु भंडार मंडल, जयपुर
25. रेल डाक एस० टी० मंडल, जोध

उत्तर प्रदेश डाक सर्किल

26. मण्डल कार्यालय, लखनऊ
27. ,, मेरठ
28. ,, देहरादून
29. ,, कानपुर
30. मण्डल कार्यालय, इलाहाबाद
31. ,, वाराणसी
32. ,, आगरा
33. ,, गोरखपुर
34. ,, मुरादाबाद
35. ,, रूहेलखंड, बरेली
36. ,, अलीगढ़
37. ,, सहारनपुर
38. ,, फतेहगढ़, फरूखाबाद
39. ,, फैजाबाद
40. ,, कुमाऊं, नैनीताल
41. ,, बुन्देलखंड, झांसी
42. ,, गोण्डा
43. ,, आजमगढ़
44. ,, प्रतापगढ़
45. ,, सीतापुर
46. ,, पौड़ी
47. ,, अल्मोड़ा
48. ,, मथुरा
49. ,, बस्ती
50. ,, जौनपुर
51. ,, बाँदा
52. ,, टेहरी गढ़वाल, टेहरी
53. ,, चमोली, गोपेश्वर
54. ,, रायबरेली
55. ,, पिथौरागढ़
56. ,, कानपुर (मुफसिल)
57. ,, बुलन्दशहर
58. ,, देवरिया
59. ,, इटावा
60. ,, गाजीपुर
61. ,, मिर्जापुर
62. ,, लखनऊ (मुफसिल)
63. ,, बिजनौर
64. ,, बलिया
65. ,, बदायूँ
66. ,, गाजियाबाद
67. ,, खीरी
68. ,, मुजफ्फरनगर।

रेल डाक सेवा मण्डल कार्यालय

69. के० पी० मंडल, कानपुर
70. ए० मण्डल, इलाहाबाद
71. ओ० मण्डल, लखनऊ
72. एम०वी० मण्डल, सहारनपुर
73. एक्स० मण्डल, झांसी
74. जी० मण्डल, गोरखपुर

मुख्य डाकघर

75. मुख्य डाकघर, लखनऊ
76. मुख्य डाकघर, कानपुर

मध्य प्रदेश डाक सर्किल

77. मण्डल कार्यालय, जबलपुर
78. ,, इन्दौर
79. ,, भोपाल
80. ,, रायपुर
81. ,, बिलासपुर
82. ,, रींवा
83. ,, छिन्दवारा
84. ,, मालवा, उज्जैन
85. ,, ग्वालियर
86. ,, नर्मदा, होशंगाबाद
87. ,, रतलाम
88. ,, रायगढ़
89. ,, गुना
90. ,, सागर
91. ,, छत्तरपुर
92. ,, खण्डवा
93. ,, बस्तर, जगदलपुर
94. ,, दुर्ग
95. मण्डल कार्यालय, सीहोर
96. ,, बालाघाट
97. ,, सहदौल
98. ,, चम्बल, मुरैना
99. जे-बी-एल० रेल डाक सेवा मण्डल, जबलपुर
100. आई-डी-रेल डाक सेवा मण्डल, इंदौर
101. एम०पी० ,, भोपाल
102. आर०पी० ,, रायपुर

उत्तर पश्चिम डाक सर्किल.

103. मण्डल कार्यालय, अम्बाला
104. ,, शिमला
105. ,, धर्मशाला
106. ,, गुड़गांव
107. ,, हमीरपुर
108. ,, हिसार
109. ,, करनाल
110. ,, मण्डी
111. ,, रोहतक
112. ,, सोलन
113. रेल डाक सेवा मण्डल डी०मडल, नई दिल्ली
114. एच०आर० मण्डल, अम्बाला
115. डाक वस्तु भण्डार, अम्बाला।

राजस्थान दूरसंचार सर्किल

116. तार मण्डल, अजमेर
117. ,, जोधपुर
118. ,, जयपुर
119. तार मण्डल बीकानेर
120. ,, उदयपुर
121. ,, भरतपुर
122. ,, श्रीगंगानगर
123. ,, जोधपुर

उत्तर प्रदेश दूरसंचार सर्किल

124. तार मण्डल, बरेली
125. ,, लखनऊ
126. ,, आगरा
127. ,, मेरठ
128. ,, इलाहाबाद
129. तार मण्डल, कानपुर
130. देहरादून
131. ,, गोरखपुर
132. ,, मुरादाबाद
133. ,, श्रीनगर (गढ़वाल)
134. ,, सहारनपुर
135. नैनीताल
136. ,, अलीगढ़
137. फोन मण्डल, आगरा
138. ,, वाराणसी
139. ,, इलाहाबाद
140. केन्द्रीय तारघर, लखनऊ

बिहार दूरसंचार सर्किल

141. तार मण्डल, पटना
142. फोन मण्डल, रांची
143. तार मण्डल, मुजफ्फरनगर
144. ,, गया
145. ,, दरभंगा
146. ,, जमशेदपुर
147. ,, धनवाद
148. ,, भागलपर
149. केन्द्रीय तारघर, पटना

मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल

150. तार मण्डल, जबलपुर
151. ,, रायपुर
152. ,, ग्वालियर
153. ,, इन्दौर
154. ,, भोपाल
155. ,, बिलासपुर
156. ,, सागर
157. ,, उज्जैन
158. फोन मण्डल, भोपाल
159. ,, जबलपुर

[शेष पृष्ठ 56 पर]

समाचार

नागर विमानन विभाग में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

नागर विमानन विभाग की पहली हिन्दी कार्यशाला दिनांक 11-7-78 से दिनांक 2-8-78 तक सफदरजंग विमान क्षेत्र स्थित इस विभाग के तकनीकी केन्द्र में आयोजित की गई । नागर विमानन विभाग के महानिदेशक, श्री भगवान श्याम दास गिदवानी ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया । अपने उद्घाटन भाषण में श्री गिदवानी, ने इस बात पर बल दिया कि सरकारी कामकाज में हम जिस प्रकार की हिन्दी का प्रयोग करें वह सरल और समझ में आने वाली होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नागर विमानन विभाग में तकनीकी प्रकार का काम होता है इसलिए हिन्दी वाक्य विन्यास में हमें अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों का प्रयोग करने में किसी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए । उन्होंने विभाग के अधिकारियों से यह अपेक्षा की कि वे अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करें और इस काम के लिए आवश्यक सुविधाएं, मुहैया करें। अपने भाषण के अंत में श्री गिदवानी ने यह आशा व्यक्त की कि इस प्रकार की कार्यशालाएं कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इस विभाग के सभी कार्यालयों/विमान क्षेत्रों में आयोजित की जाएंगी ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, 39 कन्निंगहोम, बेंगलूर

(1) मुख्य कार्यालय सहित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के सभी यूनिटों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं । हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को ध्यान में रखते हुए मुख्य कार्यालय

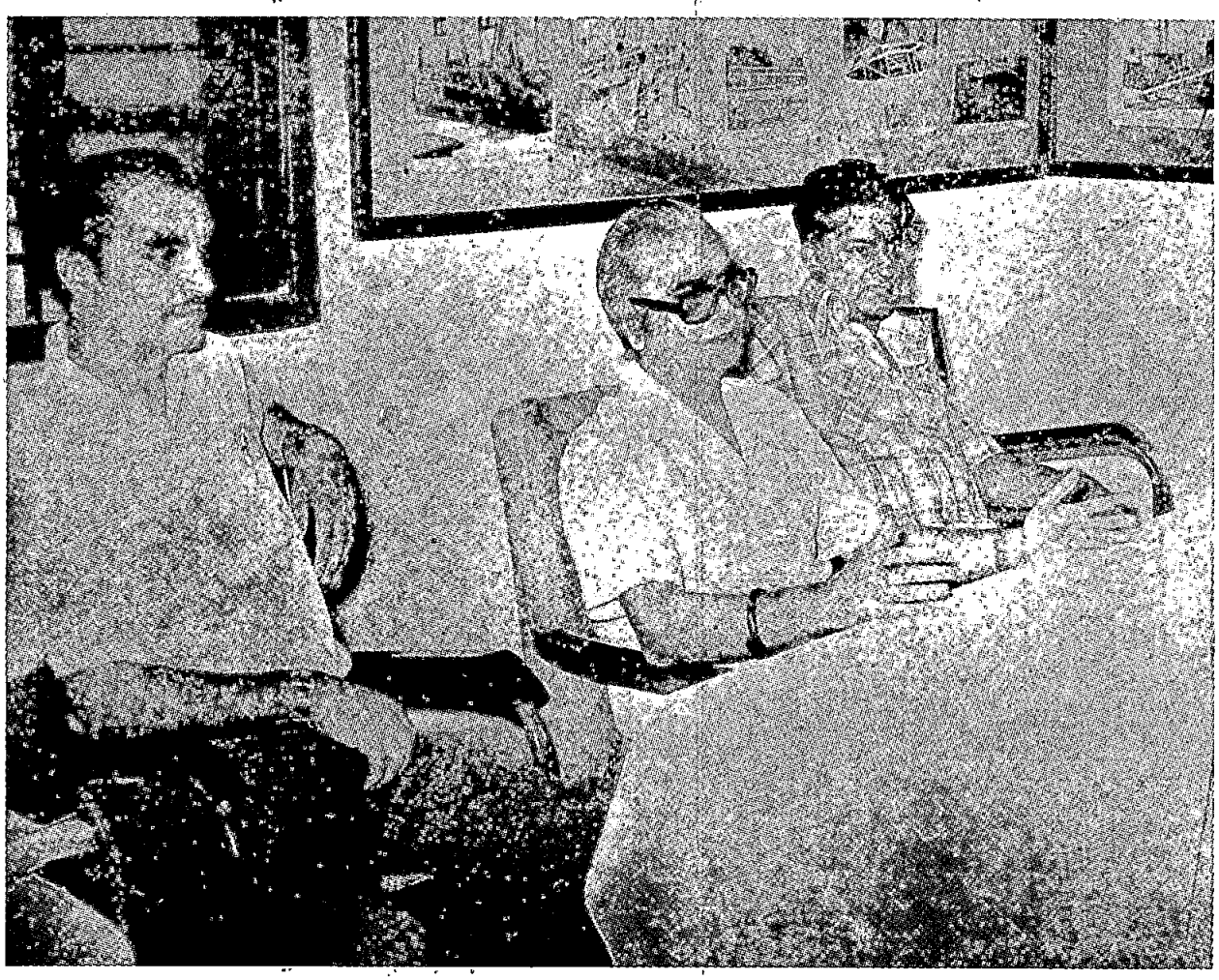

उदघाटन भाषण देते हुए श्री भगवान श्यामदास गिदवनी, महानिदेशक नागर विमानन, (बीच में) । उनके दाईं ओर श्री शंकर दास वहल, क्षेत्रीय निदेशक और बाईं ओर श्री के० वी० गणेशन, उपमहानिदेशक नागर विमानन दिखाई पड़ रहे हैं ।

बेंगलूर में ऐसी बैठक प्रत्येक मास के पहले मंगलवार को होती है ।

(2) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने अपने सभी यूनिटों में सूचना जारी की है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ मोनोग्राम का नमूना पेश करने वाले को 500.00 रुपए इनाम के रूप में दिए जाएंगे ।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के हिन्दी कोष्ठ की ओर से कम्पनी की विभिन्न इकाइयों में 2 अगस्त, 1978 को आयोजित की गई 'हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता' का परिणाम घोषित कर दिया गया है । इस प्रतियोगिता में 81 हिन्दी भाषी कर्मचारियों और 17 अहिन्दी कर्मचारियों ने भाग लिया था ।

हिन्दी भाषी वर्ग में पुरस्कार पाने वाले कर्मचारियों के नाम हैं: सर्व श्री एच०बी० लाटा (मुख्यालय)–प्रथम; इकबाल सागर (मुख्यालय) द्वितीय, शंभूदत्त मठपाल (जावर माइंस) तृतीय । सर्व श्री इन्द्र कुमार जोशी, गिरधर लाल पुरोहित, तुलसी कुमार सिंह, शिवजी साव, उत्तम सिंह धुप्या, अशोक कुमार छाबवानी, और कुमारी मधु लोढ़ा को प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए चयन किया गया है ।

अहिन्दी भाषी वर्ग में पुरस्कार पाने वाले कर्मचारियों की सूची इस प्रकार है: सर्व श्री पी० के० राय (राजपुरा-दरिबा)–प्रथम, मोहन मुखर्जी (राजपुरा-दरिबा)–द्वितीय, श्रीमती सुन्दरी छतवानी (मुख्यालय)–तृतीय । जिन कर्मचारियों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाएंगे, उनके नाम हैं– सर्व श्री सालमोन, कुमारी शील छाबड़ा, ए० एम० जोसफ, वी० वी० अनंतराय, सी० पी० शास्त्री, जोसेफ मैथ्यू, और एम० एस० सोढ़ी ।

इनके अतिरिक्त 19 हिन्दी भाषी और 7 अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे ।

कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के कृषि विभाग में हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन

7 जुलाई, 1978 को कृषि और सिंचाई मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है । समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा । यह समिति कृषि और सिंचाई मंत्रालय, इसके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों, उपक्रमों, कम्पनियों आदि के काम काज में गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के अन्तर्गत हिन्दी के प्रगामी प्रयोग और तत्संबंधी अन्य मामलों में मंत्रालय को सलाह देगी ।

चूंकि कृषि और सिंचाई मंत्रालय का देश के किसानों से सीधा संबंध है और इस तरह देश की आर्थिक-सामाजिक प्रगति में इसकी अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रही है । इस दृष्टि से इस मंत्रालय का कामकाज हिन्दी में किया जाए और कृषि विज्ञान और टेक्नोलॉजी संबंधी किसानोपयोगी अधुनातन सूचना-सामग्री किसानों तक उनकी भाषाओं में पहुंचाई जाए और कृषि संबंधी अधिकारियों की शिक्षा और परीक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से हो; तो निश्चय ही इनके दूरगामी परिणाम होंगे । बहुसंख्यक किसानों के जीवन के उन्नयन और इसके फलस्वरूप राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक श्री वृद्धि में भी इससे पर्याप्त सहायता मिलेगी । इस दिशा में प्रस्तुत समिति की भूमिका अप्रतिम है और उसने इस दिशा में अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान किया है ।

कृषि तथा सिंचाई मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला और राज्यमंत्री श्री भानु प्रताप सिंह क्रमशः समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं । मंत्रालय के सभी विभागों के सचिव आदि समिति के सदस्य हैं । लोकसभा सदस्य श्री रामनरेश कुशवाहा तथा श्री नाथूराम मिर्धा और राज्यसभा सदस्य श्री कृष्णानन्द जोशी तथा श्री महादेव प्रसाद वर्मा भी समिति के सदस्य हैं । इनके अलावा सर्व श्री गोपाल प्रसाद व्यास, डा० हरवंश लाल शर्मा, डा० विश्वनाथ अय्यर, डा० रामदयाल पाण्डेय, श्री सुधाकर पाण्डेय, श्री रघुवीर सहाय, डा० राम दरश मिश्र, डा० महीप सिंह आदि हिन्दी सेवी, पत्रकार, साहित्यकार भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं ।

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) : इस विभाग के प्रत्यक्ष कर प्रभाग की तारीख 8 जून, 1978 को नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली में हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पांचवी बैठक में इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों द्वारा विभिन्न धनराशियों के भुगतान के लिए चैकों को हिन्दी में तैयार किया जाए तथा उन पर हस्ताक्षर हिन्दी में किए जाएं ।

समिति ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि डाक तार तथा रेलवे विभागों की भांति आयकर विभाग में भी हिन्दी के प्रगामी प्रयोग तथा हिन्दी में कार्य करने के लिए "शील्ड" चालू करने के प्रश्न पर विचार किया जाए ।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयोग में लाए जाने वाले सभी फार्मों की द्विभाषी रूप में अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपाई :

प्रधान मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ फार्म केवल एक भाषा में छपवाए जा रहे हैं । प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय और अर्ध सरकारी संगठन इस बात को सुनिश्चित करें कि कोई भी फार्म न तो एक भाषा में छपे और न ही एक भाषा में जारी किया जाए । यदि किसी विशेष स्थिति में कोई फार्म हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अलग-अलग छपे, तो उस फार्म के हिन्दी और अंग्रेजी रूपान्तर सभी जगह उपलब्ध रहने चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जनता का कोई व्यक्ति इनमें से जिस भाषा का फार्म मांगे, वह फार्म उस भाषा में उसे मिल सके ।

अतः 8 सितम्बर, 1978 को एक परिपत्र जारी करके भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया कि वे अपने अधिकारियों और अपने संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों और अपने नियंत्रणाधीन निगमों/कम्पनियों आदि को सरकार की उपर्युक्त नीति का पूरी तरह पालन करने के लिए सख्त अनुदेश जारी करें ।

नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिये दिल्ली में एक संस्थान की स्थापना :

अभी तक लिपिकों और आशुलिपिकों को मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त हो जाने के पश्चात् ही हिन्दी टंकण और आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाता है । इससे कई कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं । एक तो कार्यालय से इस काम के लिए उन्हें छोड़े जाने में प्रशासनिक असुविधाएं होती हैं और साथ ही, हिन्दी कक्षाओं में नामांकन के बाद उपस्थिति अनिवार्य होने के बावजूद, बहुत से कर्मचारी इन कक्षाओं में अनुपस्थित रहते हैं । इसी बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय हिन्दी समिति की 27-2-78/13-4-78 को हुई बैठक में नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की स्थापना के बारे में सूचित किया गया था । इसमें हिन्दी न जानने वाले अनुभाग अधिकारी, सहायक, आशुलिपिक, लिपिक आदि को हिन्दी, हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टंकण का भी आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा । केन्द्रीय हिन्दी समिति ने अपनी 14-7-78 की बैठक में इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है और निदेश दिया कि इस बारे में शीघ्र प्रस्ताव बनाकर वित्त मंत्रालय को भेजा जाए ।

विदेशी हिन्दी लेखकों को पुरस्कार देने की योजना

विदेशी हिन्दी लेखकों को पुरस्कार देने के लिए विदेश मंत्री जी की अध्यक्षता में 21 अगस्त, 1978 को विदेश मंत्रालय की केन्द्रीय हिन्दी समिति की उप समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार विदेश मंत्रालय में नीचे लिखे सदस्यों की एक पुरस्कार समिति का गठन किया गया है :—

(1)	श्री अटल बिहारी वाजपेयी, विदेश मंत्री	अध्यक्ष
(2)	बाबू गंगा शरण सिंह	सदस्य
(3)	आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी	सदस्य
(4)	डा० धर्मवीर भारती	सदस्य
(5)	प्रो० एन० नागप्पा	सदस्य
(6)	श्री जगत सिंह मेहता, विदेश सचिव	सदस्य
(7)	श्री बच्चू प्रसाद सिंह, विशेषाधिकारी (हिन्दी)	सदस्य-सचिव

○□□○

[पृष्ठ 53 का शेष]

डाक सर्किल, बिहार

160. मण्डल कार्यालय, पटना सिटी
161. ,, राँची
162. ,, सारण, छपरा
163. ,, भागलपुर
164. ,, चम्पारण, मोतीहारी
165. ,, दरभंगा
166. ,, गया
167. ,, हजारीबाग
168. ,, धनबाद
169. ,, मुंगेर
170. ,, मुजफ्फरपुर
171. ,, पूर्णिया
172. ,, शाहाबाद, आरा
173. ,, संथालपरगना, दुमका
174. ,, जमशेदपुर
175. ,, सहर्सा
176. ,, रोहतास, सासाराम
177. ,, नालन्दा, बिहार शरीफ
178. मण्डल कार्यालय, समस्तीपुर
179. ,, पलामू, डालटेनगंज
180. ,, बेगूसराय
181. ,, सीवान
182. ,, औरंगाबाद
183. ,, पटना
184. डाक वस्तु भंडार कार्यालय, मुजफ्फरपुर ।

आर० एम० एस० मण्डल कार्यालय

185. सी० मण्डल, गया
186. पी० मण्डल, पटना
187. पी० टी० मण्डल, पटना
188. यू० मण्डल मुजफ्फरपुर
189. एन० बी० मण्डल, समस्तीपुर ।

उत्तर पश्चिम दूरसंचार सर्किल

190. तार मण्डल, अम्बाला
191. ,, शिमला
192. ,, रोहतक
193. ,, हिसार
194. ,, धर्मशाला
195. फोन मण्डल, अम्बाला

□□□

हिन्दी राष्ट्रीय एकता की कड़ी है

□ □ □

मैं आप लोगों से यह तो नहीं कहूँगा कि अंग्रेज़ी का व्यामोह छोड़िये किन्तु यह जरूर कहूँगा कि हिन्दी का प्रयोग जरूर कीजिए। अपनी माँ चाहे कुरूप ही क्यों न हो दूसरे की माँ से अच्छी होती है और उसका आदर किया जाना चाहिए।

—धनिक लाल मंडल

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी द्वारा 23–24 बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित